



सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष



लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हरियाणा सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 4

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार

वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 4

विषय सूची

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
ओवरव्यू		vii-xii
अध्याय-1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.2	7
कर-निर्धारणों में बकाया	1.3	9
विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन	1.4	9
रिफंड मामले	1.5	10
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.6	10
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर	1.7	11
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.7.2	12
लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण	1.7.3	13
प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर	1.7.4	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति	1.7.5	14
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण	1.8	14
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	14
स्वीकृत मामलों में वसूली	1.8.2	15
विभाग/सरकार द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.9	15
लेखापरीक्षा आयोजना	1.10	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.11	15
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.12	16
अध्याय-2		
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट		
कर प्रबंध	2.1	17
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	17
माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के लिए तैयारी	2.3	19-27
ठेकेदारों/विकासकों से वैट निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण	2.4	27-37

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अवैध 'सी' फार्मों पर रियायती कर की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण	2.5	37
कम टर्नओवर पर निर्धारण के कारण कर का अवनिर्धारण	2.6	39
अवैध फार्म 'एफ' के विरुद्ध लाभ की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.7	40
स्टॉक स्थानांतरण या हानियों पर आई.टी.सी. के अधिक लाभ की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.8	42
बेचे न गए माल पर इनपुट कर क्रेडिट का गलत लाभ	2.9	43
कर का अनुद्ग्रहण	2.10	44
परिगणना में गलती के कारण कर का अवनिर्धारण	2.11	45
ब्याज का अनुद्ग्रहण	2.12	45
अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट	2.13	46
कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण	2.14	47
सत्यापन के बिना सरकारी लेखाओं में कर जमा करने का गलत लाभ	2.15	49
अध्याय-3		
राज्य उत्पाद शुल्क		
कर प्रबंध	3.1	51
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	51
ब्याज की अवसूली/कम वसूली	3.3	52
शराब का त्रैमासिक कोटा कम उठाने पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली	3.4	53
अंतरीय लाइसेंस फीस की अवसूली	3.5	54
शराब के अवैध स्वामित्व और व्यापार के लिए पेनल्टी की अवसूली	3.6	55
लाइसेंस फीस के विरुद्ध सहभागिता फीस के अनियमित समायोजन के कारण राजस्व की हानि	3.7	56
अध्याय-4		
स्टाम्प शुल्क		
कर प्रबंध	4.1	57
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	57
पट्टा करारों पर स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	4.3	59-64
बिक्री विलेखों का संयुक्त करार के रूप में के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.4	65

	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति को कृषीय संपत्ति मानते हुए गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.5	66
बिक्री विलेख का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.6	68
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.7	69
प्राइम खसरा वाली भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.8	69
स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	4.9	70
अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण	4.10	71
अध्याय-5		
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रबंध	5.1	73
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	73
आबकारी एवं कराधान विभाग		
माल कर की अवसूली	5.3	75
परिवहन विभाग		
टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली	5.4	76
अध्याय-6		
अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां		
कर प्रबंध	6.1	79
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	79
खदान एवं भू-विज्ञान विभाग		
“खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	6.3	80-119

परिशिष्ट

अनुलग्नक	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
I	अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/30 जून 2018 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1.7.5	121
II	30 मार्च 2018 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर) के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण	1.7.5	122-123
III	निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.8.1	124
IV	स्वीकृत मामलों की वसूली	1.8.2	125
V	पात्र करदाताओं का माहवार विवरण	2.3.7.4	126
शब्दावली		127-128	

प्राक्कथन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व सेक्टर के अधीन प्रमुख राजस्व अर्जन करने वाले विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संचालित की गई लेखापरीक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो वर्ष 2017-18 के दौरान की गई नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे परन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2017-18 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,711.40 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित "खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा करों, ब्याज, पेनल्टी के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टॉम्प शुल्क, यात्री एवं माल कर, रायल्टी इत्यादि के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण से संबंधित 27 उदाहरणदर्शक अनुच्छेद शामिल हैं।

1. अध्याय-1

सामान्य

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 52,496.82 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 62,694.87 करोड़ थीं। इसमें से, 80 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 41,099.38 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹ 9,112.85 करोड़) से एकत्रित किए गए थे। शेष 20 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्य के हिस्से (₹ 7,297.52 करोड़) तथा सहायता अनुदान (₹ 5,185.12 करोड़) के रूप में प्राप्त किया गया था। पिछले वर्ष से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 10,198.05 करोड़ (19.43 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

(अनुच्छेद 1.1.1)

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, माल एवं यात्रियों पर कर, वाहनों पर कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की 314 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2017-18 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 22,744 मामलों में कुल ₹ 3,298.68 करोड़ के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण/राजस्व की हानि दर्शाई। वर्ष 2017-18 के दौरान, विभाग ने 5,743 मामलों में ₹ 1,525.34 करोड़ के अवनिर्धारण स्वीकार किए। इनमें से, विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान 164 मामलों में ₹ 29.66 करोड़ वसूल कर लिए थे।

(अनुच्छेद 1.11)

2. अध्याय-2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का कार्यान्वयन 1 जुलाई 2017 से किया गया था। जी.एस.टी. माल एवं सेवाओं की राज्यआंतरिक आपूर्ति पर (मानव उपयोग के लिए अल्कोहल एवं पांच विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त) पृथक रूप से परंतु एक साथ केंद्र (सी.जी.एस.टी.) और राज्य (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.जी.एस.टी.) के द्वारा लगाया जाता है। आगे, एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) माल एवं सेवाओं (आयात सहित) की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है और आई.जी.एस.टी. लगाने की एकमात्र शक्ति संसद के पास है। 1 जुलाई, 2017 से नियमों/विनियमों में बार-बार परिवर्तन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी. निर्धारित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन नहीं हुए। आगे, आई.टी. समाधान पूर्ण रूप से विकसित किया जाना था और रिटर्नस फाईल करने के बारे में समस्या का समाधान नहीं हुआ था। विभाग द्वारा लीगेसी कर प्रणाली से संबंधित समस्याओं को केंद्रीभूत व्यवस्थाओं के माध्यम से शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 2.3)

आबकारी एवं कराधान विभाग ने अपंजीकृत डीलरों की पहचान को सरल करने के लिए अन्य विभागों से सूचना संग्रहण के लिए प्रणाली स्थापित नहीं की। अपंजीकृत ठेकेदारों से कर की अवसूली के मामले, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सृजित अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना, कर का उद्ग्रहण न होना, वैट डी-1 फार्म के दुरुपयोग के लिए कर व जुर्माना का न लगाना और कर की गलत दर लागू होने के कारण कर और ब्याज का कम उद्ग्रहण आई.टी.सी. के अतिरिक्त लाभ की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण, ठेकेदारों द्वारा सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) का छिपाव और एमनेस्टी स्कीम के अधीन कर के कम निर्धारण के दृष्टांत देखे गए, जिनके परिणामस्वरूप ₹ 79.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.4)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने फार्मों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दे दी जिसके परिणाम में ₹ 3.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.59 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.5)

कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कम टर्नओवर पर कर के निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 13.19 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 43.62 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.6)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अवैध 'एफ' फार्मों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.78 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.34 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.7)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की कम वापसी/वापसी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 करोड़ की आई.टी.सी. का अधिक लाभ दिया गया।

(अनुच्छेद 2.8)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ड्यूटी एनटाईटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) जो डीलर द्वारा बेचा नहीं गया को खरीदने के लिए अदेय आई.टी.सी. दावा की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ के इनपुट कर की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.73 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.9)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 7.08 करोड़ मूल्य की मर्दों की बिक्री को कर मुक्त माल के तौर पर निर्धारित कर दिया। तथापि, ये मर्दे 5.25 प्रतिशत और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.31 लाख की राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 24.53 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 2.10)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा परिगणना में गलती के कारण ₹ 41.46 लाख राशि के कर का अवनिर्धारण था।

(अनुच्छेद 2.11)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय दो डीलरों द्वारा कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 27.77 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.12)

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.83 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.13)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय 13.125 प्रतिशत की बजाय 5/5.25 प्रतिशत की गलत दर पर कर का उद्ग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर का अव-निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.14)

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, दो डीलरों को ₹ 27.15 लाख के कर जमा करने के गलत लाभ की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त, ₹ 14.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

(अनुच्छेद 2.15)

3. अध्याय-3

राज्य उत्पाद शुल्क

अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 की अवधि के लिए 195 लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 149.19 करोड़ की लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के ₹ 3.95 करोड़ की हानि थी।

(अनुच्छेद 3.3)

ठेकेदारों द्वारा कोटा कम उठाने पर डी.ई.टी.सी. (आबकारी) की पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.4)

विभाग द्वारा मूल आबंटियों से लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.5)

वाहनों की जब्ती के एक से तीन वर्षों के समापन के बाद भी विभाग, उनकी नीलामी करके या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली द्वारा अवैध शराब के स्वामित्व के लिए दोषियों से ₹ 73.84 लाख की संपूर्ण पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.6)

विभाग द्वारा दुकानदारों से देय लाइसेंस फीस के विरुद्ध सहभागिता फीस का राज्य आबकारी नीति के उल्लंघन में अनियमित समायोजन अनुमत किया गया था परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 31.20 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.7)

4. अध्याय-4

स्टाम्प शुल्क

पट्टा करारों का साधारण करारों के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण खनन पट्टे के 30 दस्तावेजों पर अपर्याप्त रूप से स्टाम्प लगाए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। वार्षिक औसत किराए की गणना के लिए वार्षिक वृद्धि को ध्यान में न रखने और 25 मामलों में स्टाम्प शुल्क की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 13.17 करोड़ के एस.डी. और आर.एफ. की कम वसूली हुई।

हरियाणा खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा रोडवेज, नगर निगमों के 411 करारों के पट्टा विलेखों के गैर-निष्पादन और मोबाईल टावरों के पट्टा विलेखों के गैर-पंजीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 26.90 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा 10 बिक्री विलेखों का बिक्री करार की बजाए संयुक्त करार के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.99 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.4)

कलैक्टर द्वारा रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति के लिए निर्धारित की गई दरों की बजाय कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर 74 विलेख पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 4.69 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका की सीमाओं के भीतर पड़ने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 100 प्लॉटों के बिक्री विलेखों का आवासीय भूमि की बजाय कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर गलत निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.5)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री पर हस्तांतरण का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण किया और कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 1.71 करोड़ की बजाय केवल ₹ 10,920 के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ के एस.डी. तथा आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.6)

हस्तांतरण विलेखों के 53 दस्तावेजों में जो खून के रिशतों से अलग अन्य व्यक्तियों के पक्ष में थे, स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 88.78 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 4.7)

पंजीकरण प्राधिकारियों ने प्राइम खसरा भूमि को कृषीय भूमि पर नियत दर से गलत निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.8)

21 मामलों में किसानों, जिन्होंने आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी तथा पांच मामलों में मुआवजा प्राप्त करने के दो वर्ष बाद कृषीय भूमि खरीदी, को स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अनियमित छूट अनुमत की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.51 लाख के एस.डी. तथा आर.एफ. का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

(अनुच्छेद 4.9)

5. अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

परिवहन विभाग

माल ढोने वाले 1,584 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2016-17 के दौरान माल कर जमा नहीं करवाया परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ के माल कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 61.33 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

(अनुच्छेद 5.3)

माल ढोने वाले 1,305 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया परिणामस्वरूप ₹ 18.42 लाख वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 36.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

(अनुच्छेद 5.4)

6. अध्याय-6

अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

“खदान एवं भू वैज्ञानिक विभाग की कार्यप्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा में ठेकेदारों द्वारा अनुबंधों के विलंबित निष्पादन/निष्पादित न किए जाने, बोली जमानत की शेष राशि के विलंबित जमा करने/जमा न करने, ठेकेदारों से संविदा राशि और उस पर ब्याज की मासिक किश्तों के कम जमा करने/जमा न करने के मामले प्रकट किए, ठेकेदारों के साथ-साथ सरकार द्वारा एम.एम.डी.आर.आर. निधि में कम अंशदान था और विभाग द्वारा निधि की अपर्याप्त मॉनीटरिंग थी। स्टोन क्रशर परिचालित करने के लाइसेंसों के नवीकरण में विलंब, ईंट भट्टा स्वामियों से रायल्टी, अतिरिक्त रायल्टी और उस पर ब्याज की कम वसूली/अवसूली के मामले भी देखे गए थे परिणामस्वरूप ₹ 1,476.21 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

- कुल 95 ठेकेदारों में से 77 ठेकेदारों ने पांच से 891 दिनों की देरी से अनुबंधों का निष्पादन किया और नौ ठेकेदारों ने अनुबंधों का निष्पादन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 6.3.8.2)

- ठेकेदारों/पट्टाधारकों द्वारा वार्षिक संविदा राशि/डेड रेंट के 25 प्रतिशत के बराबर जमानत जमा रखनी अपेक्षित है, जिसमें से 10 प्रतिशत नीलामी के समय प्रारंभिक बोली जमानत के रूप में बोली जमा की जाएगी और शेष 15 प्रतिशत बोली जमानत खनन परिचालन शुरू होने से पहले या लेटर ऑफ़ इंटेंट जारी करने की तिथि से 12 मास की अवधि व्यतीत होने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा की जाएगी। 59 ठेकेदारों ने ₹ 132.02 करोड़ की बोली जमानत की शेष राशि तीन से 854 दिनों की विलंब के साथ जमा की और 11 ठेकेदारों ने ₹ 29.28 करोड़ की बोली जमानत की शेष राशि जमा नहीं की गई।

(अनुच्छेद 6.3.8.3 (i) तथा (ii))

- विभाग ने ₹ 808.21 करोड़ के संविदा राशि के कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 69 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ₹ 347.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.9.1)

- विभाग ने खदान और खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ₹ 49.30 करोड़ कम जमा करने/जमा न करने के लिए 48 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ₹ 17.44 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.9.3)

- सरकार ने खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में अपने हिस्से का ₹ 17.70 करोड़ राशि का अंशदान जमा नहीं करवाया।

(अनुच्छेद 6.3.9.4)

- सरकार ने खदान और खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ₹ 4.61 करोड़ का ब्याज क्रेडिट नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.3.9.5)

- चयनित रेत और बोल्टर/बजरी खदानों के भू-स्थानिक सर्वेक्षण से पता चला कि खनन योजनाओं में दिए गए खनन स्थलों के को-ऑर्डिनेट साइट निरीक्षण पर दर्शाए गए को-ऑर्डिनेट से भिन्न थे।

(अनुच्छेद 6.3.11.1)

- रेत खनिकों द्वारा नदी के प्रवाह में बाधा के कारण नदी का प्रवाह क्षेत्र बदल गया था।

(अनुच्छेद 6.3.11.3)

- 4,139 ईट भट्टा स्वामियों में से 181 मामलों में रॉयल्टी एवं अतिरिक्त रॉयल्टी के तौर पर ₹ 0.53 करोड़ जमा नहीं करवाए। ₹ 0.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.13.1)

अध्याय-1
सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2017-18 में हरियाणा सरकार द्वारा एकत्रित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े नीचे उल्लिखित हैं:

तालिका 1.1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 ¹
1	राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व					
	• कर राजस्व	25,566.60	27,634.57	30,929.09	34,025.69	41,099.38 ²
	• कर-भिन्न राजस्व	4,975.06	4,613.12	4,752.48	6,196.09	9,112.85
	योग	30,541.66	32,247.69	35,681.57	40,221.78	50,212.23
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध अर्थागमों का हिस्सा	3,343.24	3,548.09	5,496.22	6,597.47	7,297.52 ³
	• सहायता अनुदान	4,127.18	5,002.88	6,378.76	5,677.57	5,185.12 ⁴
	योग	7,470.42	8,550.97	11,874.98	12,275.04	12,482.64
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 एवं 2)	38,012.08	40,798.66	47,556.55	52,496.82	62,694.87
4	1 की 3 से प्रतिशतता	80	79	75	77	80

¹ राज्य सरकार का वित्त लेखा।


² इसमें मुख्य शीर्ष 0006-राज्य माल एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्त ₹ 10,833.43 करोड़ की राशि शामिल है।

³ इसमें केंद्रीय माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 104.36 करोड़ की राशि और एकीकृत माल एवं सेवा कर के हिस्से के रूप में ₹ 737.08 करोड़ शामिल हैं।

⁴ इसमें माल एवं सेवा कर के लागू होने से हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,199.00 करोड़ की राशि शामिल है।

2013-14 से 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.1



वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 50,212.23 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 80 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों का शेष 20 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं सहायता अनुदानों के शुद्ध अर्थागमों के राज्य का हिस्सा भारत सरकार से था।

कुल राजस्व प्राप्तियों से राज्य सरकार की इसके अपने स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता 2013-14 (80 प्रतिशत) से 2016-17 (77 प्रतिशत) तक घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। तत्पश्चात वर्ष 2017-18 हेतु यह 80 प्रतिशत तक बढ़ गया।

1.1.2 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.1.2: एकत्रित किए गए कर राजस्व के विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	2016-17 के वास्तविकों पर 2017-18 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) एवं एस.जी.एस.टी.	16,774.33 (65.61)	18,993.25 (68.73)	21,060.23 (68.09)	23,488.41 (69.03)	26,442.35 (64.34)	-33.55
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3,697.35 (14.46)	3,470.45 (12.56)	4,371.08 (14.13)	4,613.13 (13.56)	4,966.21 (12.08)	7.65
3.	स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	3,202.48 (12.53)	3,108.70 (11.25)	3,191.21 (10.32)	3,282.64 (9.65)	4,192.49 (10.20)	27.72
4.	माल एवं यात्रियों पर कर ⁵	497.45 (1.95)	527.07 (1.91)	554.25 (1.79)	594.59 (1.75)	2,317.47 (5.64)	289.76
5.	वाहनों पर कर	1,094.86 (4.28)	1,191.50 (4.31)	1,400.38 (4.53)	1,583.06 (4.65)	2,777.57 (6.76)	75.46
6.	बिजली पर कर एवं शुल्क	219.20 (0.86)	239.74 (0.87)	256.66 (0.83)	275.69 (0.81)	306.03 (0.74)	11.00
7.	भू-राजस्व	12.42 (0.05)	15.28 (0.06)	14.97 (0.05)	16.08 (0.05)	18.07 (0.04)	12.38
8.	उपयोगी वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	68.51 (0.27)	88.58 (0.32)	80.31 (0.26)	172.09 (0.51)	79.19 (0.19)	-53.98
	योग	25,566.60	27,634.57	30,929.09	34,025.69	41,099.38	20.79
	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		8.08	11.92	10.01	20.79	

⁵ पी.जी.टी. 01.04.2017 से परिवहन विभाग को हस्तांतरित किया गया।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2



राजस्व कर 2013-14 में ₹ 25,566.60 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 41,099.38 करोड़ हो गया। उपरोक्त अवधि में राजस्व की वृद्धि लगभग आठ से 21 प्रतिशत की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाती है।

संबंधित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:

- **स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस:** गत पांच वर्षों के दौरान, स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस में 2016-17 में ₹ 3,282.64 करोड़ के विरुद्ध 2017-18 में ₹ 4,192.49 करोड़ की वृद्धि हुई जो कि अचल संपत्ति के लेन-देन में वृद्धि के कारण थी।
- **मोटर वाहनों पर कर:** 2016-17 में ₹ 1,583.06 करोड़ के विरुद्ध 2017-18 में ₹ 2,777.57 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि मोटर वाहन कर में यात्री एवं माल कर के विलयन और सड़क पर ओवरलोडिड वाहनों की गहन जांच के कारण थी।
- **यात्री एवं माल कर:** 2016-17 में ₹ 594.59 करोड़ के विरुद्ध 2017-18 में ₹ 2,317.47 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि "22 जून 2017 को शुरू की गई जो बकाया कर देयों की वसूली के लिए हरियाणा एकबारगी निपटान स्कीम" नामक स्कीम में जमा राशि के कारण थी।
- **बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर:** 2017-18 में वैट की प्राप्ति ₹ 15,608.92 करोड़ थी तथा एस.जी.एस.टी. की प्राप्ति ₹ 10,833.43 करोड़ थी।

1.1.3 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण निम्न तालिका में इंगित किए गए हैं:

तालिका 1.1.3: एकत्रित किए गए कर-भिन्न राजस्व के विवरण


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 के वास्तविकों पर 2017-18 के वास्तविकों की वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	वास्तविक (कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता)	
1.	ब्याज प्राप्तियां	1,090.71 (21.92)	933.59 (20.24)	1,087.49 (22.88)	2,309.79 (37.28)	2,227.82 (24.45)	-3.55
2.	सड़क परिवहन	1,097.54 (22.06)	1,235.31 (26.78)	1,254.55 (26.40)	1,265.13 (20.42)	1,279.66 (14.04)	1.15
3.	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	318.94 (6.41)	564.48 (12.24)	637.41 (13.41)	640.48 (10.34)	674.03 (7.40)	5.24
4.	शहरी विकास	1,104.54 (22.20)	861.11 (18.67)	421.95 (8.88)	599.00 (9.67)	2,861.45 (31.40)	377.70
5.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	79.10 (1.59)	43.46 (0.94)	271.61 (5.72)	496.95 (8.02)	712.87 (7.82)	43.45
6.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	510.65 (10.26)	472.18 (10.24)	466.30 (9.81)	438.45 (7.08)	456.59 (5.01)	4.14
7.	प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	95.04 (1.91)	129.27 (2.80)	110.48 (2.32)	113.43 (1.83)	132.43 (1.45)	16.75
8.	पुलिस	80.38 (1.62)	67.82 (1.47)	151.70 (3.19)	109.11 (1.76)	128.69 (1.41)	17.95
9.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	144.35 (2.90)	95.73 (2.08)	115.64 (2.43)	105.66 (1.71)	165.37 (1.81)	56.51
10.	वानिकी एवं वन्य जीवन	37.37 (0.75)	44.29 (0.96)	51.90 (1.09)	55.38 (0.89)	33.10 (0.36)	-40.23
11.	विविध सामान्य सेवाएं ⁶	268.37 (5.39)	20.38 (0.44)	41.39 (0.87)	31.54 (0.51)	251.50 (2.76)	697.40
12.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	148.07 (2.98)	145.50 (3.15)	142.06 (2.99)	31.17 (0.50)	189.34 (2.08)	507.44
योग		4,975.06	4,613.12	4,752.48	6,196.09	9,112.85	47.07

⁶ अस्वामिक जमा, राज्य लाटरी, भूमि/संपत्ति की बिक्री, गारंटी फीस तथा अन्य प्राप्तियां।

विभिन्न कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3



वर्ष 2016-17 की वास्तविक प्राप्तियों पर 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में 47.07 प्रतिशत की वृद्धि है। ब्याज प्राप्ति (24.44 प्रतिशत), शहरी विकास (31.40 प्रतिशत), तथा सड़क परिवहन (14.04 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता हैं और समग्र रूप से कुल कर-भिन्न राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत अंशदान करते हैं।

संबंधित विभागों ने भिन्नताओं के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार ठहराया:

- **अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग:** वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (43.45 प्रतिशत) देयों की प्रभावी वसूली, अवैध खनन की लगातार निगरानी तथा अवैध खनन में शामिल पाए गए व्यक्तियों से पेनल्टी की वसूली के कारण थी।
- **प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई:** वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (16.75 प्रतिशत) पिछले वर्ष के बकायों की वसूली तथा विभिन्न प्रमुख नहरों की डीसिल्टिंग के दौरान खनिजों की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण थी।

- **विविध सामान्य सेवाएं:** वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (697.40 प्रतिशत) गारंटी फीस की अधिक प्राप्ति के कारण थी।
- **शहरी विकास:** 2016-17 में ₹ 599.00 करोड़ से 2017-18 में ₹ 2,861.45 करोड़ तक राजस्व में तेज वृद्धि थी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, लाइसेंसधारकों से वसूल किए गए बाह्य विकास प्रभारों (ई.डी.सी.) की राशि 01 अप्रैल 2017 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टी.सी.पी.) विभाग के प्रमुख प्राप्ति शीर्ष 0217 में जमा की जा रही है। लाइसेंस प्राप्त करने वाले लाइसेंसधारकों से वसूल किए गए पूर्ववर्ती बाह्य विकास प्रभार हरियाणा की शहरी संपदाओं में बाह्य विकास कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी होने के नाते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टी.सी.पी.) विभाग द्वारा जोकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.एस.वी.पी.) को हस्तांतरित की जा रही थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किए जाने के बावजूद प्राप्तियों में भिन्नताओं के कारण सूचित नहीं किए (नवंबर 2018)।

1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2018 को राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों के संबंध में राजस्व के बकाया ₹ 12,446.12 करोड़ राशि के थे जिनमें से ₹ 2,124.00 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे जो कि नीचे वर्णित हैं:

तालिका 1.2: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2018 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	11,069.39	1,700.35	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 631.32 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, तथा ₹ 289.17 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 101.49 करोड़ व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोके गए थे, ₹ 209.00 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹ 1,208.34 करोड़ परिशोधन, समीक्षा तथा अपील के कारण रोके गए थे। ₹ 2,149.64 करोड़ के बकायों की वसूली न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थी तथा ₹ 1,886.16 करोड़ विभाग द्वारा (अन्य कारणों से) वसूली न करने के कारण लंबित थे। सरकारी परिसमापक/औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास लंबित मामलों के कारण ₹ 544.19 करोड़ की वसूली बकाया थी। अन्तर्राज्य बकाया ₹ 101.50 करोड़ था तथा अन्तर्जिले बकाया ₹ 88.75 करोड़ था। ₹ 1.03 करोड़ की वसूली किश्तों में की जा रही थी। ₹ 3,858.80 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर थी।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	233.69	95.83	उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा ₹ 20.37 करोड़ की वसूली स्थगित की गई थी, तथा ₹ 0.73 करोड़ सरकारी आदेशों के कारण रोके गए थे। ₹ 0.60 करोड़ बट्टे खाते डालने हेतु संभावित थे। ₹ 17.49 करोड़ अन्तर्राज्य तथा ₹ 48.84 करोड़ अन्तर्जिले बकायों के कारण था। ₹ 0.06 करोड़ की वसूली किश्तों में की

वर्ष 2017-18 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2018 को बकाया राशि	31 मार्च 2018 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
				जा रही थी। ₹ 15.41 करोड़ न्यायालय में लंबित मामलों के कारण लंबित थे। ₹ 48.12 करोड़ अन्य कारणों से विभाग द्वारा वसूली न करने के कारण लंबित थे। ₹ 3.18 करोड़ सरकारी परिसमापक/ बी.आई.एफ.आर. के पास थे। शेष ₹ 78.89 करोड़ कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर बकाया थे।
3.	बिजली पर कर एवं शुल्क	261.46	138.68	₹ 260.46 करोड़ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (द.ह.बि.वि.नि.लि.)/उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (उ.ह.बि.वि.नि.लि.) के उपभोक्ताओं की ओर लम्बित थे तथा ₹ 1.00 करोड़ हरियाणा कॉन्कास्ट, हिसार के विरुद्ध लम्बित थे।
4.	स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर (स्थानीय क्षेत्र विकास कर)	201.46	147.96	₹ 138.76 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 62.70 करोड़ की राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
5.	पुलिस	92.50	8.20	31 मार्च 2007 तक ₹ 7.38 करोड़ भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) से देय थे। हरियाणा राज्य में आई.ओ.सी.एल. से वसूली का मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। ₹ 0.29 करोड़ भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (भा.ब्या.प्र.बो.), फरीदाबाद से वसूलनीय थे तथा ₹ 84.83 करोड़ अन्य राज्यों में चुनाव ड्यूटी के लिए तथा कानून व्यवस्था हेतु अन्य राज्यों से वसूलनीय थे।
6.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क - मनोरंजन शुल्क से प्राप्तियां	11.69	11.22	₹ 0.42 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी, ₹ 0.02 करोड़ बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे तथा ₹ 11.25 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के अन्य चरणों पर बकाया थी।
7.	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	575.93	21.76	₹ 271.44 करोड़ वसूली प्रमाण-पत्रों द्वारा आवृत्त मांग के कारण बकाया थे। ₹ 0.54 करोड़ की वसूली उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित की गई थी। ₹ 2.65 लाख बट्टे खाते डाले जाने संभावित थे। ₹ 303.92 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न चरणों पर थी।
	योग	12,446.12	2,124.00	

1.3 कर-निर्धारणों में बकाया

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों, कर-निर्धारण हेतु देय बने मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों तथा वर्ष की समाप्ति पर अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण जैसा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा बिक्री कर के संबंध में प्रस्तुत किए गए, नीचे वर्णित है:

तालिका 1.3: कर-निर्धारणों में बकाया

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान कर-निर्धारण हेतु देय नए मामले	कुल देय कर-निर्धारण	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 6 से 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2017-18	2,54,927	2,67,172	5,22,099	2,09,688	3,12,411	40
	2016-17	2,29,719	2,28,741	4,58,460	2,03,533	2,54,927	44

वर्ष की समाप्ति पर लंबित मामलों की संख्या में बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट के संबंध में वृद्धि हुई है। यह आगे अवलोकित किया गया है कि मामलों के निपटान की प्रतिशतता मात्र 40 थी।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाए गए कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के प्रकरणों, अन्तिमकृत मामलों तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों के विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया था, जो निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.4: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व का शीर्ष	31 मार्च 2017 को लम्बित मामले	2017-18 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें कर-निर्धारण/ जांच पड़ताल पूर्ण हुई तथा पेनल्टी इत्यादि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2018 को अंतिमकरण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	134	1,303	1,437	1,382	88.63	55
2	राज्य उत्पाद शुल्क	589	8,053	8,642	8,246	6.99	396
योग		723	9,356	10,079	9,628	95.62	451

वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की संख्या की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बिक्रियों, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट तथा राज्य उत्पाद शुल्क के मामले में कमी हुई है।

1.5 रिफंड मामले

वर्ष 2017-18 के आरम्भ में लम्बित रिफंड मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंडों तथा वर्ष 2017-18 के अन्त में लम्बित मामलों की संख्या, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, जो निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 1.5: रिफंड मामलों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	579	115.30	41	7.16
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	2,352	659.83	806	57.20
3.	वर्ष के दौरान किए गए/समायोजित/अस्वीकृत रिफंड	2,583	685.17	802	62.90
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	348	89.96	45	1.46

वर्ष के आरंभ में बकाया मामलों की तुलना में वर्ष की समाप्ति पर बकाया मामलों की संख्या बिक्री कर/वैट में कम हुई है तथा राज्य उत्पाद शुल्क में बढ़ी है।

1.6 आंतरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्लान किए गए 257 यूनिटों में से आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने 219 यूनिटों (85 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसाकि निम्न तालिका में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6: आंतरिक लेखापरीक्षा

प्राप्तियां	प्लान की गई इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या
स्टॉम्प शुल्क	142	142
राज्य उत्पाद शुल्क	21	20
वैट/बिक्री कर	शून्य	शून्य
मोटर वाहन कर	94	57
योग	257	219

अध्याय 2 से 6 के अनुच्छेदों में दर्शाई गई अनियमितताएं अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की सूचक हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित की गई अनियमितताएं आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा पता नहीं लगाई गई थी। यह अवलोकित किया गया है कि वर्ष के दौरान वैट/बिक्री कर की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा न कराए जाने के कारण प्रदान नहीं किए गए थे।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों का उत्तर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच एवं महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। ये निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पता लगाई गई तथा स्थल पर समायोजित न की गई अनियमितताओं को सम्मिलित कर निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) से अनुवर्तित किए जाते हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को, अगले उच्चतर प्राधिकारियों को प्रतियों सहित, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किए जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों/सरकार से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों की अनुपालना की जानी अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं, विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

दिसम्बर 2017 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों ने प्रकट किया कि जून 2018 के अन्त में 2,446 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 6,577.52 करोड़ से आवेष्टित 6,915 अनुच्छेद बकाया रहे। जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों के साथ निम्न तालिका में उल्लिखित है:

तालिका 1.7: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण

	जून 2016	जून 2017	जून 2018
निपटान हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,143	2,302	2,446
बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	5,389	6,430	6,915
आवेष्टित राजस्व की राशि (₹ करोड़ में)	5,802.87	5,869.33	6,577.52

1.7.1 30 जून 2018 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और आवेष्टित राशि के विभाग-वार विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 1.7.1: निरीक्षण प्रतिवेदनों के विभाग-वार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया नि.प्र. की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की संख्या	आवेष्टित धन मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री कर/वैट	334	2,828	5,342.97
		राज्य उत्पाद शुल्क	173	305	160.11
		माल एवं यात्रियों पर कर	247	441	38.70
		मनोरंजन शुल्क एवं प्रदर्शन कर	22	24	11.63
2.	राजस्व	स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस	1,057	2,493	370.43
		भू-राजस्व	135	174	0.81
3.	परिवहन	वाहनों पर कर	380	524	27.70
4.	विद्युत	बिजली पर कर एवं शुल्क	7	8	5.89
5.	खदान एवं भू-विज्ञान	अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	91	118	619.28
योग			2,446	6,915	6,577.52

निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बनता में वृद्धि इस तथ्य का सूचक थी कि कार्यालयों तथा विभागों के अध्यक्षों ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई त्रुटियों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सरकार, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के शीघ्र उत्तर सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए विभागों के उत्तरों की प्रभावी मॉनीटरिंग की प्रणाली स्थापित कर सकती है।

1.7.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन में अनुच्छेदों के समायोजन की प्रगति को मॉनीटर एवं तीव्र करने के लिए लेखापरीक्षा समितियां गठित की। वर्ष 2017-18 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा समायोजित किए गए अनुच्छेदों के विवरण निम्न तालिका में उल्लिखित हैं:

तालिका 1.7.2: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

क्र.सं.	राजस्व का शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निपटाए गए अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान विभाग (बिक्री कर)	6	106	46.62
2	परिवहन विभाग	3	62	1.01
3	राजस्व विभाग	2	30	1.14
4	खदान एवं भू-विज्ञान विभाग	1	8	0.11
	योग	12	206	48.88

वर्ष 2017-18 के दौरान 857 अनुच्छेदों पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 48.88 करोड़ के धन मूल्य वाले 206 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान 1,295 अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी तथा जिनमें से ₹ 570.45 करोड़ के धन मूल्य वाले 240 अनुच्छेदों का निपटान किया गया था। यह दर्शाता है कि वर्ष 2016-17 में निपटान किए गए अनुच्छेदों (19 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान निपटान किए गए अनुच्छेदों की प्रतिशतता में वृद्धि (24 प्रतिशत) दर्शाई गई है।

1.7.3 लेखापरीक्षा को जांच के लिए अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 375.06 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित 36,208 कर-निर्धारण फाईलों में से 199 फाईलें तथा अन्य संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। मामलों का जिला-वार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.7.3: अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम	वर्ष, जिसमें इसकी लेखापरीक्षा की जानी थी	प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	कर की राशि/रिफंड (₹ करोड़ में)
कर-निर्धारण मामले			
आबकारी एवं कराधान आयुक्त (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम)	2017-18	156	248.06
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) रेवाड़ी	2017-18	02	114.68
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) मेवात	2017-18	02	1.78
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कैथल	2017-18	01	0.71
डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा	2017-18	38	9.83
योग		199	375.06

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुरुग्राम (पश्चिम), रेवाड़ी, मेवात, कैथल तथा सिरसा से संबंधित ₹ 375.06 करोड़ की राशि के 199 मामलों की अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण के कारण जांच नहीं की जा सकी।

1.7.4 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सरकार के उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेद, प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/अपर मुख्य सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनके उत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्यों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे अनुच्छेदों के अन्त में इंगित किया जाता है।

तीस प्रारूप अनुच्छेदों (27 ड्राफ्ट अनुच्छेद में इकट्ठे किए गए) और एक निष्पादन लेखापरीक्षा को फरवरी और जुलाई 2018 के मध्य और संशोधित निष्पादन लेखापरीक्षा को जुलाई 2019 में संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों के पास भेजा गया था। प्रारूप अनुच्छेदों में से किसी का भी और निष्पादन लेखापरीक्षा का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा के समापन पर सरकार के साथ आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राप्त उत्तरों को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में प्रासंगिक स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

1.7.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन-संक्षेपित स्थिति

वित्त विभाग द्वारा अक्टूबर 1995 में जारी किए गए तथा जुलाई 2001 में दोहराए गए निर्देशों के अनुसार यह निर्धारित किया गया था कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करेंगे तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) के विचार हेतु प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के भीतर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों में देरी की जा रही थी। तथापि, 31 मार्च 2015, 2016 तथा 2017 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए चार विभागों {आबकारी एवं कराधान (41), परिवहन (4), राजस्व (17) तथा खदान एवं भू-विज्ञान (3)} से 65 अनुच्छेदों के संबंध में कृत कार्रवाई टिप्पणियां, जैसा *अनुलग्नक-I* में उल्लिखित है, अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी (जून 2018)।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 18 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की तथा 18 अनुच्छेदों पर इसकी सिफारिशें वर्ष 2017-18 की उनकी 75वीं रिपोर्ट में शामिल की गई थी। लोक लेखा समिति की 22वीं से 75वीं रिपोर्ट में शामिल 1979-80 से 2013-14 की अवधि से संबंधित 1,011 सिफारिशें, जैसा कि *अनुलग्नक-II* में उल्लिखित है, संबंधित विभागों द्वारा अंतिम सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने के अभाव में अभी तक लंबित थी।

1.8 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों का जवाब देने की प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए एक विभाग के संबंध में गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मूल्यांकित एवं सम्मिलित की गई है।

अनुवर्ती अनुच्छेदों 1.8.1 से 1.8.2 में मोटर वाहनों पर कर के अंतर्गत परिवहन विभाग के निष्पादन तथा वर्ष 2008-09 से 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित गत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए मामलों पर चर्चा करते हैं।

1.8.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

गत 10 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग को जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों की संक्षेपित स्थिति तथा 31 मार्च 2018 को उनकी स्थिति *अनुलग्नक-III* में उल्लिखित है।

31 मार्च 2018 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या 2008-09 में 264 से 2017-18 में 360 तक बढ़ गई तथा अनुच्छेदों की संख्या 2008-09 में 340 से 2017-18 में 500 तक बढ़ गई। सरकार को पुराने लंबित अनुच्छेदों के समायोजन के लिए लेखापरीक्षा समिति की अधिक बैठकें आयोजित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

1.8.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

गत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुच्छेदों, जो विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये तथा वसूली गई राशि की स्थिति *अनुलग्नक-IV* में दी गई है।

गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत कम (12 प्रतिशत) थी। विभाग स्वीकृत मामलों में आवेष्टित देयों की शीघ्र वसूली का अनुसरण तथा मॉनीटर करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

1.9 विभाग/सरकार द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार द्वारा संचालित निष्पादन लेखापरीक्षाएं, संबंधित विभाग/सरकार को उन पर अपने उत्तर देने के अनुरोध के साथ भेजी जाती हैं। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एग्जिट कॉन्फ्रेंसों में भी चर्चा की गई थी और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय विभागों/सरकार के विचार शामिल किए गए हैं।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के प्रतिवेदन में दर्शाई गई आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा के 'वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली', 'राज्य उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां' तथा 'घोषणा फार्मों के विरुद्ध छूट एवं रियायत' नामक निष्पादन लेखापरीक्षा पर अभी लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी है।

1.10 लेखापरीक्षा आयोजना

हरियाणा राज्य में कुल 522 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं जिनमें से 2017-18 के दौरान 312 इकाइयों की योजना बनाई गई थी तथा 314 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

1.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, मोटर वाहन, माल एवं यात्री तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा योग्य 522 यूनिटों में से 314 (राजस्व 312 + व्यय 02) यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2017-18 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 22,774 मामलों में कुल ₹ 3,298.68 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्ग्रहण/हानि प्रकट की। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने 5,743 मामलों में आवेष्टित ₹ 1,525.34 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की। विभागों ने वर्ष 2017-18 के दौरान 164 मामलों में ₹ 29.66 करोड़ वसूल किए थे।

1.12 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,711.40 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से आवेष्टित "खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 27 अनुच्छेद शामिल हैं।

विभागों/सरकार ने ₹ 1,422.28 करोड़ से आवेष्टित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिनमें से ₹ 29.29 करोड़ वसूल किए गए थे। इन पर अनुवर्ती अध्याय 2 से 6 तक में चर्चा की गई है।

अध्याय-2
बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय-2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1 कर प्रबंध

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (एच.वी.ए.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा लागू किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रमुख है तथा अपर ई.टी.सी., संयुक्त ई.टी.सी. (जे.ई.टी.सी.), उप ई.टी.सी. (डी.ई.टी.सी.) और आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ई.टी.ओ.) द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है। संबंधित कर कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग दिया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


2017-18 में 40 इकाइयों में से 35 इकाइयों (राजस्व: 33 और व्यय: 02) के वैट/बिक्री कर के निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच ने 2,436 मामलों में ₹ 1,653.05 करोड़ कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि तालिका 2.1 में वर्णित है:

तालिका 2.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	“ठेकेदारों/विकासकों से वैट के निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण” पर विषयक लेखापरीक्षा	1,142	79.78
2.	कर का अवनिर्धारण	429	235.23
3.	दोषपूर्ण सांविधिक 'फार्मों' की स्वीकृति	217	261.12
4.	बिक्रियों/खरीदों के छिपाव के कारण करों का अपवंचन	80	279.58
5.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	186	88.01
6.	अन्य अनियमितताएं	314	427.67
	कुल (I)	2,368	1,371.39
व्यय			
1.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र की अप्राप्ति	1	269.42
2.	अन्य अनियमितताएं	67	12.24
	कुल (II)	68	281.66
	कुल जमा (I+II)	2,436	1,653.05


चार्ट 2.1

(₹ करोड़ में)



चार्ट 2.2

(₹ करोड़ में)



वर्ष के दौरान, विभाग ने 272 मामलों में ₹ 153.19 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियाँ स्वीकार की जिनमें से 24 मामलों में शामिल ₹ 11.20 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2017-18 में 34 मामलों में ₹ 46.10 लाख वसूल किए जिनमें शामिल ₹ 23.51 लाख से संबंधित एक मामला इस वर्ष से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

निर्धारण से संबंधित विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है। ₹ 138.60 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है।

2.3 माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के लिए तैयारी

2.3.1 प्रस्तावना

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का कार्यान्वयन 1 जुलाई 2017 से किया गया था। जी.एस.टी.¹ माल एवं सेवाओं की राज्यआंतरिक आपूर्ति पर (मानव उपयोग के लिए अल्कोहल एवं पांच विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों² के अतिरिक्त) पृथक रूप से परंतु एक साथ केंद्र (सी.जी.एस.टी.) और राज्य (एस.जी.एस.टी.)/संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.जी.एस.टी.) के द्वारा लगाया जाता है। आगे, एकीकृत जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) माल एवं सेवाओं (आयात सहित) की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है और आई.जी.एस.टी. लगाने की एकमात्र शक्ति लोकसभा के पास है। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से पहले अनुक्रमिक डीलरों द्वारा बिक्री की श्रृंखला में माल की राज्य के अंदर बिक्री पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 और सी.एस.टी. अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य व्यवसाय होने पर माल की बिक्री पर कर सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 के अनुसार उद्ग्रहणीय था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के प्रावधानों के विनियमन हेतु राज्य सरकार में शक्ति निहित थी जबकि जी.एस.टी. से संबंधित प्रावधान केंद्र एवं राज्य द्वारा माल एवं सेवा कर परिषद (जी.एस.टी.सी.) की सिफारिश पर लागू किए जाते हैं जिसे जी.एस.टी. से संबंधित मामलों पर सुझाव देने के लिए केंद्र एवं सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व के साथ गठित किया गया था।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) भारत सरकार द्वारा आई.टी. सेवाएं प्रदान करने के लिए एक निजी कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया था। यह करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्न फाईल करने जैसी फ्रंट-एंड आई.टी. सेवाएं प्रदान करता है। हरियाणा ने मॉडल-1³ राज्य का विकल्प चुना और पंजीकरण अनुमोदन, करदाता ब्यौरे अवलोकन, रिफंड प्रोसेसिंग, एम.आई.एस. रिपोर्ट्स इत्यादि बैक-एंड आई.टी. सेवाएं प्रदान करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर के तौर पर मैसर्स विप्रो लिमिटेड को नियुक्त किया।

¹ केंद्रीय जी.एस.टी.: सी.जी.एस.टी. और राज्य जी.एस.टी./केंद्र शासित प्रदेश जी.एस.टी.: एस.जी.एस.टी./यू.टी.जी.एस.टी.।

² पेट्रोलियम उत्पाद: कच्चा, उच्च गति का डीजल, पेट्रोल, विमानन टरबाइन ईंधन और प्राकृतिक गैस।

³ मॉडल -1 राज्य: जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रदान की जाने वाली केवल फ्रंट-एंड सेवाएं, मॉडल -2 राज्य: जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रदान की गई फ्रंट-एंड और बैक-एंड दोनों सेवाएं।

2.3.2 राजस्व की प्रवृत्ति

माल एवं सेवा कर में असम्मिलित/सम्मिलित करों सहित जी.एस.टी. के अंतर्गत कुल प्राप्तियां वर्ष 2016-17 के दौरान जी.एस.टी. से पहले के अंतर्गत ₹ 23,488.41 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 26,442.35 करोड़ थी अर्थात् 15.42 प्रतिशत की बढ़ोतरी। जी.एस.टी. से पहले कर⁴ और जी.एस.टी. के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान	जी.एस.टी. से पहले करों के अंतर्गत प्राप्तियां	जी.एस.टी. के अंतर्गत प्राप्तियां		जी.एस.टी. से पहले करों तथा जी.एस.टी. के अंतर्गत प्राप्तियां	वृद्धि (प्रतिशत में)	प्राप्त क्षतिपूर्ति	सुरक्षित राजस्व
			एस.जी.एस.टी.	अग्रिम आई.जी.एस.टी. का बंटवारा				
2013-14	17,400.00	16,774.33	लागू नहीं	लागू नहीं	16,774.33	0	लागू नहीं	लागू नहीं
2014-15	19,930.00	18,993.25	लागू नहीं	लागू नहीं	18,993.25	13.23%	लागू नहीं	लागू नहीं
2015-16	25,000.00	21,060.23	लागू नहीं	लागू नहीं	21,060.23	10.88%	लागू नहीं	लागू नहीं
2016-17	26,400.00	23,488.41	लागू नहीं	लागू नहीं	23,488.41	11.53%	लागू नहीं	लागू नहीं
2017-18	17,380.00	15,608.92	10,833.43	667.00	27,109.35	15.42%	1,199.00	14,845.26
कुल	1,06,110.00	95,925.14	10,833.43	667.00	1,07,425.57		1,199.00	14,845.26

स्रोत: राज्य वित्त रिपोर्ट और विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि गत चार वर्षों के दौरान कुल प्राप्तियों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति थी, हालांकि 2014-15 में प्राप्तियों का प्रतिशत 13.23 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 11.53 प्रतिशत हो गया और उसके बाद 2017-18 में बढ़कर 15.42 प्रतिशत हो गया।

2.3.3 राज्य को क्षतिपूर्ति

माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 5 और 6 के अनुसार परिवर्तन अवधि के दौरान जी.एस.टी. में सम्मिलित करों के राजस्व की प्रक्षेपित नाममात्र विकास दर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। वर्ष 2017-18 के लिए प्रक्षेपित राजस्व ₹ 19,794.00 करोड़ था। देय क्षतिपूर्ति प्रक्षेपित राजस्व और राज्य द्वारा संग्रहित वास्तविक राजस्व का अंतर है। राज्य को देय क्षतिपूर्ति को अस्थाई रूप से परिगणित किया जाना था और प्रत्येक दो मास की अवधि की समाप्ति पर जारी किया जाना था। राज्य ने 2017-18 और 2018-19 (जनवरी 2019 तक) ₹ 1,199.00 करोड़ और ₹ 2,287.00 करोड़ क्षतिपूर्ति प्राप्त की।

2.3.4 कानूनी/सांविधिक तैयारी

राज्य सरकार ने हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और हरियाणा माल एवं सेवा कर नियम 2017 अधिसूचित किया (जून 2017)। राज्य में ई-वे बिल प्रणाली अंतर्राज्यीय लेन-देनों पर दिनांक 1 अप्रैल 2018 से और राज्य के अंदर लेन-देनों पर 20 अप्रैल 2018 से कार्यान्वित कर दिया गया। आगे, राज्य में जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के सरलीकरण के लिए समय-समय पर राज्य द्वारा आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की गईं। राज्य

⁴ मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर और मनोरंजन कर।

सरकार/वाणिज्यिक कर विभाग (सी.टी.डी.) ने फरवरी 2019 तक जी.एस.टी. के संबंध में 229 अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश जारी किए।

2.3.5 आई.टी. मूलभूत संरचना एवं तैयारी

जी.एस.टी.एन. द्वारा करदाताओं को पंजीकरण, भुगतान एवं रिटर्नस फाईल करने की तीन फ्रंट-एंड सेवाएं प्रदान करनी थी। हरियाणा ने जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के लिए मॉडल-1 का विकल्प के रूप में चुना। अतः पंजीकरण, अनुमोदन, करदाता विवरण व्यूअर, रिफंड प्रोसेसिंग, एम.आई.एस. रिपोर्ट्स इत्यादि जैसी बैक-एंड सेवाएं जी.एस.टी. प्रशासन के लिए स्वयं राज्य द्वारा विकसित किया गया।

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एन.ई-जी.पी.) के अंतर्गत जी.एस.टी. पूर्व प्रणाली के दौरान विभागीय गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूटरीकरण एवं वाणिज्यिक करों के लिए अभियान मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) हेतु चयनित की गई। विभाग ने सिस्टम इंटीग्रेटर के रूप में मैसर्स विप्रो लिमिटेड को नियुक्त किया। जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के बाद बैक-एंड एप्लिकेशन की संरचना के लिए भी मैसर्स विप्रो लिमिटेड को सौंपा गया था और मैसर्स अन्स्ट और यंग एल.एल.पी. जी.एस.टी. मामलों के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे।

एम.एम.पी.सी.टी. परियोजना के अंतर्गत जिला कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्शन 2 एम.बी.पी.एस. की दर पर और मुख्य कार्यालय को 5 एम.बी.पी.एस.की दर पर दिया गया जिसे मुख्य कार्यालय को 15 एम.बी.पी.एस. तक और जिला कार्यालयों को 10 एम.बी.पी.एस. तक बढ़ा दिया गया। राज्य के सभी 59 कार्यालयों हरियाणा राज्य डाटा केंद्र (एस.डी.सी.) पर रिलायंस इंटरनेट लिंक के माध्यम से हरियाणा उत्पाद पोर्टल पर ऐक्सेस है। तथापि, फील्ड कार्यालयों के मामलों में कम्प्यूटर हरियाणा राज्य वाईड एरिया नेटवर्क (एच.एस.डब्ल्यू.ए.एन.) के माध्यम से एस.डी.सी. से जुड़े थे।

177 एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसिज (ए.पी.आई.) जी.एस.टी.एन. द्वारा जारी की गईं। हालांकि, केवल 85 ए.पी.आई. पूर्ण की गईं (फरवरी 2019) और शेष ए.पी.आई. प्रगति पर थी। ए.पी.आई. को कार्यान्वित करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न तकनीकी समस्याओं का सामना किया गया और इसकी सूचना जी.एस.टी.एन. को दी गई। विभाग के 28 मामले उत्पादन पर्यावरण में और 2 मामले यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग (यू.ए.टी.) वातावरण से संबंधित जी.एस.टी.एन. के पास लंबित थे। जी.एस.टी. प्रयोजन के लिए कोई विशेष मूलभूत संरचनाएं नहीं खरीदी गईं। जी.एस.टी. से पूर्व प्रणाली की सभी मूलभूत संरचनाएं विभाग द्वारा प्रयुक्त कर ली गईं।

2.3.6 विभाग द्वारा क्षमता निर्माण प्रयास

मास्टर प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए जी.एस.टी. पर रिक्रेशर प्रशिक्षण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राष्ट्रीय सीमा शुल्क अकादमी, उत्पाद और नारकोटिक्स, नई दिल्ली में दो चरणों में आयोजित की गई (मई एवं जून 2017)। 69 मास्टर प्रशिक्षणार्थियों का आई.टी. प्रशिक्षण जी.एस.टी.एन. के पर्यवेक्षण के अंतर्गत चेन्नई में इन्फोसिस कैंपस में आयोजित किया गया। आगे, संयुक्त उत्पाद एवं कराधान आयुक्त के स्तर तक 29 अधिकारियों के लिए आई.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुग्राम में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (एच.आई.पी.ए.) में दो चरणों में आयोजित की गई।

विभाग ने भी अन्य विभागीय अधिकारियों के लिए विभिन्न आई.टी. प्रशिक्षण पंचकूला में सी.टी.डी. मुख्यालय पर आयोजित किए। जी.एस.टी. संबंधित सूचना जैसे अधिनियम/नियम/अधिसूचनाएं/परिपत्र/आदेश/हैल्प डेस्क/फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनज (एफ.ए.क्यू.), महत्वपूर्ण तिथियां, ई-वे बिल और डिजीटल हस्ताक्षर सत्यापन इत्यादि प्रदान करने के लिए विभागीय वेबसाइट पर 'जी.एस.टी. कोर्नर' टैब भी शुरू किया। करदाताओं की समस्याओं/सवालों को सुलझाने के लिए एक "केंद्रीकृत यूजर मैनुअल" भी स्थापित किया गया। व्यापार करने में सुगमता के लिए जिला स्तर पर भी हैल्प डेस्क स्थापित किए गए।

2.3.7 जी.एस.टी. का कार्यान्वयन

जी.एस.टी.एन. द्वारा करदाताओं को पंजीकरण, कर का भुगतान और रिटर्नस फाईल रखने जैसी तीन फ्रंट एंड सेवाएं प्रदान की गई। आगे, परिवर्तन प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान करदाताओं को प्रवास सुविधा भी प्रदान की गई। बैक-एंड सेवाएं जैसे पंजीकरण अनुमोदन, करदाता विवरण, अवलोकन, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एल.यू.टी.) प्रक्रिया, रिफंड प्रबंधन, सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट्स इत्यादि राज्य (मैसर्ज विप्रो लिमिटेड) के माध्यम से प्रदान की जा रही थी।

2.3.7.1 करदाताओं का पंजीकरण

प्रत्येक व्यक्ति एक वैध परमानेंट एकाउंट नंबर (पी.ए.एन.) वाले को पूर्व जी.एस.टी. से पहले किसी नियमों के अंतर्गत पंजीकृत अस्थाई आधार पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और जिन्हें पंजीकरण का अंतिम प्रमाण-पत्र निर्धारित शर्तों की पूर्णता पर प्रदान किया जाना था। आगे, ₹ 20 लाख से अधिक की प्रारंभिक सीमा वाले करदाताओं का जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकरण किया जाना अपेक्षित था।

2.3.7.2 करदाताओं का प्रवास

हरियाणा जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 24 के अनुसार, किसी भी वर्तमान नियम के अंतर्गत पंजीकृत और जिसके पास पैन है ऐसा कोई भी व्यक्ति अपना ई-मेल एड्रेस और मोबाइल संख्या की पुष्टि करवाकर दाखिल सामान्य पोर्टल पर नामंकित होगा और ऐसे व्यक्ति को अस्थाई आधार पर पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसे एक अस्थाई पंजीकरण प्रदान किया गया है सामान्य पोर्टल पर आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट सूचना एवं दस्तावेजों के साथ-साथ एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकरण

प्रमाण-पत्र इलेक्ट्रोनिकली उपलब्ध करवाया जाएगा यदि आवेदन में प्रस्तुत सूचना एवं ब्यौरे सही एवं पूर्ण पाए जाते हैं। विभाग द्वारा प्रदान (फरवरी 2019) सूचना के अनुसार, अनंतिम पंजीकरण एवं सी.टी.डी. में वर्तमान पंजीकृत डीलरों के अनंतिम पंजीकरण एवं अंतिम पंजीकरण की स्थिति नीचे दी गई हैं:

वैट के अंतर्गत पंजीकृत कुल करदाता (30.06.2017 को)	वैट से प्रवासित डीलर	नए पंजीकरण	कुल
2,38,828	2,14,678	2,32,039	4,46,717

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि वर्तमान डीलरों का 90 प्रतिशत जी.एस.टी. पूर्व प्रणाली से प्रवासित थे और अंत में जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकृत हुए। शेष 10 प्रतिशत करदाताओं ने न्यूनतम सीमा/व्यवसाय बंद होने इत्यादि में वृद्धि के कारण प्रवासित नहीं किया।

2.3.7.3 केंद्र एवं राज्य के मध्य करदाताओं का आबंटन

जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के अनुसार, ₹ 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले प्रवासित करदाताओं का 90 प्रतिशत और ₹ 1.5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले प्रवासित करदाताओं का 50 प्रतिशत राज्य को आबंटित किए गए। तदनुसार, कुल 2,42,000 करदाताओं में से राज्य को नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार वितरण के प्रथम चरण में 1,80,829 करदाताओं का क्षेत्राधिकार आबंटित किया गया:

क्षेत्राधिकार	₹ 1.5 करोड़ से अधिक जी.एस.टी. वाले करदाताओं की संख्या	₹ 1.5 करोड़ से कम जी.एस.टी. वाले करदाताओं की संख्या	कुल
राज्य	25,172 (50%)	1,55,657 (90%)	1,80,829
केंद्र	25,171 (50%)	17,288 (10%)	42,459
कुल	50,343	1,72,945	2,23,288

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

विभाग ने सूचित किया कि 2,42,000 करदाता आबंटन के प्रथम चरण में शामिल थे और शेष करदाताओं का आबंटन अभी किया जाना था। जिसमें से केवल 2,23,288 करदाता राज्य एवं केंद्र को आबंटित किए गए। शेष 18,712 करदाता अनधिकृत करदाता, अवैध जी.एस.टी.आई.एन. इत्यादि होने के कारण आबंटित नहीं किए गए।

2.3.7.4 रिटर्नस फाईल करना

हरियाणा जी.एस.टी. नियमावली, 2017 के नियम 59 से 61 के अनुसार, एकमुश्त करदाताओं के अतिरिक्त करदाताओं द्वारा माल और सेवाओं की बर्हिगामी आपूर्तियों के ब्यौरे फार्म जी.एस.टी.आर.-1 में प्रस्तुत करने अपेक्षित थे, माल या सेवाओं की अंतर्गामी आपूर्ति के ब्यौरे फार्म जी.एस.टी.आर.-2 और एक रिटर्न फार्म जी.एस.टी.आर.-3 (जी.एस.टी.आर.-1 और जी.एस.टी.आर.-2 के माध्यम से प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा मासिक तौर पर इलेक्ट्रोनिकली सृजित) जबकि एकमुश्त करदाताओं द्वारा त्रैमासिक रिटर्न जी.एस.टी.आर.-4 फाईल करनी अपेक्षित है।

रिटर्न फाईल करने की निर्धारित प्रक्रिया नई कर प्रणाली की प्रारंभिक अवधि में कठिनाईयों के निपटान के लिए संशोधित की गई है। अतः जी.एस.टी.आर.-2 और जी.एस.टी.आर.-3 फाईल करना विलंबित किया गया और सभी करदाताओं के लिए आगामी मास की 20 तारीख तक कर के भुगतान के साथ फार्म जी.एस.टी.आर.-3, बी में साधारण मासिक रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य था। आगे, ₹ 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाताओं ने त्रैमासिक आधार पर जी.एस.टी.आर.-1 फाईल करनी थी। फाईल की गई रिटर्नस के ब्यौरे निम्नानुसार थे:

अवधि	कुल योग्य करदाताओं की सीमा	फाईल किए गए जी.एस.टी.आर.-3बी करदाताओं की प्रतिशतता की सीमा	जी.एस.टी.आर.-4 फाईल किए गए करदाताओं की प्रतिशतता की सीमा	जी.एस.टी.आर.-5 फाईल किए गए करदाताओं की प्रतिशतता की सीमा	जी.एस.टी.आर.-6 फाईल किए गए करदाताओं की प्रतिशतता की सीमा
जुलाई 2017 से मार्च 2018	2,58,469 -3,53,197	84.52 से 98.28	76.22 से 87.21	33.33 से 50.00	35.89 से 59.02
अप्रैल 2018 से जनवरी 2019	3,60,761- 4,18,669	75.58 से 89.42	82.99 से 91.68	12.50 से 50.00	56.41 से 61.52

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

जुलाई 2017 से मार्च 2018 अवधि के दौरान करदाताओं की संख्या 2,58,469 से 3,53,197 तक बढ़ गई परंतु जी.एस.टी.आर.-3, बी रिटर्नस की प्रतिशतता 98.28 प्रतिशत से कम होकर 84.52 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, एकमुश्त करदाताओं द्वारा जी.एस.टी.आर.-4 में रिटर्नस फाईल करना 87.21 से कम होकर 76.22 प्रतिशत हो गया (परिशिष्ट-V)।

अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान करदाताओं की संख्या 3,60,761 से बढ़कर 4,18,669 हो गई, जबकि जी.एस.टी.आर.-3बी रिटर्न दाखिल करना 89.42 प्रतिशत से घटकर 75.58 प्रतिशत हो गया। जी.एस.टी.आर.-4 में एकमुश्त करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करना 91.68 प्रतिशत से घटकर 82.99 प्रतिशत हो गया।

2.3.7.5 परिवर्तित क्रेडिट

हरियाणा जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 140 के साथ पठित हरियाणा जी.एस.टी. नियमावली के नियम 117 के अनुसार, पंजीकृत करदाता जी.एस.टी. पूर्व नियम के अंतर्गत फाईल किए गए रिटर्न में आगे ले जाई गई इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जो रिटर्नस में आगे नहीं ले जाई गई और संपत्ति माल के संबंध में बकाया इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिटर्न में अग्रेषित नहीं थे, लेने के हकदार थे। पंजीकृत व्यक्ति टी.आर.ए.एन.-1 निर्धारित फार्म में रिटर्न फाईल करनी अपेक्षित थी। तथापि, करदाताओं को क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं थी जहां नियत तिथि से आगामी छः माह की अवधि के लिए तुरंत जी.एस.टी. पूर्व कानून के अंतर्गत सभी अपेक्षित रिटर्नस प्रस्तुत नहीं की गई।

49,253 करदाताओं ने टी.आर.ए.एन.-1 फाईल की और ₹ 14,461.35 करोड़ के परिवर्तित क्रेडिट का दावा किया। 2,058 करदाताओं ने टी.आर.ए.एन.-1 में प्रत्येक ₹ 10 लाख से अधिक ₹ 3,448.59 करोड़ राशि (1,203 करदाताओं ने ₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख जो ₹ 571.63 करोड़ राशि बनी और 855 करदाताओं प्रत्येक ने ₹ 25 लाख से अधिक आई.टी.सी. का दावा किया जो ₹ 2,876.96 करोड़ बने) आई.टी.सी. का दावा किया।

अनुमत/निरस्त क्रेडिट का केंद्रीकृत डाटा विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

2.3.7.6 जी.एस.टी. के अंतर्गत रिफंड

जी.एस.टी.एन. के अंतर्गत रिफंड मोड्यूल कार्यात्मक नहीं था अतः रिफंड आवेदकों को मैनुअल प्रणाली द्वारा अनुमत किए जा रहे हैं। रिफंड प्रक्रिया में शेष राशि रिफंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या विशिष्ट कर अवधि की समाप्ति पर अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष राशि के रिफंड के लिए विशिष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित की जा रही थी। अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड उस मामले में अनुमत किया गया जहां शून्य-दर आपूर्तियां कर के भुगतान के बिना की गईं या जब क्रेडिट बहिर्मुखी आपूर्तियों पर कर की दर से उच्चतर होने पर इनपुटस क्रेडिट एकत्रित हो गईं थी। विभाग द्वारा जी.एस.टी. उपलब्ध सूचना के अनुसार रिफंडज की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

फरवरी 2019 तक रिफंड का दावा		अनुमत रिफंड		अस्वीकृत रिफंड		लंबित रिफंड	
करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि	करदाताओं की संख्या	राशि
8,903	1,498.12	6,809	986.45	987	114.57	1,107	337.08

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

इस प्रकार, विभाग ने पंजीकृत करदाताओं का 76 प्रतिशत रिफंड अनुमत किया और दावा की गई कुल राशि का 66 प्रतिशत रिफंड कर दिया गया।

2.3.7.7 ई-वे बिल

जी.एस.टी. प्रणाली में ई-वे बिल सृजन करने का प्रावधान है जो एक ऐसा दस्तावेज है जिसे माल के आवागमन के प्रारंभ से पहले सामान्य पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजन किया जाता है व वाहन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपने साथ रखा जाए।

ई-वे बिल का कार्यान्वयन अंतर्राज्यीय लेन-देनों के लिए 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी और राज्यों से बाहर लेन-देनों के लिए 20 अप्रैल 2018 से प्रभावी किया गया था, जिसके बाद फरवरी 2019 तक ई-वे बिल पोर्टल पर 1,50,355 करदाताओं का पंजीकरण किया गया। 1,958 ट्रांसपोर्टर्स का भी नामांकन किया गया। 2.12 करोड़ अंतर्राज्यीय और 2.45 करोड़ राज्य के भीतर ई-वे बिल ई-वे पोर्टल पर सृजित किए गए। सड़क पर जांच के दौरान विभाग को ऐसे 2,573 ई-वे बिलों का पता चला जो सही नहीं थे और 7,446 आपूर्तियां बिना ई-वे बिल के थी जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

फरवरी 2019 तक जांचे गए ई-वे बिलों की संख्या	मामलों की संख्या जहां ई-वे बिल गलत थे	मामलों की संख्या जो ई-वे बिल के बिना थे	कर और जुर्माने की कुल राशि
8,09,724	2,573	7,446	94.91

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि कुल 10,019 ई-वे बिल या तो सही थे या माल की आपूर्ति बिना ई-वे बिलों के की गई थी। विभाग ने असत्य/बिना ई-वे बिलों के लिए ₹ 94.91 करोड़ का कर और जुर्माना लगाया।

2.3.8 कानूनी मामले

जी.एस.टी. एक क्रांतिकारी कदम है जिसे राज्य कर प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग का स्थान लेने के लिए स्थापित किया गया है। इसमें विभाग की सारी मानवशक्ति शामिल होगी। अतः यह आवश्यक है कि लीगेसी प्रणाली की लंबित समस्याओं को दूर किया जाए और नई प्रणाली का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जाए। कानूनी समस्याओं की स्थिति निम्नानुसार है:

2.3.8.1 वैट मामलों का निर्धारण

जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से पूर्व डीलर हरियाणा वैट अधिनियम, 2003, केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 और अन्य करों जैसे प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत थे। इसलिए, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (प्रथम तिमाही) वर्षों के लिए वैट के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों के निर्धारणों का संदर्भित वर्ष के दो वर्षों की निर्धारित अवधि के भीतर विभाग द्वारा पूर्ण किया जाना था। हरियाणा वैट अधिनियम में मान्य निर्धारण और संवीक्षा निर्धारण का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष संवीक्षा निर्धारण के चयन के लिए अनुदेश जारी किए जाते हैं। वर्ष 2017-18 (पहली तिमाही) के लिए मान्य निर्धारण और 2016-17 के लिए संवीक्षा निर्धारण लंबित था। वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर निर्धारण के लिए कुल 3,12,411 मामले थे। विभाग ने सूचित किया कि वैट के अधीन 3,23,689 मामले और सी.एस.टी. के अंतर्गत 3,23,153 मामले निर्धारण के लिए लंबित थे (जनवरी 2019)।

2.3.8.2 बकायों की वसूली

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा 26 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत फाईल की गई रिटर्नस के अनुसार देय स्वीकृत किए गए कर सहित कोई भी देय राशि, जो भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद बिना भुगतान के रह जाती है, चूककर्ता की संपत्ति का प्रथम प्रभार होगा और उससे वैसे वसूलनीय होगा जैसे भू-राजस्व के बकाया हों।

31 मार्च 2018 को कुल ₹ 11,069.39 करोड़ के बकाया (वैट और सी.एस.टी.) लंबित थे। जिसमें से ₹ 2,149.64 करोड़ लंबित कोर्ट मामलों के कारण रुके हुए थे, ₹ 1,208.34 करोड़ भूल सुधार/समीक्षा/अपील के कारण रुके हुए थे। ₹ 7,711.41 करोड़ की शेष राशि कार्रवाई के विभिन्न स्तरों जैसे कोर्ट/न्यायिक प्राधिकारियों, कार्यालयीन परिसमापक द्वारा स्टे आदेश के कारण रोकी गई थी।

2.3.8.3 जी.एस.टी. से पहले अवधि के रिफंड

2013-14 से 2017-18 अवधि के दौरान जी.एस.टी.-पूर्व अवधि के लिए अनुमत/समायोजित रिफंड की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मामलों की संख्या	रिफंड की राशि
2013-14	3,141	677.77
2014-15	2,348	647.49
2015-16	1,805	611.91
2016-17	1,971	651.52
2017-18	2,583	685.17
कुल		3,273.86

स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

विभाग ने गत पांच वर्षों के दौरान ₹ 3,273.86 करोड़ का रिफंड अनुमत/समायोजित किया। वर्ष 2017-18 के अंत में, विभाग द्वारा ₹ 89.96 करोड़ की राशि वाले 348 रिफंड मामलों को अंतिम रूप दिया जाना था। डीलरों द्वारा जी.एस.टी. से पूर्व अवधि के छोड़े गए दावे यदि कोई हों, विभाग रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए डीलरों को संवेदनशील बनाने पर विचार कर सकता है। यह राज्य के राजस्व के हित में है, यदि रिफंड अनुमत करने के कारण राजस्व में कमी, यदि कोई हो, की भरपाई केवल पांच साल की संक्रमणकालीन अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी और संक्रमणकालीन अवधि के बाद के अनुमत किया गया रिफंड राज्य के राजस्व को बुरी तरह प्रभावित करेगा।

2.3.9 निष्कर्ष

विभाग/सरकार जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के लिए तैयारी में त्वरित थी जैसा कि जी.एस.टी. परिषद द्वारा अनुमोदित मॉडल नियम के अनुसार अधिनियमों एवं नियमों के अधिनियमन, वर्तमान करदाताओं का प्राथमिक नाम प्रवेश, क्षमता निर्माण प्रयास इत्यादि के संदर्भ में देखी जा सकती है। 1 जुलाई, 2017 से नियमों/विनियमों में बार-बार परिवर्तन हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप जी.एस.टी. निर्धारित करने की कई प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन नहीं हुआ। आगे, आई.टी. समाधान पूर्ण रूप से विकसित किया जाना था और रिटर्नस फाईल करने के बारे में समस्या का समाधान नहीं हुआ था। विभाग द्वारा लीगेसी कर प्रणाली से संबंधित समस्याओं को केंद्रीभूत व्यवस्थाओं के माध्यम से शीघ्र सुलझाने की आवश्यकता है।

2.4 ठेकेदारों/विकासकों से वैट निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण

2.4.1 प्रस्तावना

आबकारी एवं कराधान विभाग ने अपंजीकृत डीलरों की पहचान को सरल करने के लिए अन्य विभागों से सूचना संग्रहण के लिए प्रणाली स्थापित नहीं की। अपंजीकृत ठेकेदारों से कर की अवसूली के मामले, कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा सृजित अतिरिक्त मांग पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना, कर का उद्ग्रहण न होना, वैट डी-1 फार्म के दुरुपयोग के लिए कर व जुर्माना का न लगाना और कर की गलत दर लागू होने के कारण कर और ब्याज का कम उद्ग्रहण आई.टी.सी. के अतिरिक्त लाभ की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण, ठेकेदारों द्वारा सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.) का छिपाव और एमनेस्टी स्कीम के अधीन कर के कम निर्धारण के दृष्टांत देखे गए, जिनके परिणामस्वरूप ₹ 79.78 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 के अनुसार, कार्य संविदा में नकद स्थगित भुगतान या अन्य कीमती लेन-देन किसी चल या अचल संपत्ति का संयोजन, निर्माण, भवन, फेरबदल, उत्पादन, प्रसंस्करण, संरचना, प्रस्थापन, सज्जित, सुधार, मरम्मत या चालू करने का कोई भी करार शामिल है।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 ठेकेदार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो या स्वयं या उप ठेकेदार के माध्यम से कार्य संविदा का निष्पादन करता है। ठेकेदार को एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत स्वयं को धारा 11 के अंतर्गत डीलर के रूप में या अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एकमुश्त डीलर के रूप में पंजीकृत करवाना होता है।

एकमुश्त डीलर द्वारा कुल प्राप्तियों का चार प्रतिशत (11 अगस्त 2014 तक) और पांच प्रतिशत (12 अगस्त 2014 से) की दर पर कर का भुगतान करना अपेक्षित है और वे

इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है। जो एकमुश्त न हो ऐसा डीलर/ठेकेदार कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल पर लागू दरों पर कर का भुगतान करने का दायी होता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या एच.वी.ए.टी. अधिनियम/सी.एस.टी. अधिनियम में निहित कार्य संविदा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अनुसरण किया गया है और क्या अधिनियम की उल्लंघना के लिए दंडात्मक कदम प्रारंभ किए गए हैं, और उक्त अधिनियम के अधीन देय कर, ब्याज जुर्माना और अन्य देयों की वसूली के लिए ठेकेदारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालना स्कीम 2016 नामक एमनेस्टी स्कीम के अधीन कर निर्धारण की सत्यता जांचने के लिए लेखापरीक्षा (अगस्त 2017 - मार्च 2018) के दौरान 27 में से 17⁵ डी.ई.टी.सी. बिक्री कर (एस.टी.) कार्यालयों के वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान तैयार किए निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच की गई। अपंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदारों के मामले सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच.यू.डी.ए.), नगर निगमों/नगर परिषद/नगर समितियों (एम.सी.) और हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड (एच.ए.एफ.ई.डी.) से भी सूचना एकत्रित की गई।

2.4.2 अपंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कर का अपवंचन

ठेकेदारों का पंजीकरण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 48 में प्रावधान है कि कराधान प्राधिकारी अन्य विभागों/निगमों/व्यक्तियों से कोई भी सूचना, डेटा और आंकड़े मांग सकता है जो किसी कार्यवाही या कर प्रशासन से प्रासंगिक हो। धारा 16 में अपंजीकृत डीलर के कर उद्ग्रहण और निर्धारण के दौरान निर्धारित कर के बराबर जुर्माना का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने उनके द्वारा लगाए गए निर्माण कार्य ठेकेदारों के बारे में विभिन्न विभागों जैसे कार्यकारी अभियंता, एच.एस.ए.एम.बी.⁶, हुडा⁷, एम.सी.⁸, और एच.ए.एफ.ई.डी. पंचकूला से सूचना मंगवाई। विभागों, जो 11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁹ के अधिकार क्षेत्र अधीन थे, से प्राप्त सूचना से लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि विभाग ने कर अपवंचन का पता लगाने के लिए अपंजीकृत डीलरों के पहचान, पंजीकरण एवं निर्धारण की प्रक्रिया को सरल करने के लिए अन्य विभागों से सूचना संग्रहण के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की थी।

कर अपवंचन

एच.वी.ए.टी. नियमावली 2003 के नियम 10 (2) में प्रावधान है कि एक डीलर जिसके मामले में कर योग्य मात्रा, जैसे कि एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 3 (2) में निर्दिष्ट है, ₹ पांच लाख से अधिक है, जब उसका कुल टर्नओवर किसी वर्ष में कर-योग्य संख्या से बढ़

⁵ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक तथा सोनीपत।

⁶ अंबाला, भिवानी, गुरुग्राम, जगाधरी, जींद, रेवाड़ी तथा रोहतक।

⁷ भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, पंचकूला, पानीपत तथा रेवाड़ी।

⁸ अंबाला, गुरुग्राम, जींद, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

⁹ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम (पूर्व), जगाधरी, जींद, करनाल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

जाए उस दिन या उससे अगले दिन पर कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा। ऐसे सभी डीलरों के लिए एच.वी.ए.टी. की धारा 11 (2) के अंतर्गत पंजीकरण अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने कार्यकारी अभियंता, एच.एस.ए.एम.बी., एच.यू.डी.ए., एम.सी. और एच.ए.एफ.ई.डी. पंचकूला से संग्रहित सूचना की 11 डी.ई.टी.सी. के पंजीकरण अभिलेखों के साथ सत्यापन किया। यह अवलोकित किया गया कि 1,043 निर्माण कार्य ठेकेदार ₹ पांच लाख के कर-योग्य टर्नओवर की प्रारंभिक सीमा से अधिक था। उन्होंने 2014-15 से 2016-17 के दौरान निर्माण कार्य संविदाओं के निष्पादन के लिए ₹ 407.29 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था। तथापि, ये ठेकेदार एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे और उन्होंने ₹ 407.29 करोड़ की बिक्री को छिपाया।

अपंजीकृत डीलरों को पहचानने के प्रयोजन से सर्वेक्षण करवाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप अपंजीकृत डीलरों से ₹ 19.80 करोड़¹⁰ के कर की वसूली नहीं हुई और ₹ 19.80 करोड़ की अनिवार्य पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर चार¹¹ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) ने बताया (सितंबर 2017 और मई 2018 के मध्य) कि मामले जांच के अधीन थे। शेष सात डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार करे:

- टेंडरिंग के स्तर पर ठेकेदारों के टिन मंगवाने के लिए सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, पी.एस.यू. को निर्देश जारी करना
- सभी निर्माण कार्य ठेकेदारों का पता लगाने के लिए अन्य विभागों से सूचना के आदान-प्रदान की प्रणाली विकसित करने हेतु विभागों को निर्देश देना।

2.4.3 ब्याज का अनुद्ग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो यदि भुगतान नब्बे दिन के भीतर कर दिया जाए तो उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त वह एक प्रतिशत प्रतिमाह पर साधारण ब्याज और यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए नब्बे दिन से अधिक तक चूक जारी रहती है तो दो प्रतिशत प्रतिमाह पर भुगतान के लिए दायी होगा।

छ: डी.ई.टी.सी.¹² (एस.टी.), में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 10 ठेकेदारों ने अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान नहीं किया था। कर-निर्धारण प्राधिकारियों (ए.ए.) ने ठेकेदारों के निर्धारण को सुनिश्चित किया और

¹⁰ 13.125 प्रतिशत की दर पर श्रम और सेवा प्रभारों पर लगाए कर 25 प्रतिशत कटौती घटना तथा ठेका देने वालों द्वारा वास्तविक टी.डी.एस. (11.08.14 तक 4.2 प्रतिशत की दर और 12.08.14 से 5.25 प्रतिशत की दर पर) घटना। (जी.टी.ओ. ₹ 407.29 करोड़ - 25 प्रतिशत श्रम और सेवा प्रभार) = ₹ 101.82 करोड़। ₹ 407.29 करोड़ - ₹ 101.82 करोड़ = ₹ 305.47 करोड़। ₹ 305.47 करोड़ X 13.125 प्रतिशत = ₹ 40.09 करोड़ - ₹ 20.29 करोड़ (टी.डी.एस. कटौती) = ₹ 19.80 करोड़।

¹¹ अंबाला, गुरुग्राम (पूर्व), पंचकूला तथा रोहतक।

¹² फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), जगाधरी, रोहतक तथा सोनीपत।

₹ 11.21 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की परंतु ₹ 7.12 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

यह इंगित किए जाने पर, तीन ए.ए.¹³ ने बताया (फरवरी और मई 2018) कि तीन मामलों में ₹ 5.51 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। आगे, ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया कि दो मामलों में पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था। ए.ए. जगाधरी ने बताया (दिसंबर 2017) कि मामला स्वतः कार्यवाही करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी (आर.ए.) को भेजा गया था। ए.ए. रोहतक ने बताया (मई 2018) कि डीलर ने मई 2017 में ₹ 0.06 करोड़ का डब्ल्यू.सी.टी. जमा करवाया था और उसे 2014-15 वर्ष में समायोजित कर लिया गया। ए.ए. का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर ने 2014-15 की बजाए वर्ष 2017-18 के लिए कर जमा करवाया था और एक अन्य मामले में प्रस्तुत टी.डी.एस. की प्रमाणिकता की जांच की जानी अभी लंबित थी। ए.ए. सोनीपत ने दो मामलों के बारे में बताया (मई 2018) कि डीलर ने आदेश के विरुद्ध संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (अपील) के सामने अपील दर्ज की थी और इसे ए.ए. को वापस भेज दिया गया और रिमांड मामले के लिए कार्यवाही शुरू की गई।

2.4.4 फार्म वैट डी-1 के दुरुपयोग के लिए कर/जुर्माना का अनुद्ग्रहण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, कर की रियायती दर पर माल की खरीद के लिए केवल एकमुश्त ठेकेदार/डीलर वैट डी-1¹⁴ के प्रयोग के लिए हकदार हैं। यदि एक ठेकेदार/डीलर जो एकमुश्त नहीं है, वैट डी-1 फार्म का प्रयोग करे वह अतिरिक्त कर के भुगतान का दायी होगा, और एच.वी.ए.टी. की धारा 7 (5) के अधीन, ऐसी पेनल्टी जो अतिरिक्त कर के 1.5 गुणा से अधिक न हो, उस पर लगाई जानी अपेक्षित है।

सात डी.ई.टी.सी.¹⁵ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि गैर-एकमुश्त निर्माण कार्य ठेकेदारों ने भवन/सड़क इत्यादि के निर्माण में प्रयोग के लिए फार्म वैट डी-1 के विरुद्ध ₹ 16.28 करोड़ मूल्य के मालएं/माल खरीदा था। अतः ठेकेदार अतिरिक्त कर और पेनल्टी का भुगतान करने के दायी थे। ए.ए., निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय अतिरिक्त कर और जुर्माना के उद्ग्रहण में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45¹⁶ करोड़ के अतिरिक्त कर का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.18 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. सोनीपत ने बताया (मई 2018) कि ₹ 0.04 करोड़ की मांग सृजित की गई थी। तीन¹⁷ ए.ए. ने बताया (सितंबर 2017 और मई 2018 के मध्य) कि तीन मामले आर.ए. को स्वतः कार्यवाही करने के लिए भेजे गए थे। ए.ए. भिवानी ने बताया (मार्च 2018) कि दो मामलों में डीलर नियमित पंजीकृत डीलर के तौर पर न कि ठेकेदार के तौर पर पंजीकृत थे।

¹³ फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम)।

¹⁴ वैट डी-1 के विरुद्ध खरीदे माल पर लागू दर के आधार पर परिगणित कर बिक्री द्वारा संचार नेटवर्क, माइनिंग, बिजली सृजन और एक मुश्त डीलर द्वारा निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन के लिए माल के विनिर्माण में प्रयोग के लिए रियायती दर पर माल खरीदने के लिए संबंधित ए.ए. द्वारा खरीदने वाले डीलर को फार्म वैट डी-1 जारी किया जाता है।

¹⁵ अंबाला, भिवानी, गुरुग्राम (दक्षिण), जगाधरी, कैथल, पंचकूला तथा सोनीपत।

¹⁶ वैट डी-1 के विरुद्ध खरीदे माल पर लागू दर के आधार पर परिगणित कर।

¹⁷ अंबाला, गुरुग्राम (दक्षिण) तथा पंचकूला।

ए.ए. के उत्तर सही नहीं थे क्योंकि पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार डीलर निर्माण कार्य संविदा के कार्य के लिए पंजीकृत किए गए थे। ए.ए. जगाधरी ने बताया (मई 2018) कि मामला पुनःनिर्धारण के लिए ले लिया गया।

राज्य सरकार लाभ की अनुमति देने से पहले डी-1 फॉर्म के विरुद्ध रियायत दर की स्वीकार्यता को सत्यापित करने के लिए ए.ए. को निर्देश दे सकती है।

2.4.5 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर और ब्याज का कम उद्ग्रहण

11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹⁸ में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 25 गैर-एकमुश्त ठेकेदारों ने 2014-15 और 2016-17 के मध्य ₹ 107.44 करोड़ मूल्य के निर्माण कार्य निष्पादित किए और एकमुश्त ठेकेदारों के लिए लागू दरों पर कर का भुगतान किया। ए.ए. ने संविदा में प्रयुक्त माल पर लागू दर पर कर की बजाय एकमुश्त दरों पर निर्धारण किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.57 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.69 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रहण था।

यह इंगित किए जाने पर,

- सात ए.ए.¹⁹ ने बताया (मार्च और मई 2018 के मध्य) कि 16 मामले स्वतः कार्रवाई के लिए आर.ए. को भेजे गए थे।
- ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (मई 2018) कि एक मामले में ₹ 0.17 करोड़ की मांग सृजित की गई थी और एक अन्य मामले में पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था।
- ए.ए. हांसी (हिसार) ने बताया (अप्रैल 2018) कि पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस जारी किया गया था। ए.ए. करनाल ने बताया (मार्च 2018) कि एक मामले में नोटिस जारी किया गया था और अन्य मामले में मामला जांच अधीन था।
- ए.ए. पानीपत ने एक मामले में बताया (मई 2018) कि मामला जांच अधीन था और एक अन्य मामले में (फरवरी 2017) आदेश संशोधित किया गया और ₹ 6.65 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।
- ए.ए. पंचकूला ने बताया (दिसंबर 2017) कि मामला आर.ए. से वापस भेज दिया गया और डीलर को नोटिस जारी कर दिया गया।
- ए.ए. सोनीपत ने बताया (मई 2018) कि एम.सी. भी राज्य सरकार का एक विभाग था। अतः कर कम दर पर सही उद्ग्रहीत किया गया था। ए.ए. का उत्तर सही नहीं क्योंकि ठेकेदार गैर-एकमुश्त ठेकेदार था और माल पर लागू दर पर कर के भुगतान का दायी था।

2.4.6 समर्थक दस्तावेजों के बिना उप-संविदा पर कर की छूट

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 42 में प्रावधान है कि ठेकेदार और उप-ठेकेदार दोनों संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में संयुक्त रूप से और कई बार कर के भुगतान के दायी होते हैं चाहे उप ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में शामिल माल या किसी अन्य रूप में

¹⁸ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), हिसार, जगाधरी, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत तथा सोनीपत।

¹⁹ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (दक्षिण), जगाधरी, कुरुक्षेत्र तथा पंचकूला।

शामिल हों। ठेकेदार द्वारा कोई कर भुगतान योग्य नहीं है यदि वह ए.ए. की संतुष्टि पर यह प्रमाणित कर दे कि उप ठेकेदार द्वारा कर का भुगतान कर दिया गया और ऐसे कर का निर्धारण अंतिम कर दिया गया है।

दो डी.ई.टी.सी.²⁰ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि दस ठेकेदारों ने ₹ 101.01 करोड़ मूल्य की उप-संविदा पर निर्धारण आदेश/उप ठेकेदारों द्वारा भुगतान किए गए कर का प्रमाण जैसे समर्थक दस्तावेजों बिना कर की छूट का दावा किया। निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, ठेकेदारों द्वारा की गई घोषणा के आधार पर समर्थक दस्तावेजों के बिना उप संविदा की छूट की अनुमति दे दी गई जिसमें ₹ 9.98 करोड़ की कर देयता शामिल थी।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (मई 2018) कि छः मामलों में पुनःनिर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी। ए.ए. गुरुग्राम (दक्षिण) ने बताया (मई 2018) कि चार मामले स्वतः कार्रवाई करने के लिए आर.ए. के पास भेजे गए थे।

2.4.7 सत्यता की जांच के बिना निर्माण कार्य संविदा कर (डब्ल्यू.सी.टी.) के लाभ की अनुमति देना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 24(5) के प्रावधान के अनुसार, राज्य सरकार को उप-धारा (3) के अनुरूप भुगतान किया गया कोई भी कर उप-धारा (4) के अधीन उसे जारी प्रमाण-पत्र के प्राधिकार पर, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा भुगतान योग्य कर के साथ भुगतान किए जाने वाले द्वारा समायोजन योग्य होगा और ए.ए. इस बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, भुगतान के विधिवत् सत्यापन के बाद ऐसे समायोजन के लाभ की अनुमति देगा।

तीन डी.ई.टी.सी.²¹ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 16 ठेकेदारों ने ₹ 6.26 करोड़ के डब्ल्यू.सी.टी. के लाभ का दावा किया। ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय समय डब्ल्यू.सी.टी. प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना ₹ 6.26 करोड़ के लाभ की अनुमति दे दी। अतः निर्माण कार्य ठेकेदारों को डब्ल्यू.सी.टी. के लाभ की अनुमति के औचित्य का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर, तीन ए.ए.²² ने बताया (मई 2018) कि 15 मामलों में डब्ल्यू.सी.टी. के सत्यापन के लिए पत्र संबंधित डी.ई.टी.सी. को जारी कर दिए गए। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने एक मामले में बताया (मई 2018) कि डब्ल्यू.सी.टी. का लाभ सत्यापन के बाद दिया गया था। ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि ₹ 2.26 लाख के भुगतान का सत्यापन दैनिक संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) के आंकड़ों के अनुसार नहीं किया गया।

2.4.8 परिगणना भूल के कारण कर का अवनिर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, कोई भी करदाता प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, किसी भी मामले में, इसके द्वारा पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से

²⁰ गुरुग्राम (पूर्व) तथा गुरुग्राम (दक्षिण)।

²¹ भिवानी, गुरुग्राम (पूर्व) तथा गुरुग्राम (उत्तर)।

²² भिवानी, गुरुग्राम (पूर्व) तथा गुरुग्राम (उत्तर)।

दो वर्षों की अवधि के भीतर, किसी भी समय पर, इससे विपरीत रूप में प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का यथोचित अवसर देने के बाद मामले के रिकार्ड से प्रत्यक्ष किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकती है।

चार डी.ई.टी.सी.²³ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि चार मामलों में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ए.ए. ने ₹ 94.21 लाख का कर परिगणित किया था परंतु आंकड़ों का योग करते हुए इसे ₹ 40.86 लाख दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.35 लाख कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. पंचकूला और गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया (सितंबर 2017 और मई 2018) कि ₹ 38.29 लाख की मांग सृजित की गई। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (जनवरी 2018) कि पुनःनिर्धारण कार्यवाही शुरू कर दी गई। ए.ए. शाहबाद, (कुरूक्षेत्र) ने बताया (अगस्त 2017) कि मामले की पुनः जांच की जाएगी।

2.4.9 आई.टी.सी. के अधिक लाभ की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल का इनपुट कर उसके द्वारा इस माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। बिक्री के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से माल के निपटान पर आई.टी.सी. अनुमत नहीं है। यदि राज्य में खरीदे गए माल का निपटान आंशिक रूप से बिक्री के द्वारा और आंशिक रूप से स्टॉक स्थानांतरण द्वारा किया जाता है, ऐसे माल पर इनपुट कर प्रो-राटा आधार पर परिगणित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पूर्व) में अवलोकित किया कि निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ए.ए. ने ₹ 1.61 करोड़ मूल्य के माल की खरीद पर ₹ 0.17 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी। डीलर ने ₹ 1.03 करोड़ मूल्य का माल बेचा तथा शेष माल निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयोग कर लिया चूंकि डीलर ने व्यापार और निर्माण कार्य संविदा के लिए पृथक लेखाओं को नहीं रखा था आई.टी.सी. को निर्माण कार्य संविदा में माल के प्रयोग के लिए अनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाना था। अतः आई.टी.सी. ₹ 0.13 करोड़²⁴ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने बताया (जनवरी 2018) कि पुनःनिर्धारण कार्यवाही शुरू कर दी गई।

2.4.10 कर योग्य टर्नओवर के कम निर्धारण के कारण कर का अवनिर्धारण

पांच डी.ई.टी.सी.²⁵ (एस.टी.) में, यह अवलोकित किया गया कि नौ ठेकेदारों के मामले में ए.ए. ने ₹ 198.71 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर (टी.टी.ओ.) का निर्धारण किया था। तथापि, संविदा देने वालों द्वारा जारी डब्ल्यू.सी.टी. प्रमाण पत्रों के अनुसार, डीलरों ने ₹ 225.80 करोड़ (एकमुश्त और गैर एकमुश्त के अधीन क्रमशः ₹ 196.06 करोड़ और ₹ 29.74 करोड़) मूल्य के निर्माण कार्यों का निष्पादन किया। इस प्रकार, ₹ 27.09 करोड़

²³ गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), कुरूक्षेत्र तथा पंचकूला।

²⁴ ₹ 16,66,499 (आई.टी.सी.) x ₹ 4,10,16,214 (एकमुश्त कार्य)
= ₹ 5,13,48,163 (जी.टी.ओ.)

²⁵ अंबाला, गुरुग्राम (पूर्व), हिसार, कैथल तथा पंचकूला।

टी.टी.ओ. का कम निर्धारण था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.76 करोड़ के कर का अवनियोजन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.21 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर,

- ए.ए. पंचकूला ने बताया (मई 2018) कि ₹ 37.20 लाख की मांग सृजित की गई थी।
- ए.ए. अंबाला ने बताया (मार्च 2018) कि मामला पुनःनिर्धारण के लिए भेजा गया था।
- ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने एक मामले में बताया (सितंबर 2017) कि कुल प्राप्त विवरणी के अनुसार जी.टी.ओ. ₹ 4.73 करोड़ की बजाय ₹ 4.35 करोड़ था। ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कटौती किए गए डब्ल्यू.सी.टी. के आधार पर भुगतान योग्य कुल जी.टी.ओ./टी.टी.ओ. ₹ 4.73 करोड़ था। एक अन्य मामले में ए.ए. ने बताया (अक्टूबर 2017) कि ₹ 66.86 करोड़ का जी.टी.ओ. रिटर्न के रूप में लिया गया। ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि कटौती किए गए डब्ल्यू.सी.टी. के आधार पर जी.टी.ओ./टी.टी.ओ. ₹ 71.45 करोड़ परिकल्पित हुआ। ये एकमुश्त ठेकेदार थे और उनका जी.टी.ओ. और टी.टी.ओ. समान है। ए.ए. ने आगे बताया (दिसंबर 2017 और मई 2018 के मध्य) कि पुनर्निर्धारण कार्यवाही तीन मामलों में शुरू हुई थी।
- ए.ए. कैथल ने बताया (अप्रैल 2018) कि ₹ 30.39 करोड़ की राशि बैलेंस शीट के अनुसार ली गई थी। ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि डब्ल्यू.सी.टी. प्रमाण-पत्र के अनुसार जी.टी.ओ. ₹ 36.31 करोड़ था।

2.4.11 कारण रिकार्ड किए बिना श्रम एवं सेवाओं की अधिक कटौती

एच.वी.ए.टी. नियमावली के नियम 25 के उपनियम 2 के अनुसार, कर योग्य टर्नओवर में शामिल राशि संविदा के अधीन डीलर को भुगतान किया गया या भुगतान योग्य कुल प्रतिफल होगा और श्रम, सेवाएं तथा इस तरह के अन्य प्रभार इसमें शामिल नहीं होंगे। जहां श्रम सेवाओं तथा इस तरह के अन्य प्रभार की राशि डीलर की लेखा पुस्तिकाओं से निश्चित न हो, प्रभारों की राशि सिविल निर्माण कार्यों के लिए मूल्य योग्य प्रतिफल के 25 प्रतिशत पर परिगणित की जाएगी। यदि डीलर कुल संविदा मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक श्रम, सेवा एवं अन्य ऐसे प्रभारों पर कटौती का दावा करता है, ए.ए. दावों की जांच के बाद डीलर के दावे की अनुमति दे सकता है और दावा स्वीकृत करने के लिए कारण लिखित में रिकार्ड करेगा।

लेखापरीक्षा ने डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला के कार्यालय में अवलोकित किया कि तीन ठेकेदारों ने ₹ 10.11 करोड़ का कार्य पूर्ण किया था। उन्होंने श्रम और सेवाओं के एवज में ₹ 3.91 करोड़ (31.62 प्रतिशत से 40 प्रतिशत) की कटौती का दावा किया और ए.ए. ने दावे की अनुमति दे दी। अधिक दर पर श्रम प्रभारों की अनुमति देने के औचित्य का उल्लेख ए.ए. द्वारा निर्धारण में नहीं किया गया। 25 प्रतिशत पर कटौती ₹ 2.53 करोड़ परिकल्पित हुई। अतः लेखापरीक्षा में निर्माण कार्य ठेकेदारों को 25 प्रतिशत से अधिक ₹ 1.39 करोड़ राशि के श्रम और सेवाओं की कटौती की अनुमति देने के औचित्य का सत्यापन नहीं किया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. अंबाला ने कहा (मार्च 2018) कि तीन मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजे गए।

2.4.12 ठेकेदार को ठेका देने वाले द्वारा आपूरित माल पर कर का उद्ग्रहण न किया जाना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 2(1) (जेड.ई.) में प्रावधान है कि निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन में शामिल माल (चाहे सामान या अन्य किसी रूप में) संपत्ति का हस्तांतरण, जहां ऐसा हस्तांतरण, नकद हो, स्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल हो, ऐसा हस्तांतरण, हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति द्वारा इस माल की बिक्री माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला के कार्यालय में अवलोकित किया कि निर्माण कार्य संविदा के निष्पादन के लिए ठेकेदार को विभाग/संविदादाता द्वारा ₹ 1.85 करोड़ मूल्य का माल प्रदान किया गया और इसे ठेकेदार द्वारा उसके वाणिज्य खाते में दिखाया गया। निर्धारण को अंतिम रूप देते समय समय ए.ए. ने विभाग द्वारा आपूरित माल की लागत के विरुद्ध ₹ 1.85 करोड़ की कटौती की अनुमति दे दी जो अनुमति योग्य नहीं थी। परिणामस्वरूप ₹ 0.21 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. ने कहा (मई 2018) कि मामले का पुनःनिर्धारण किया गया और जुर्माना और ब्याज सहित ₹ 1.54 करोड़²⁶ की मांग सृजित की गई।

2.4.13 एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत कर का कम निर्धारण

राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत भुगतान योग्य कर, ब्याज, जुर्माना और अन्य देयों की वसूली के लिए 'ठेकेदारों के लिए हरियाणा वैकल्पिक कर अनुपालना स्कीम, 2016' अधिसूचित की (12 सितंबर, 2016)। स्कीम का विकल्प किसी भी अवधि, जो किसी भी वित्तीय वर्ष (आवेदक अर्थात् डेवलपर/निर्माणकर्ता द्वारा चुनी जाए) में हो सकती है और 31 मार्च 2014 को समाप्त होती है, के लिए लिया जा सकता। इस स्कीम के अंतर्गत विकल्प लेने वाला ठेकेदार उसके व्यापार से उत्पन्न कर, ब्याज या जुर्माना के एवज में एकमुश्त निपटान के रूप में, वर्ष के दौरान किए गए व्यापार के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य पूर्ण कुल राशि के एक प्रतिशत पर एकमुश्त राशि, बिना किसी प्रकार की कटौती के वर्षवार भुगतान करेगा। आगे, इस प्रकार देय राशि पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज प्रभारित किया जाएगा। स्कीम का विकल्प लेने वाला ठेकेदार अधिसूचना की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर संबंधित ए.ए. को फार्म टी.सी.-1 में आनलाईन आवेदन देगा। एक समिति जिसमें दो वरिष्ठतम ई.टी.ओ. (संबंधित ए.ए. से अतिरिक्त) होंगे और जिले में तैनात संबंधित ए.ए. फार्म टी.सी.-1 की जांच करेंगे।

राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि निम्नलिखित घटक सकल राशि का भाग होंगे:

- i) स्थगित इकाई राशियों का रिफंड
- ii) बाहरी विकास प्रभार (ई.डी.सी.)
- iii) आंतरिक विकास प्रभार (आई.डी.सी.)
- iv) हस्तांतरण प्रभार
- v) क्लब सदस्यता, बिजली गैस और जल प्रभार
- vi) विलंबित भुगतान के लिए संभावित खरीददारों से प्राप्त ब्याज।

²⁶ ए.ए. ने ₹ 76 लाख + ₹ 76.90 लाख ब्याज + ₹ 2.87 लाख की पेनल्टी - ₹ 1.92 लाख की आई.टी.सी. का अधिक कैरी फारवर्ड = ₹ 153.85 लाख के कर का उद्ग्रहण किया।

चार डी.ई.टी.सी.²⁷ (एस.टी.) में, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि सिविल संरचनाओं, प्लैट्स, आवासीय इकाइयों, भवनों इत्यादि के निर्माण में लगे हुए 14 डेवलपर्स जिन्होंने स्कीम का विकल्प लिया था, ने विकल्प की अवधि के लिए ₹ 12,525.13 करोड़ की कुल प्राप्तियों की घोषणा की। फार्म टी.सी.-1, वार्षिक लेखाओं और अन्य रिकार्ड्स की जांच के बाद विभाग की तीन सदस्यीय समिति ने ₹ 12,771.37 करोड़ की सकल प्राप्ति की सिफारिश की। संबंधित डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और ₹ 134.10 करोड़ का कर उद्ग्रहित किया।

अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ई.डी.सी./आई.डी.सी. प्रभार, हस्तांतरण प्रभार, स्थगित इकाइयों की रिफंड राशि और विलंबित भुगतान के लिए संभावित खरीददारों से प्राप्त ब्याज इत्यादि जैसी प्राप्तियां सकल राशि में न डेवलपर्स और न ही विभागीय समिति द्वारा शामिल की गई थी। इन घटकों को शामिल करने के बाद लेखापरीक्षा ने कुल प्राप्तियों की गणना ₹ 14,516.93 करोड़ की। इसका परिणामस्वरूप ₹ 18.33 करोड़ (₹ 14,516.93 करोड़ - ₹ 12,771.37 x 1.05 प्रतिशत) के अव-निर्धारण में हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया (अप्रैल 2018) कि एक मामले में डीलर ने एक सह-डेवलपर के रूप में विशेष आर्थिक जोन विकसित किया था और प्राप्त विकास प्रभार सह-डेवलपर को भवन के किराए के रूप में दिए गए थे और किराया राशि वैट के समीक्षा में नहीं थी, अतः सकल प्राप्ति का भाग नहीं थी।

ए.ए. का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बैलेंसशीट के अनुसार प्राप्तियां विकास प्रभारों के एवज में थी और किराए की आय से नहीं। ए.ए. गुरुग्राम (उत्तर) ने दो मामलों में बताया कि दो मामलों में सकल राशि, पूर्णता (पी.ओ.सी.एम.) के प्रतिशतता के आधार पर ली गई थी। उत्तरों को इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि एक मामले में डीलर ने फार्म टी.सी.-1 में ₹ 1,880.94 करोड़ की सकल प्राप्ति दर्शाई थी जो कर परिकल्पित करने के लिए की जानी चाहिए थी इसकी बजाय ₹ 1,842.25 करोड़ ठेकेदार की सकल प्राप्ति के तौर पर लिए गए थे। अन्य मामले में ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को ध्यान में रखते हुए सकल राशि ₹ 994.11 करोड़ की बजाय ₹ 1,073.85 करोड़ होनी थी। ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने 10 मामलों में बताया (मई 2018) कि मामले जांच के अधीन थे।

राज्य सरकार एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत निपटाए गए डेवलपर्स के सभी मामलों की समीक्षा पर विचार करे।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई अनियमितताएं विभाग के त्रुटिपूर्ण आंतरिक नियंत्रण का संकेत देती हैं जिसके कारण विपथन और एच.वी.ए.टी. नियमावली के प्रावधानों की अनुपालना नहीं हुई। विभाग ने निर्माण कार्य ठेकेदारों के आंतरिक विभागीय डेटा बेस के क्रास सत्यापन के लिए कोई यंत्रावली स्थापित नहीं की थी जिसके परिणामस्वरूप अपंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा कर अपवंचन हुआ। ठेकेदारों को बिना सत्यापन के कर के भुगतान/डब्ल्यू.सी.टी. का लाभ दिया गया। कर के कम जमा करने पर ब्याज के अनुद्ग्रहण, फार्म वैट डी-1 के दुरुपयोग के लिए जुर्माने का अनुद्ग्रहण, करयोग्य टर्नओवर का कम निर्धारण, अधिक आई.टी.सी. की अनुमति, ठेकेदार को आपूरित माल पर कर का कम

²⁷ फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (उत्तर) तथा करनाल।

उद्ग्रहण और एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत कर का कम निर्धारण के उद्धरण देखे गए जिनका परिणाम ₹ 79.78 करोड़ के राजस्व की हानि में हुआ।

यह जून 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। नवंबर 2018 में अनुस्मारक जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

इंगित किए गए मुद्दे लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी प्रकार के मामलों की जांच के लिए कार्रवाई शुरू करें और आवश्यक सुधारक कार्रवाई करें।

2.5 अवैध 'सी' फार्मों पर रियायती कर की अनुमति के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने फार्मों के सत्यापन के बिना कर की रियायती दर की अनुमति दे दी जिसके परिणाम में ₹ 3.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.59 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(4) में प्रावधान है कि उप धारा (1) के अंतर्गत रियायत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी बिक्री पर लागू नहीं होगी जब तक कि पंजीकृत डीलर, जिसे माल बेचा गया है के द्वारा विधिवत् भरा गया और हस्ताक्षरित घोषणा पत्र डीलर, ए.ए. को प्रस्तुत न करे और जिसमें निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त एक निर्धारित फार्म प्राप्त 'सी'²⁸ में निर्धारित विवरण हों। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, कर भुगतान से बचने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जुर्माने के तौर पर देय कर का तीन गुणा उद्ग्रह्य है। हरियाणा सरकार ने डीलर को कर/रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 में ₹ एक लाख से अधिक अंतःराज्यीय या अंतरराज्यीय लेन-देनों के सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे।

सात उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (बिक्रीकर) {डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)²⁹ और आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.) टोहाना के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 18 डीलरों ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 में ₹ 38.49 करोड़ मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्रियों पर कर की रियायती दर का दावा किया। दावों के समर्थन में डीलरों ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी 50 फार्म 'सी' राजस्थान (39), उत्तराखंड (2), दिल्ली (8) और पंजाब (1) के दर्ज किए। संबंधित कर-निर्धारण प्राधिकारियों ए.ए. ने अप्रैल 2016 और मार्च 2017 के मध्य निर्धारण अंतिम किए और संबंधित अनुदेशों के अनुसार सत्यापन के बिना प्रस्तुत घोषणाओं पर रियायती कर की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा ने ये फार्म सत्यापन के लिए संबंधित राज्यों को भेजे और कर सूचना आदान-प्रदान प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) के माध्यम से इन फार्मों की जांच भी की और पाया कि संबंधित राज्यों ने डीलरों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। स्थिति निम्नानुसार है:

²⁸ यह फार्म अंतर्राज्यीय व्यापार में कर की रियायत दर का दावा करने के लिए खरीदने वाले डीलर द्वारा बेचने वाले डीलर को जारी किया जाता है।

²⁹ फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, जींद तथा रोहतक।

हरियाणा में बिक्रीकर्ता इकाई	डीलरों की संख्या	जारी करने वाला राज्य	फार्मों की संख्या	के माध्यम से जांच की गई
जींद, रोहतक, गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम) तथा हिसार	13	राजस्थान	39	टी.आई.एन.एक्स. एस.वाई.एस.-13 सत्यापन-26
गुरुग्राम (पश्चिम)	1	उत्तराखंड	2	सत्यापन-2
जगाधरी, टोहाना तथा फरीदाबाद (पश्चिम)	3	दिल्ली	8	टी.आई.एन.एक्स. एस.वाई.एस.-5 सत्यापन-3
गुरुग्राम (पश्चिम)	1	पंजाब	1	टी.आई.एन.एक्स. एस.वाई.एस.-1
कुल	18		50	

फार्मों के सत्यापन के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोध के उत्तर में राज्य कर अधिकारी (एस.टी.ओ.), जयपुर ने सूचित किया (नवंबर 2017) कि राजस्थान के एक डीलर द्वारा जारी किए गए आठ फार्म वैध नहीं थे और पंजीकरण पहले ही रद्द किया जा चुका था। एस.टी.ओ., जयपुर ने भी यह सूचना दी कि फार्मों के सत्यापन के लिए जून 2015 में किए गए अनुरोध के उत्तर में मामला 25 मई 2016 में डी.ई.टी.सी. जींद को पहले ही सूचित किया जा चुका था। इसके बावजूद ए.ए., जींद ने जयपुर के डीलर द्वारा जारी फार्म 'सी' पर कर की रियायती दर की अनुमति दे दी (3 अक्टूबर 2016)।

ए.ए. जगाधरी ने भी दिल्ली के दो डीलरों द्वारा जारी किए गए 'सी' फार्मों पर कर की रियायती दर की अनुमति दे दी (28 दिसंबर 2016) इस बात से परिचित होते हुए कि दिल्ली के खरीददार डीलरों का पंजीकरण 10 सितंबर 2013 और 26 मई 2014 से रद्द कर दिया गया था।

इसी प्रकार, ए.ए. जींद और जगाधरी ने अवैध घोषणाओं के विरुद्ध रियायतों की अनुमति दी। आगे, शेष छः कार्यालयों के ए.ए. ने भी अप्रैल 2016 और मार्च 2017 के मध्य निर्धारणों को अंतिम किया और सत्यापन के बिना फार्मों पर रियायती दर की अनुमति दे दी।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.53 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 10.59 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्राह्य था।

इंगित किए जाने पर, ए.ए., गुरुग्राम (पश्चिम) ने एक मामले का पुनःनिर्धारण किया और ₹ 15.62 लाख की मांग सृजित की गई (जुलाई 2017)। ए.ए. जगाधरी ने पैरा स्वीकार किया और कहा कि मामला पुनःनिर्धारित किया जाएगा (दिसंबर 2017)। डी.ई.टी.सी. जींद ने सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि सत्यापन के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी (सी.टी.ओ.) जयपुर को पत्र जारी किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.टी.ओ., जयपुर डी.ई.टी.सी. जींद को पहले ही तथ्यों की सूचना दे चुके थे (मई 2016)। ए.ए. रोहतक ने बताया कि दो मामलों में 'सी' फार्मों के सत्यापन के लिए पत्र भेजा गया (अगस्त 2017) एक मामले में, ए.ए. रोहतक ने दावा किया कि एक डीलर द्वारा जारी किए गए फार्म का राजस्थान की वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट से विधिवत् सत्यापन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन पर यह पाया गया कि फार्म अवैध पाया गया था।

ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व), गुरुग्राम (पश्चिम), टोहाना और रोहतक ने कहा कि सत्यापन के बाद (जुलाई 2017 से दिसंबर 2017) कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ए.ए., हिसार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामला सरकार को अप्रैल 2018 में सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्रों के जारी होने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग उचित सत्यापन के बाद अंतःराज्य और अंतर-राज्य बिक्री पर रियायत प्रदान करने के लिए अपने निर्देशों का कड़ा प्रवर्तन सुनिश्चित कर सकता है।

2.6 कम टर्नओवर पर निर्धारण के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कम टर्नओवर पर कर का निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 13.19 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 43.62 लाख का जुर्माना भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 15 (5) में प्रावधान है कि यदि एक डीलर किसी भी अवधि की रिटर्नस निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो ए.ए., किसी भी समय उस वर्ष जिससे वह रिटर्न संबंधित है, की समाप्ति से तीन वर्ष व्यतीत होने से पहले और डीलर को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद उसके द्वारा यदि कोई देय है, कर की राशि का निर्धारण अपनी सर्वोत्तम समझ के अनुसार, कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए वह अनुमान लगा सकता है कि निर्धारण अवधि के लिए उसका सकल टर्नओवर गत वर्ष की तदनुसूची अवधि के लिए वही है और इनपुट कर शून्य है।

क) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पूर्व) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ए.ए. ने एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 15(5) के अधीन वर्ष 2011-12 के लिए एक डीलर के मामले का निर्धारण किया (25 मार्च 2015) क्योंकि जिसका निर्धारण किया गया उसने 2011-12 के लिए कोई रिटर्न दर्ज नहीं की थी और गत वर्षों के जी.टी.ओ. ने 10 प्रतिशत जोड़ने के लिए ₹ 418.26 करोड़ के जी.टी.ओ. पर निर्धारण किया। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन डीलरों द्वारा बनाए गए आई.टी.सी. के लिए दावों के संबंध में, ए.ए. फरीदाबाद ने एक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.), पंचकूला और दूसरा ई.टी.ओ., रोहतक से दो मामले प्राप्त किए थे। फरीदाबाद के डीलर द्वारा माल की बिक्री की पुष्टि के संदर्भ मांगे गए।

फरीदाबाद के डीलर द्वारा ₹ 128.86 करोड़ की बिक्री की पुष्टि हेतु ई.टी.ओ., रोहतक (23 फरवरी 2015 और 17 मार्च 2015 को ई.टी.ओ. कार्यालय फरीदाबाद में प्राप्त हुआ) से संदर्भ प्राप्त हुआ था, क्योंकि रोहतक में एक डीलर ने इस राशि पर आई.टी.सी. का दावा किया था। तथापि, ई.टी.ओ., फरीदाबाद द्वारा 25 मार्च 2015 को जी.टी.ओ. के निर्धारण के समय इस राशि को ध्यान में नहीं रखा गया।

ई.टी.ओ., पंचकूला ने भी ई.टी.ओ., फरीदाबाद को एक डीलर द्वारा आई.टी.सी. के दावे का हवाला दिया था जिसने फरीदाबाद के डीलर से ₹ 388.78 करोड़ राशि का माल खरीदा था। तथापि, ई.टी.ओ. पंचकूला द्वारा यथा सूचित ₹ 388.78 करोड़ की बिक्री पर विचार किए बिना मामले का निर्धारण किया गया। अतः ₹ 13.04 करोड़ (₹ 517.64 करोड़ - ₹ 418.26 करोड़ = ₹ 99.38 करोड़ x 13.125 प्रतिशत) के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने (फरवरी 2016), पर ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने बताया (अगस्त 2018) कि मामले का पुनःनिर्धारण किया गया था (नवंबर 2016) और ₹ 13.04 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी और वसूली की कार्यवाही शुरू हो गई थी।

ख) एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 में बिक्रियाँ, खरीदों, आयातों, जो डीलर को एक कर देयता को प्रभावित करते हैं, को छिपाने के इरादे से झूठे या गलत लेखा या दस्तावेज रखने के लिए जुर्माने का प्रावधान है। बचाए गए कर की राशि की तीन गुणा रकम जुर्माना के रूप में उद्ग्रहित की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने वर्ष 2010-11 के दौरान डी.ई.टी.सी. पानीपत के एक डीलर को ₹ 1.11 करोड़ का निर्माण माल बेचा। गुरुग्राम के डीलर ने उस अवधि के लिए रिटर्नस फाईल की थी परंतु इस बिक्री को रिटर्नस में शामिल नहीं किया। ए.ए. ने भी नवंबर 2012 में रिटर्नस के अनुसार निर्धारण अंतिम कर दिया। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि डी.ई.टी.सी. पानीपत ने गुरुग्राम के डीलर से ₹ 1.11 करोड़ के खरीद के सत्यापन के लिए डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम को अनुरोध किया। ए.ए. गुरुग्राम ने बताया (अप्रैल 2014) कि डीलर ने रिटर्नस में ₹ 1.11 करोड़ की बिक्री नहीं दिखाई थी। अप्रैल 2014 में ₹ 1.11 करोड़ की बिक्री का छिपाव प्रकट होने के शीघ्र बाद इस मामले का पुनःनिर्धारण किया जाना चाहिए था। यह नहीं किया गया। डीलर ने कर के भुगतान से बचने के लिए ₹ 1.11 करोड़ की बिक्रियां छिपाने के इरादे से झूठा लेखा बनाया, जिससे दंडक कार्रवाई का दायी बन गया। इस प्रकार, ए.ए. द्वारा बिक्रियों के छिपाव के लिए कर के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 14.54 लाख (₹ 1,10,81,042 का 13.125 प्रतिशत) के कर का अपवंचन हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 43.62 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2015) ए.ए. गुरुग्राम (पश्चिम) ने मामले का पुनःनिर्धारण (नवंबर 2017) किया और ₹ 58.18 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की।

मामला मार्च 2018/अप्रैल 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण को मजबूत कर सकता है कि निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय अन्य निर्धारण अधिकारियों से प्राप्त संदर्भों को ध्यान में रखा गया है। विभाग ऐसे मामलों की समीक्षा कर जिम्मेदारी तय कर सकता है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि को लेखापरीक्षा को सूचना के अंतर्गत वापस प्राप्त किया जा सकता है।

2.7 अवैध फार्म 'एफ' के विरुद्ध लाभ की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अवैध 'एफ' फार्मों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.78 करोड़ के कर के अनुद्ग्रहण में हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 5.34 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 6 (ए) (i) में प्रावधान है कि जहां कोई डीलर इस आधार पर कि ऐसे माल का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे में उसके व्यापार या उसके एजेंट या प्रमुख के किसी अन्य स्थान पर ऐसे माल के स्थानांतरण के कारण घटित हुआ था, दावा करता है

कि इस अधिनियम के अधीन वह कर के भुगतान करने का दायी नहीं है, इस प्रयोजन के लिए वह व्यापार के अन्य स्थान के प्रमुख अधिकारी या उसके एजेंट या प्रमुख द्वारा हस्ताक्षित फार्म 'एफ' में एक घोषणा निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करे। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना या गलत लेखाओं या दस्तावेजों इत्यादि के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई (परिहार्य कर का तीन गुणा/दावा किया गया हितलाभ) के लिए प्रावधान है। हरियाणा सरकार ने 14 मार्च 2006 और 16 जुलाई 2013 को डीलरों के कर/रियायत के लाभ की अनुमति देने से पहले ₹ एक लाख से अधिक के अंतःराज्यीय, अंतर्राज्यीय लेन-देन को सत्यापन के लिए अनुदेश जारी किए थे।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जींद और कैथल के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 10 डीलरों ने वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए राजस्थान में जयपुर और हनुमानगढ़ में दो फर्मों को ₹ 33.94 करोड़ राशि की उनकी शाखा स्थानांतरणों/प्रेषण बिक्री पर छूट का दावा किया था। दावों के समर्थन में, डीलरों ने जयपुर और हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित अपनी-अपनी शाखाओं/एजेंटों से प्राप्त 91 'एफ' फार्म प्रस्तुत किए। संबंधित ए.ए. ने जून 2016 और मार्च 2017 के मध्य निर्धारणों को अंतिम रूप दिया और संबंधित अनुदेशों के अनुसार सत्यापन किए बिना प्रस्तुत घोषणाओं पर आधारित छूटों की अनुमति दे दी।

लेखापरीक्षा ने ये फार्म सत्यापन के लिए राजस्थान भेज दिए और पाया कि कोई भी फार्म वास्तविक नहीं थी क्योंकि जयपुर में फर्म का पंजीकरण 1 अप्रैल 2013 से और हनुमानगढ़ का 6 जून 2012 से रद्द कर दिया गया था। आगे, एस.टी.ओ., जयपुर राजस्थान ने लेखापरीक्षा को सूचित किया (नवंबर 2017) कि जयपुर में फर्म का पंजीकरण रद्द होने के बारे में डी.ई.टी.सी. जींद को मई 2016 में ए.ए. जींद के अनुरोध (जून 2015) के उत्तर में पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, ए.ए. जींद ने निर्धारण (अगस्त और अक्टूबर 2016) को अंतिम रूप देते समय इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया और लाभ की अनुमति दे दी। ए.ए., कैथल ने भी प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति सत्यापन के बिना दे दी। इस प्रकार अवैध 'एफ' फार्मों के विरुद्ध प्रेषण बिक्री के लाभ की अनुमति के परिणाम में ₹ 1.78 करोड़³⁰ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। ₹ 5.34 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित किए जाने पर ए.ए. जींद ने सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि फार्मों का सत्यापन राजस्थान सरकार की वेबसाइट से किया गया था और सत्यता जानने के लिए एस.टी.ओ., जयपुर को पत्र लिखा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.टी.ओ., जयपुर ने डी.ई.टी.सी. जींद को पहले ही वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दिया था (मई 2016)। ए.ए. कैथल से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मामला फरवरी 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग उचित सत्यापन के बाद अंतःराज्य और अंतर-राज्य बिक्री पर रियायत प्रदान करने के लिए अपने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर सकता है।

³⁰ ₹ 33.94 करोड़ x 5.25 प्रतिशत = ₹ 1.78 करोड़।

2.8 स्टॉक स्थानांतरण या हानियों पर आई.टी.सी. के अधिक लाभ की अनुमति देने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आई.टी.सी. की कम वापसी/वापसी न करने के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 करोड़ की आई.टी.सी. का अधिक लाभ दिया गया।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अधीन, वैट डीलर द्वारा खरीदे गए किसी भी माल का इनपुट कर उसको बेचे गए ऐसे माल पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। वह माल जिसका निपटान बिक्री के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हुआ है पर कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं है।

यदि राज्य में खरीदा गया माल का प्रयोग किया गया या निपटान आंशिक रूप से बिक्री और आंशिक रूप से स्टॉक स्थानांतरण द्वारा किया गया, ऐसे माल का इनपुट कर प्रोराटा आधार पर परिकलित किया जाएगा।

डी.ई.टी.सी. (बिक्रीकर) के तीन कार्यालयों³¹ के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो डीलरों ने 2012-13 और 2013-14 के दौरान ₹ 20,899.62 करोड़ मूल्य के भवन निर्माण सामग्री, गेहूं, धान और सीमेंट ₹ 1,096.20 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद खरीदा। डीलरों ने ₹ 19,120.61 करोड़ मूल्य का माल फार्म 'एफ'³² के विरुद्ध हस्तांतरित किया। आई.टी.सी. स्टॉक हस्तांतरण पर अनुपातिक रूप से परिवर्तित किया जाना था। प्रोराटा आधार पर आई.टी.सी. ₹ 994.80 करोड़ की गणना बनती है। तथापि, ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय वल ₹ 986.60 करोड़ की राशि गलत रिवर्स कर दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.20 करोड़ के आई.टी.सी. कम रिवर्सल हुए।

आगे, एक डीलर ने 2012-13 के दौरान राज्य के भीतर ₹ 0.70 करोड़ के कर के भुगतान के बाद ₹ 16.68 करोड़ मूल्य का पैकिंग माल खरीदा और सारा माल फार्म 'एफ' के विरुद्ध हस्तांतरित कर दिया और इस प्रकार डीलर आई.टी.सी. के लिए पात्र नहीं था। ए.ए. ने केवल ₹ 0.15 करोड़ के आई.टी.सी. को रिवर्स किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.55 करोड़ (₹ 0.70 करोड़ - ₹ 0.15 करोड़) के आई.टी.सी. का गलत लाभ हुआ।

2.8.2 एक डीलर ने ₹ 4.66 करोड़ की हानि की सूचना दी। अनुपातिक आई.टी.सी. ₹ 0.29 करोड़ बना। ए.ए. ने निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय आई.टी.सी. को रिवर्स नहीं किया जिसके परिणाम में ₹ 0.29 करोड़ का गलत लाभ हुआ।

इस प्रकार, गलत रिवर्सल के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 करोड़ (₹ 8.20 करोड़ + ₹ 0.55 करोड़ + ₹ 0.29 करोड़) के आई.टी.सी. का गलत लाभ दिया गया।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुरुग्राम (पश्चिम) ने सूचित किया (अक्टूबर 2017) कि एक मामले में ₹ 28.91 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई और एक मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजा गया (अप्रैल 2017)। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला ने सूचित किया (जून 2018) कि ₹ 8.12 करोड़ की अतिरिक्त

³¹ गुरुग्राम (पूर्व) (01 डीलर), गुरुग्राम (पश्चिम) (02 डीलर) तथा पंचकूला (01 डीलर)।

³² एक डीलर द्वारा एक राज्य से दूसरे में माल के स्थानांतरण पर इस आधार पर कि ऐसा स्थानांतरण ऐसे माल का उसके व्यापार कि किसी अन्य स्थान या उसके एजेंट या प्रमुख को हस्तांतरण और इसे बिक्री के तौर पर माने बिना, की वजह से हुआ था, कर की छूट का दावा करते हुए प्रस्तुत की गई घोषणा।

मांग सृजित की गई है। ए.ए. गुरुग्राम ने सूचित किया (अक्टूबर 2018) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजा गया।

मामला सरकार को मार्च 2018 में सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित कर सकता है।

2.9 बेचे न गए माल पर इनपुट कर क्रेडिट का गलत लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ड्यूटी एनटाईटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) जो डीलर द्वारा बेचा नहीं गया को खरीदने के लिए अदेय आई.टी.सी. दावा की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ के इनपुट कर की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.73 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अधीन, माल की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) सीधे माल की बिक्री पर या राज्य या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में उससे उत्पादित माल पर कर देयता के विरुद्ध अनुमत है। ड्यूटी एनटाईटलमेंट पासबुक (डी.ई.पी.बी.) स्कीम 1997 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ एक निर्यात प्रोत्साहन स्कीम है जहां एक निर्यातक को निर्यात माल के मूल्य के अनुपात में उसके निर्यातों पर ड्यूटी क्रेडिट एनटाईटलमेंट प्राप्त होती है। इस स्कीम के अधीन डी.ई.पी.बी. क्रेडिट प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा डी.ई.पी.बी. पावती-पत्र जारी किया जाता है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. केवल तभी उपलब्ध है यदि डी.ई.पी.बी. पावती-पत्र पुनः बिक्री के लिए खरीदे जाते हैं और कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं होगी यदि इनका प्रयोग सीमा शुल्क के समायोजन के लिए हो। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अधीन 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), रेवाड़ी के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एक डीलर ने 2012-13 के दौरान ₹ 2.89 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 55.02 करोड़ मूल्य के डी.ई.पी.बी. खरीदे। डीलर ने इन्हें अपने द्वारा देय सीमा शुल्क के समायोजन के लिए प्रयोग किया। चूंकि पावती-पत्र डीलर द्वारा नहीं बेचे गए, कोई आई.टी.सी. अनुमत नहीं था। तथापि, 28 अप्रैल 2015 को निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ए.ए. ने डीलर को आई.टी.सी. के दावे की अनुमति दे दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.89 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत प्रदानगी हुई। ₹ 1.73 करोड़³³ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. रेवाड़ी ने सूचित किया (फरवरी 2018) कि मामला स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेज दिया गया।

मामला सरकार को फरवरी 2018 में सूचित किया गया था। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

³³ ₹ 2.89 करोड़ पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर 1.11.2012 से 28.4.2015 अर्थात् 29 माह और 28 दिनों तक ब्याज प्रभारित किया जाता है। ₹ 2.89 करोड़ x 2 प्रतिशत x 29 माह = ₹ 1.68 करोड़ + ₹ 2.89 करोड़ x 2 प्रतिशत x 28/30 = ₹ 5.59 लाख। ₹ 1.68 करोड़ + ₹ 0.05 करोड़ = ₹ 1.73 करोड़।

2.10 कर का अनुद्ग्रहण

ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 7.08 करोड़ मूल्य की मर्दों की बिक्री को कर मुक्त माल के तौर पर निर्धारित कर दिया। तथापि, ये मर्दे 5.25 प्रतिशत और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 43.31 लाख की राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 24.53 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (i) (ए) iii और iv के अधीन, माल के वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए कर अधिनियम की सूचियों 'ए' से 'जी' में निर्दिष्ट दरों पर उद्ग्रह्य है। अनुसूची 'सी' का माल 5 प्रतिशत पर कर योग्य है। उपर्युक्त सूचियों में जो मर्दे वर्गीकृत नहीं हैं वे 1 जुलाई 2005 से प्रभावी 12.5 प्रतिशत के कर के सामान्य दर पर कर योग्य है। आगे, 2 अप्रैल 2010 से प्रभावी कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रह्य है। इसके अतिरिक्त, धारा 14(6) के अंतर्गत एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज, यदि भुगतान 90 दिनों के भीतर किया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए 90 दिनों से अधिक चूक जारी रहती है, भी उद्ग्रह्य है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकूला और जगाधरी के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि तीन डीलरों ने 2013-14 और 2014-15 में ₹ 5.91 करोड़ मूल्य की स्टील स्क्रीन पाईपज़, फीता और बायो ईंधन बेचा और बिक्री को कर मुक्त के तौर पर दावा किया। ए.ए., ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (नवंबर 2015, सितंबर 2016 और नवंबर 2016) डीलर के दावे को अनुमति दे दी। तथापि ये सभी मर्दे अनुसूची 'सी' की मर्दे हैं तथा अधिभार सहित 5.25 प्रतिशत पर कर योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.04 लाख (₹ 5.91 करोड़ x 5.25 प्रतिशत) राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ। ₹ 14.64 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

आगे, डी.ई.टी.सी., जगाधरी के एक डीलर ने वर्ष 2013-14 में ₹ 1.17 करोड़ मूल्य के अचल ठोस परिसंपत्तियों को बेचा। ए.ए. ने मार्च 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय बिक्री पर कर उद्ग्रहण को छोड़ दिया। इस माल पर 5.25 प्रतिशत और 13.125 प्रतिशत की दर से कर उद्ग्रह्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.27 लाख³⁴ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ। ₹ 9.88 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित करने पर, ए.ए. पंचकूला और जगाधरी ने सूचित किया कि मामले पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई (मार्च 2017 से जून 2018) के लिए भेजे गए।

मामला मार्च एवं अप्रैल 2018 में सरकार को सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग इस बात की जांच कर सकता है कि क्या ऐसे और भी मामले हैं जहां गलत तरीके से कर छूट की अनुमति दी गई है। लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों के संबंध में शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए।

³⁴ ₹ 37,74,409 x 5.25 प्रतिशत = ₹ 1,98,156 + ₹ 78,17,507 x 131.25 प्रतिशत = ₹ 10,26,048 + ₹ 3,000 = ₹ 12,27,204.

2.11 परिगणना में गलती के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा परिगणना में गलती के कारण ₹ 41.46 लाख राशि के कर का अवनिर्धारण था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 19 के अधीन, कोई कराधान प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी, किसी भी समय, उसके द्वारा किसी भी मामले में पारित आदेश की प्रति की आपूर्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के मध्य विपरीत रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद मामले के रिकार्ड पूर्णतया स्पष्ट किसी लिपिकीय या गणितीय भूल को सुधार सकती है।

डी.ई.टी.सी., गुरुग्राम (पूर्व) और गुरुग्राम (पश्चिम) के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो डीलरों ने 2013-14 के दौरान ₹ 13.12 करोड़ मूल्य की बिक्री की। ए.ए. ने नवंबर 2015 और मार्च 2017 को निर्धारण को अंतिम रूप देते समय परिगणना भूल के कारण ₹ 70.87 लाख की सही राशि की बजाय ₹ 29.41 लाख के कर का निर्धारण किया। इसके फलस्वरूप ₹ 41.46 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2017), डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पश्चिम) ने बताया (सितंबर 2017), कि मामले का पुनर्निर्धारण किया गया और ₹ 46.96 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई। डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व) ने सूचित किया कि पुनःनिर्धारण के लिए डीलर को नोटिस जारी किया गया था (जनवरी 2018)।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

2.12 ब्याज का अनुद्ग्रहण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय दो डीलरों द्वारा कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 27.77 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) अन्य बातों के साथ यह निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त ब्याज, एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर किया जाता है और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि चूक कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से भुगतान करने की तिथि तक पूरी अवधि के लिए नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, के भुगतान के लिए दायी होगा।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) बहादुरगढ़ और गुरुग्राम (पूर्व) के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि दो मामलों में, ब्याज का उद्ग्रहण तदनुसार प्रावधानों के अधीन यथा अपेक्षित नहीं किया गया।

बहादुरगढ़ में, डीलर ने अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान देय मासिक कर का भुगतान आगामी मास की 15 तारीख है की बजाय नवंबर 2014 में किया। ए.ए. ने मार्च 2017 में वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 43.55 लाख के विलंबित भुगतान पर, ₹ 11.58 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

गुरुग्राम में, वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण से दृष्टिगोचर है कि निर्धारण की तिथि (18 मार्च 2016) को डीलर से ₹ 19.69 लाख का कर देय था। ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर का भुगतान न किए जाने पर ₹ 16.19³⁵ लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 27.77 लाख (₹ 11.58 लाख + ₹ 16.19 लाख) के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) बहादुरगढ़ ने मार्च 2018 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी, झज्जर को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया और ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने मार्च 2018 में बताया कि पुनःनिर्धारण के लिए नोटिस डीलर को जारी कर दिया गया।

मामला मार्च 2018 में सरकार को सूचित किया गया। जून और नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए राशि की वसूली सुनिश्चित कर सकता है।

2.13 अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट

कर-निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ की अनुमति दे दी जिसके फलस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.83 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक वैट डीलर द्वारा खरीदे किसी भी माल पर इनपुट टैक्स उसके ऐसे माल की बिक्री पर राज्य को भुगतान किए गए कर की राशि होगी। ई.टी.सी. हरियाणा ने मार्च 2006 और जुलाई 2013 में अनुदेश जारी किए कि कर के वास्तविक भुगतान के अंतिम चरण तक आई.टी.सी. का शत-प्रतिशत सत्यापन किए जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 38 में झूठी सूचना और गलत लेखाओं या दस्तावेजों के आधार पर दावों के लिए दंडक कार्रवाई कर अपवंचन का तीन गुणा जुर्माने का प्रावधान है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत, फरीदाबाद (पूर्व), गुरुग्राम (पूर्व), के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ए.ए. ने वर्षों 2013-14 (जनवरी 2015, मई 2015 और मार्च 2017) के लिए तीन डीलरों का निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विक्रेता डीलरों से खरीद का सत्यापन किए बिना ₹ 1.28 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दे दी। लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन पर यह पाया गया कि विक्रेता डीलरों ने इन डीलरों को बिक्री नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.28 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत प्रदानगी हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.83 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर, ए.ए. गुरुग्राम (पूर्व) ने सूचित किया (अगस्त 2018) कि मामले का पुनःनिर्धारण किया गया और ₹ 0.47 करोड़ की मांग सृजित की गई। ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व) ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि मामले का पुनःनिर्धारण किया गया और

³⁵ ₹ 19,69,540 x 1,233/30 तीन (1 नवंबर 2012 से 18 मार्च 2016 तक) x 2 प्रतिशत।

₹ 3.24 करोड़ की मांग सृजित की गई। ए.ए. पानीपत ने सूचित किया (फरवरी 2018) कि मामला पुनःनिर्धारण के लिए लिया गया है।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जून एवं नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग देय सत्यापन के बाद आई.टी.सी. के हितलाभ की अनुमति देने के लिए कड़ा तंत्र सुनिश्चित कर सकता है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित राशि को लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वसूल किया जा सकता है।

2.14 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने, निर्धारण को अंतिम रूप देते समय 13.125 प्रतिशत की बजाय 5/5.25 प्रतिशत की दर पर कर का गलत उद्ग्रहण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर का अव-निर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(i) (ए) (iv) के अधीन, सभी अवर्गीकृत उपभोग्य मालएं 1 जुलाई 2005 से 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अंतर्गत 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्रह्य कर पर चार-पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज देय है। धारा 14 (6) के अधीन एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की दर पर ब्याज भी उद्ग्रह्य है।

चार³⁶ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2012-13 से 2013-14 के लिए अंतिम निर्धारण करते समय छः डीलरों को अवर्गीकृत माल की बिक्री पर कर कम दर पर निर्धारण किया गया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	निर्धारण की अवधि/मास	योग्य माल	बेचे गए माल का मूल्य	सरचार्ज सहित 13.125 की दर पर उद्ग्रह्य कर	5/5.25 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रह्य कर	कम उद्ग्रहित कर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया
1	पानीपत	2012-13 दिनांक 18.03.2016	फलाई ऐश	21413533	2810526	1124210	1686316	फलाई ऐश एक अवर्गीकृत मद है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर-योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (फरवरी 2017) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था।

³⁶ पानीपत:1, फरीदाबाद (पूर्व): 2, फरीदाबाद (पश्चिम): 2, रोहतक: 1

वर्ष 2017-18 का प्रतिवेदन (राजस्व सेक्टर)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	निर्धारण की अवधि/मास	योग्य माल	बेचे गए माल का मूल्य	सरचार्ज सहित 13.125 की दर पर उद्ग्राह्य कर	5/5.25 प्रतिशत की दर पर उद्ग्राह्य कर	कम उद्ग्राह्य कर	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर प्रतिक्रिया
2	फरीदाबाद (पूर्व)	2012-13 दिनांक 21.01.2016	पनीर	14953085	1962592	785037	1177555	सरकार ने 23.6.2014 को स्पष्ट किया कि पनीर एक अवर्गीकृत मद है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (मार्च 2017) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया।
3	फरीदाबाद (पश्चिम)	2012-13 दिनांक 02.06.2014 तथा 2013-14 दिनांक 15.06.2015	एयर कंप्रेसर एसेसरीज एंड पार्टस	19106473	2507725	1003090	1504635	सरकार ने 22.10.2009 को स्पष्ट किया कि एयर कंप्रेसर/ब्लोअर अवर्गीकृत मद है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (मई 2017) कि बेचे गए माल के बिलों की प्रस्तुति के लिए नोटिस जारी किया गया है।
4	रोहतक	2013-14 दिनांक 20.11.2015	प्लास्टिक स्क्रेप	20009817	2626288	1000490 (5%)	1625798	प्लास्टिक स्क्रेप एक अवर्गीकृत मद और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था।
5	फरीदाबाद (पूर्व)	2013-14 दिनांक 14.12.2015	मशीनरी पार्टस	53607058	7035926	2814371	4221555	ए.ए. ने सूचित किया (नवंबर 2016) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था।
6	फरीदाबाद (पश्चिम)	2013-14 दिनांक 31.05.2016	करेंसी सोर्टिंग डिवाइसिज़	140057472	18382543	7353017	11029526	करेंसी सोर्टिंग डिवाइसिज़ एक अवर्गीकृत मद है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। ए.ए. ने सूचित किया (दिसंबर 2017) कि करेंसी सोर्टिंग डिवाइस एक कम्प्यूटर है। ए.ए. का उत्तर सही नहीं है क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक माल है और 13.125 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है।
कुल				269147438	35325600	14080215	21245385	

इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। ₹ 1.27 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मामला मई 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जून एवं नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए अधिक मामलों की जांच कर सकता है कि कर की दरों को सही तरीके से लगाया जा रहा है। ऊपर इंगित की गई राशि लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए वसूल की जा सकती है।

2.15 सत्यापन के बिना सरकारी लेखाओं में कर जमा करने का गलत लाभ

कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, दो डीलरों को ₹ 27.15 लाख के कर जमा करने के गलत लाभ की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त, ₹ 14.96 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

हरियाणा सरकार को यथा लागू पंजाब वित्तीय नियम, वाल्यूम-1 के नियम 4.1 में निहित प्रावधान के अनुसार संबंधित राजस्व या प्रशासन विभाग का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि सरकार के देय सही रूप से एवं तुरंत निर्धारित किए जाएं, संग्रहित किए जाएं और राजकोष में जमा किए जाएं। विभागीय नियंत्रण अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि सरकार को देय सभी राशियां नियमित रूप से एवं तुरंत निर्धारित की जाएं, वसूल की जाएं और राजकोष में विधिवत् क्रेडिट की जाएं, कर के लाभ की अनुमति राजकोष में जमा किए गए कर के सत्यापन के बाद दी जाएगी यदि किसी क्रेडिट का दावा किया जाए परंतु लेखाओं में न पाए जाएं, जांच पहले संबंधित जिम्मेदार विभागीय अधिकारी की, की जाए। इसके अतिरिक्त धारा 14(6) के अधीन एक प्रतिशत प्रतिमाह यदि भुगतान नब्बे दिनों के भीतर कर दिया जाए और दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि कर के भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, पूरी अवधि के लिए चूक नब्बे दिनों से अधिक जारी रहती है, की दर पर ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी), फरीदाबाद (पश्चिम) के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ए.ए. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2016) डीलर को वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 27.09 लाख के कर जमा करने के लाभ की अनुमति दे दी। लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन से प्रकट हुआ कि ₹ 27.09 लाख में से ₹ 20 लाख की राशि वास्तव में डीलर द्वारा सरकारी खाते में जमा नहीं की गई थी। ₹ 11.67³⁷ लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

गुरुग्राम (पूर्व) में यह देखा गया कि एक डीलर ने वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 7.15 लाख का कर जमा किया था और ए.ए. ने लाभ की अनुमति दे दी। उसी राशि पर 2013-14 में भी ए.ए. द्वारा अनुमति दे दी गई (नवंबर 2015) जबकि यह डीलर द्वारा जमा नहीं की गई थी। परिणामतः ₹ 7.15 लाख का गलत लाभ हुआ। ₹ 3.29³⁸ लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

इस प्रकार, ए.ए. ने बिना सत्यापन के ₹ 27.15 लाख (₹ 20 लाख + ₹ 7.15 लाख) के कर जमा के लाभ की अनुमति दे दी। ₹ 14.96 का कुल ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

प्रदत्त कर के लाभ की अनुमति यह सुनिश्चित किए बिना देना कि राशि वास्तव में सरकारी खाते में जमा कर दी गई है जो अपूर्ण आंतरिक नियंत्रण का सूचक है। डीलरों द्वारा कर जमा

³⁷ ₹ 20,00,000 x 29 माह तथा 5 दिन (01 नवंबर 2013 से 05 अप्रैल 2016 तक) x 2/100 = ₹ 11,66,667

³⁸ ₹ 7,15,462 x 23 माह (01 नवंबर 2013 से 30 सितंबर 2015 तक) x 2/100 = ₹ 3,29,112

की ऑनलाइन जाँच का प्रावधान होना चाहिए। कर जमा के लाभों का प्रावधान एक मैनुअल प्रक्रिया होने के बजाय सक्षम प्रणाली होना चाहिए।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. फरीदाबाद (पश्चिम) ने जुलाई 2018 में बताया कि डीलर ने ₹ 20 लाख जमा किए थे। डी.ई.टी.सी. गुरुग्राम (पूर्व) ने अगस्त 2018 में बताया कि मामला पुनःनिर्धारित किया गया और ₹ 10.99 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई।

मामला मई 2018 में सरकार को सूचित किया गया था। जुलाई एवं नवंबर 2018 में स्मरण-पत्र जारी करने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

अध्याय-3
राज्य उत्पाद शुल्क

अध्याय-3: राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रबंध

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) विभागाध्यक्ष हैं। ई.टी.सी. को मुख्यालय पर सहयोग क्लैक्टर (आबकारी) द्वारा तथा फील्ड में राज्य आबकारी अधिनियमों/नियमों के प्रबन्धन के लिए उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (आबकारी) {डी.ई.टी.सी. (आबकारी)}, सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओ.), निरीक्षकों एवं अन्य सहायक स्टाफ द्वारा दिया जाता है।

उत्पाद शुल्क राजस्व मुख्यतः विभिन्न ठेकों के लाइसेंस की प्रदानगी हेतु फीस, डिस्टिलरियों/ब्रेवरिज में उत्पादित और एक राज्य से दूसरे राज्य को आयातित/निर्यातित स्पिरिट/बीयर पर उद्गृहीत उत्पाद शुल्कों से प्राप्त किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी जिला मुख्यालय में तैनात होता है। उनका मुख्य कार्य विभाग के आय एवं व्यय की आंतरिक लेखापरीक्षा करना है।


3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017-18 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 76 इकाइयों में से 40 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 950 मामलों में ₹ 25.49 करोड़ से आवेष्टित उत्पाद शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/पेनल्टी की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं जैसा कि तालिका 3.1 में तालिकाबद्ध है:

तालिका 3.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	लाइसेंस फीस जमा न करना/कम जमा करना तथा ब्याज की हानि	335	18.21
2	ठेकों के पुनः आबंटन पर लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि की वसूली न करना	02	1.88
3	अतिरिक्त शुल्क/पेनल्टी न लगाना	458	3.89
4	अवैध शराब पर पेनल्टी की अवसूली	138	0.46
5	विविध अनियमितताएं	17	1.05
	योग	950	25.49

चार्ट 3.1



वर्ष के दौरान, विभाग ने 720 मामलों में आवेष्टित ₹ 9.86 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियां स्वीकार की जिनमें से 682 मामलों में आवेष्टित ₹ 9.54 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 38 मामलों में ₹ 32 लाख वसूल किए।

₹ 9.59 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

3.3 ब्याज की अवसूली/कम वसूली

अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 की अवधि के लिए 195 लाइसेंसधारियों द्वारा ₹ 149.19 करोड़ की लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज के अनुद्ग्रहण के ₹ 3.95 करोड़ की हानि थी।

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.4 निर्धारित करता है कि भारत में बनी विदेशी शराब (आई.एम.एफ.एल.)/देसी शराब (सी.एल.) की बिक्रियों की दुकानों के लिए लाइसेंस वाले प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रत्येक माह की 20 तारीख तक लाइसेंस फीस की मासिक किश्त का भुगतान करेगा। ऐसे करने में विफलता से लाइसेंसधारी, माह के प्रथम दिन से, जिसमें लाइसेंस फीस देय थी, किश्त के भुगतान की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा। आगे राज्य आबकारी नीति के पैरा 6.5 के अनुसार, यदि लाइसेंसधारी माह के अंत तक ब्याज के साथ पूरी मासिक किश्त जमा करवाने में विफल रहता है तो लाइसेंस प्राप्त ठेके अगले माह के प्रथम दिन से

बंद हो जाएंगे और संबंधित जिले के डी.ई.टी.सी. (आबकारी) द्वारा साधारणतः सील बंद किए जाएंगे।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के 11 कार्यालयों¹ के वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 195 ठेकों के लाइसेंसधारियों ने अप्रैल 2015 से जनवरी 2017 की अवधि के लिए ₹ 149.19 करोड़ की लाइसेंस फीस की मासिक किश्तों का भुगतान 21 से 218 दिनों की देरी के साथ किया। इन कार्यालयों के अंतर्गत कुल 650 ठेके हैं। इस प्रकार, 30 प्रतिशत ठेकों में लाइसेंस फीस के भुगतान में विलंब था। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.95 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) झज्जर ने बताया (मई 2018) कि ₹ 17.55 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 15.58 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए वसूली कार्यवाहियां आरंभ की गई थी। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) जगाधरी तथा भिवानी ने बताया (सितंबर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि ₹ 2.88 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 10.58 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तीन डी.ई.टी.सी. (आबकारी)² ने बताया (अगस्त 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि ₹ 1.72 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे/नोटिस जारी किए गए थे। शेष पांच डी.ई.टी.सी.³ से ₹ 1.77 करोड़ की बकाया राशि के लिए कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

मामला मई 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

3.4 शराब का त्रैमासिक कोटा कम उठाने पर पेनल्टी का अनुद्ग्रहण/अवसूली

ठेकेदारों द्वारा कोटा कम उठाने पर डी.ई.टी.सी. (आबकारी) की पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2016-17 के लिए राज्य आबकारी नीति के पैरा 3.3.1 के अनुसार एक लाइसेंसधारी निर्धारित त्रैमासिक सारणी के अनुसार उसकी दुकान के लिए आबंटित आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. का मूल कोटा उठाने के लिए उत्तरदायी है जिसमें विफल रहने पर दंड के प्रावधानों का आह्वान किया जाता है। निर्धारित त्रैमासिक कोटा का न उठाना, कम मात्रा के लिए क्रमशः आई.एम.एफ.एल. और सी.एल. के लिए ₹ 65 और ₹ 20 प्रति प्रूफ लीटर (पी.एल.) की दर पर पेनल्टी आकर्षित करता है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के छः कार्यालयों⁴ के वर्ष 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 294 खुदरा दुकान लाइसेंसधारियों ने नीचे दिए गए विवरणानुसार निर्धारित त्रैमासिक कोटा नहीं उठाया:

1 भिवानी, जगाधरी, जींद, झज्जर, कैथल, करनाल, नारनौल, नूंह, पानीपत, रेवाड़ी तथा रोहतक।

2 नारनौल, रेवाड़ी तथा रोहतक।

3 जींद, कैथल, करनाल, नूंह तथा पानीपत।

4 गुरुग्राम, जगाधरी, जींद, नारनौल, रेवाड़ी तथा रोहतक।

	आई.एम.एफ.एल. पूफ लीटर में	सी.एल. पूफ लीटर में
मूल निर्धारित कोटा	10,06,270	48,50,449
उठाया गया कोटा	8,19,508	41,01,938
कम उठाया गया	1,86,762	7,48,511
उद्ग्राह्य पेनल्टी की दर	₹ 65	₹ 20
पेनल्टी की राशि	₹ 1,21,39,530	₹ 1,49,70,220

तथापि, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने कोटे के कम उठाए जाने के लिए पेनल्टी लगाने की कार्यवाही नहीं की थी परिणामस्वरूप ₹ 2.71 करोड़ की पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) जींद तथा नारनौल ने अप्रैल 2018 में बताया कि ₹ 2.41 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 52.59 लाख की शेष राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। शेष चार डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने मार्च तथा जून 2018 में बताया कि ₹ 2.16 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला मई 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

3.5 अंतरीय लाइसेंस फीस की अवसूली

विभाग द्वारा मूल आबंटियों से लाइसेंस फीस की अंतरीय राशि वसूल करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य आबकारी नीति का पैरा 6.5 तथा 2.19 निर्धारित करता है कि यदि आबंटी प्रतिभूति जमा का भुगतान करने में विफल रहता है और किसी माह में लाइसेंस फीस एवं ब्याज का भुगतान नहीं करता है तो लाइसेंसधारी की दुकान अगले माह के प्रथम दिन से बंद कर दी जाएगी और डी.ई.टी.सी. (आबकारी), ई.टी.सी. की पूर्व अनुमति लेने के बाद मूल आबंटी के जोखिम और लागत पर इसका पुनः आबंटन कर सकता है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कैथल तथा रोहतक के वर्ष 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च तथा मई 2016 में दो खुदरा दुकानों की नीलामी ₹ 6.24 करोड़ में की गई। ₹ 6.24 करोड़ की कुल बोली राशि में से आबंटियों ने ₹ 1.68 करोड़ (₹ 1.09 करोड़ का प्रतिभूति जमा तथा ₹ 0.59 करोड़ की लाइसेंस फीस) का भुगतान किया और देय तारीख तक ₹ 4.56 करोड़ की शेष राशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने जुलाई 2016 में उनकी खुदरा दुकानों को रद्द कर दिया और बाद में शेष अवधि के लिए मूल आबंटियों के जोखिम और लागत पर ₹ 2.68 करोड़ में अगस्त तथा अक्टूबर 2016 में उन्हें पुनः नीलामी/आबंटित कर दी। तथापि, यह मूल आबंटियों से ₹ 1.88 करोड़ (₹ 4.56 करोड़ - ₹ 2.68 करोड़) की अंतरीय राशि को वसूल करने के लिए कार्यवाही करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ के सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) कैथल ने अगस्त 2018 में बताया कि चूककर्ता से ₹ 3.47 लाख की राशि वसूल कर ली गई है। डी.ई.टी.सी. (आबकारी) रोहतक ने नवंबर 2017 में बताया कि चूककर्ता से ₹ 1.27 करोड़ की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

3.6 शराब के अवैध स्वामित्व और व्यापार के लिए पेनल्टी की अवसूली

वाहनों की जब्ती के एक से तीन वर्षों के समापन के बाद भी विभाग, उनकी नीलामी करके या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली द्वारा अवैध शराब के स्वामित्व के लिए दोषियों से ₹ 73.84 लाख की संपूर्ण पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने में विफल रहा।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 (1) (एएए) (सी) (i) में प्रावधान है कि अवैध शराब⁵ के स्वामित्व के लिए दोषी 750 मिलीलीटर की बोतल पर जो ₹ 50 से कम न हो और ₹ 500 प्रति बोतल से अधिक न हो की पेनल्टी उद्ग्रहणीय है। आगे, हरियाणा पेनल्टी लगाना तथा वसूली नियम, 2003 में प्रावधान है कि यदि पेनल्टी का भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता तो कलैक्टर शराब के साथ परिवहन के साधन की जब्ती हेतु आदेश पारित करेगा और जब्ती के आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिवहन के साधन की नीलामी की जाएगी।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) के छः कार्यालयों⁶ के वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने 157 मामलों में अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के मध्य अवैध शराब की 64,647 बोतलें पकड़ी और 61 वाहन जब्त किए। विभाग ने नोटिस देने और उसके संबंधित दोषी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण की जांच करके 106 मामलों में ₹ 74.89 लाख की पेनल्टी लगाई। शेष मामलों में लेखापरीक्षा ने 51 मामलों में ₹ 50 की न्यूनतम दर पर ₹ 11.30 लाख की पेनल्टी परिकलित की। इस प्रकार पेनल्टी की कुल राशि ₹ 86.19 लाख परिकलित की गई। विभाग ने केवल ₹ 12.35 लाख वसूल किए तथा एक से तीन वर्षों के समापन के बाद भी जब्त वाहनों की नीलामी करने या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने हेतु ₹ 73.84 लाख की शेष पेनल्टी वसूल करने के लिए कार्यवाही नहीं की थी।

यह इंगित किए जाने पर, सभी डी.ई.टी.सी. (आबकारी) ने अगस्त 2016 तथा अप्रैल 2018 के मध्य बताया कि संबंधित चूककर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे तथा चूककर्ताओं से ₹ 73.84 लाख की वसूली की जाएगी।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

⁵ अवैध शराब का अर्थ है किसी गुणवत्ता नियंत्रण जांच के बिना गैर-कानूनी ढंग से तैयार की गई शराब जो अनुमत सीमा से अधिक मादक केंद्रीकरण के कारण मानवीय खपत हेतु उपयुक्त नहीं है।

⁶ अंबाला, फरीदाबाद, जगाधरी, जींद, कैथल तथा पंचकूला।

3.7 लाइसेंस फीस के विरुद्ध सहभागिता फीस के अनियमित समायोजन के कारण राजस्व की हानि

विभाग द्वारा दुकानदारों से देय लाइसेंस फीस के विरुद्ध सहभागिता फीस का राज्य आबकारी नीति के उल्लंघन में अनियमित समायोजन अनुमत किया गया था परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 31.20 लाख के राजस्व की हानि हुई।

वर्ष 2015-16 की राज्य आबकारी नीति का पैरा 2.15 निर्धारित करता है कि बोलीदाता को प्रत्येक शराब की दुकान के लिए ₹ 10,000 की दर पर सहभागिता फीस जमा करवानी होगी। सहभागिता फीस अप्रत्यापनीय एवं असमायोजनीय है।

डी.ई.टी.सी. (आबकारी) फरीदाबाद तथा सोनीपत के वर्ष 2015-16 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 33 दुकानदारों द्वारा देय लाइसेंस फीस के विरुद्ध ₹ 31.20 लाख की सहभागिता फीस समायोजित की गई थी जो राज्य आबकारी नीति के प्रावधानों के विरुद्ध थी। विभाग द्वारा राज्य आबकारी नीति के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 31.20 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (आबकारी) सोनीपत ने मार्च 2017 में बताया कि मामले की जांच की जाएगी और अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि डी.ई.टी.सी. (आबकारी) फरीदाबाद ने लेखापरीक्षा परिणामों को स्वीकार किया, वसूली हेतु की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को सूचित नहीं की गई थी।

मामला अप्रैल 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि देय समुचित रूप से एकत्रित किए जाते हैं, आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

अध्याय-4
स्टाम्प शुल्क

अध्याय-4: स्टाम्प शुल्क

4.1 कर प्रबंध

स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस से प्राप्तियां उपयुक्त संशोधनों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम), पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम), पंजाब स्टाम्प नियम, 1934 तथा हरियाणा स्टाम्प (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 1978 के अन्तर्गत विनियमित की जाती हैं। अपर मुख्य सचिव, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा, विभिन्न दस्तावेजों के पंजीकरण के संबंध में प्रबंधन हेतु उत्तरदायी हैं। स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण पर समग्र नियंत्रण एवं अधीक्षण, पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.आर.), हरियाणा, चण्डीगढ़ के पास निहित है। आई.जी.आर. की सहायता उपायुक्तों (डी.सी.), तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों द्वारा क्रमशः रजिस्ट्रारों, सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.) तथा संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.) के रूप में कार्य करते हुए की जाती है।

संपत्तियों के हस्तांतरण पर शुल्क एवं फीस के उद्ग्रहण के लिए करार में उल्लिखित संपत्ति का मूल्य या कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार दर, जो भी अधिक हो, को माना जाता है। स्टाम्प ड्यूटी (एस.डी.) पांच प्रतिशत की दर पर उद्ग्रह्य है। नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित संपत्तियों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त एस.डी. उद्ग्रह्य है। महिलाओं के लिए दो प्रतिशत की छूट है।

पंजीकरण शुल्क (आर.एफ.) लेन-देन मूल्य¹ पर आधारित विभिन्न दरों पर उद्ग्रह्य है।

स्टाम्प ऑडिटर प्रत्येक जिले में तैनात है जो जिले में सभी एस.आर./जे.एस.आर. कार्यालयों को कवर करता है और उस जिले के प्रत्येक एस.आर./जे.एस.आर. में सभी दस्तावेजों/कार्यों की जांच करता है। यह विभाग द्वारा स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्रावली है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2017-18 में राजस्व विभाग के 132 यूनिटों में से 103 यूनिटों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 2,353 मामलों में ₹ 135.68 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, इत्यादि का

1


लेन-देन मूल्य (₹)	पंजीकरण फीस (₹)
1 से 50,000	100
50,001 से 1,00,000	500
1,00,001 से 5,00,000	1000
5,00,001 से 10,00,000	5000
10,00,001 से 20,00,000	10,000
20,00,001 से 25,00,000	12,500
25,00,000 से अधिक	15,000

अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई जो तालिका 4.1 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

तालिका 4.1 - लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1.	पट्टा करार पर स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	466	67.13
2.	निम्नलिखित के कारण स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अवसूली/कम वसूली <ul style="list-style-type: none"> • अचल संपत्ति का अवमूल्यांकन • दस्तावेजों का गलत वर्गीकरण 	1,300 216	54.53 8.69
3.	करार विलेखों में उल्लिखित राशि से कम प्रतिफल पर संपत्ति की बिक्री के कारण स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	51	0.51
4.	अधिगृहीत भूमि के बंधक विलेखों/मुआवजा प्रमाण-पत्रों पर स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट	155	3.93
5.	विविध अनियमितताएं	165	0.89
योग		2,353	135.68

चार्ट 4.1



वर्ष के दौरान, विभाग ने 1,030 मामलों में आवेष्टित ₹ 84.56 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 992 मामलों में आवेष्टित ₹ 73.25 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने वर्ष 2017-18 के दौरान 21 मामलों में ₹ 8.51 लाख वसूल किए।

₹ 84.22 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी तरह के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।

4.3 पट्टा करारों पर स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

4.3.1 प्रस्तावना

पट्टा करारों का साधारण करारों के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण खनन पट्टे के 30 दस्तावेजों पर अपर्याप्त रूप से स्टाम्प लगाए गए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। वार्षिक औसत किराए की गणना के लिए वार्षिक वृद्धि को ध्यान में न रखने और 25 मामलों में स्टाम्प शुल्क की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप ₹ 13.17 करोड़ के एस.डी. और आर.एफ. की कम वसूली हुई।

हरियाणा खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा रोडवेज, नगर निगमों के 411 करारों के पट्टा विलेखों के गैर-निष्पादन और मोबाईल टावरों के पट्टा विलेखों के गैर-पंजीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 29.60 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

राज्य सरकार, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों जैसे बिक्री, गिरवी, पट्टा इत्यादि पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण करती है। संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 105 के अंतर्गत अचल संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति के अधिकार का हस्तांतरण है, जो एक निश्चित समय के लिए, व्यक्त या निहित है, या निरंतरता में भुगतान की गई कीमत या वादे, या धन के विचार में है। फसलों, सेवा या मूल्य की किसी भी अन्य वस्तु का समय-समय पर या निर्दिष्ट अवसरों पर हस्तांतरण करने वाले को हस्तांतरण द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, जो ऐसी शर्तों पर हस्तांतरण स्वीकार करता है। हरियाणा सरकार द्वारा उपयुक्त संशोधनों के साथ यथा अपनाए गए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आई.एस. अधिनियम) और भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (आई.आर. अधिनियम) द्वारा राज्य में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) और पंजीकरण फीस (आर.एफ.) विनियमित की जाती है।

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए राज्य में 21 जिलों² में संयुक्त सब-रजिस्ट्रार (जे.एस.आर.)/सब-रजिस्ट्रार (एस.आर.) के 130 कार्यालयों में से 103 कार्यालयों के पट्टा करारों की अप्रैल 2017 और मार्च 2018 के मध्य लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए नमूना-जांच की गई कि क्या पट्टा विलेखों के पंजीकरण के लिए निर्धारित दरों के आधार पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस सही प्रकार से उद्ग्रहीत की गई है।

पट्टा विलेखों के पंजीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है:

² अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, मेवात, मोहिन्दरगढ़, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

4.3.2 पंजीकरण फीस और स्टाम्प शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

आई.एस. अधिनियम की धारा 33 (1) में प्रावधान है कि लोक कार्यालय का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति, जिसके समक्ष प्रभार्य शुल्क वाला कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे दस्तावेज को जब्त करेगा यदि उस दस्तावेज पर विधिवत् स्टाम्प नहीं लगाया गया हो। अधिनियम की धारा 38 (2) के अंतर्गत जब्त किए गए दस्तावेजों को ऐसे दस्तावेज जब्त करने वाले व्यक्ति द्वारा कलेक्टर के पास भेजा जाना अपेक्षित है।

(i) खनन पट्टा दस्तावेजों का सामान्य करार में गलत वर्गीकरण

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (i) (डी) के अंतर्गत अचल-संपत्ति का वर्ष-दर-वर्ष या एक वर्ष की अवधि से अधिक के लिए पट्टे पर होना या जिससे वार्षिक किराया प्राप्त हो रहा है, अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज है। आई.एस. अधिनियम की अनुसूची 1-ए का अनुच्छेद 35 आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि के अतिरिक्त जुर्माने या प्रीमियम या अग्रिम की राशि के बराबर प्रतिफल हेतु निर्धारित दरों³ पर तथा पट्टे की अवधि के आधार पर पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान करता है।

एस.आर./जे.एस.आर. के 12 कार्यालयों⁴ में नवंबर 2014 और जनवरी 2017 के मध्य सात से 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे के 30 दस्तावेज थे। पट्टाधारकों ने अनुबंध की अवधियों के दौरान देय ₹ 720.88 करोड़ की राशि के वार्षिक औसत किराए का भुगतान किया। इन विलेखों को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना था तथा निर्धारित दरों पर ₹ 24.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और ₹ 4.40 लाख की पंजीकरण फीस उद्ग्रह्य थी। तथापि, इन विलेखों पर विधिवत स्टाम्प नहीं लिया गया था तथा ₹ 6,720 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया था और मात्र ₹ 3.95 लाख की पंजीकरण फीस ली गई। जन अधिकारी ने इन दस्तावेजों को जब्त नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सामान्य करारों के रूप में पट्टा करारों के गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 24.36 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.005 करोड़ की पंजीकरण फीस (₹ 45,000) का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर एस.आर. नारनौल और समालखा ने जनवरी और अप्रैल 2018 में बताया कि कलेक्टर द्वारा तीन मामलों का निर्णय क्रमशः मई और जुलाई 2017 में कर दिया गया और ₹ 3.64 करोड़ (समालखा: ₹ 3.21 करोड़ दो मामले; नारनौल: ₹ 0.43 करोड़ एक मामला) की वसूली के लिए डिफाल्टरों को नोटिस जारी किए गए हैं। एस.आर. फरीदाबाद ने बताया (अक्टूबर 2018) कि अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए एक मामला कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। शेष 10 एस.आर. ने बताया (मार्च और सितंबर 2018 के मध्य) कि आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत मामले निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए थे।

³ एक वर्ष से पांच वर्ष तक: औसत वार्षिक किराए पर 1.5 प्रतिशत, पांच वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से अधिक नहीं: औसत वार्षिक किराए पर 3 प्रतिशत, 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक नहीं: औसत वार्षिक किराए पर 6 प्रतिशत, 20 से अधिक वर्ष और 30 वर्ष से अधिक नहीं: औसत वार्षिक किराए पर 9 प्रतिशत, 30 वर्ष से अधिक और 100 वर्ष से अधिक नहीं: औसत वार्षिक किराए पर 12 प्रतिशत।

⁴ छछरौली, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गन्नौर, घरौंडा, इंद्री, मोहिन्दरगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल, रायपुर रानी, समालखा तथा सोनीपत।

(ii) वार्षिक औसत किराए की गलत गणना

एस.आर. के पांच कार्यालयों⁵ में लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2016 और मार्च 2017 के मध्य तीन से 99 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत 13 दस्तावेजों के संबंध में, वार्षिक औसत किराए की गणना ₹ 114.83 करोड़ के रूप में की जानी थी और ₹ 13.30 करोड़ का स्टाम्प शुल्क तथा ₹ 0.02 करोड़ की पंजीकरण फीस उद्ग्राह्य थी। तथापि पंजीकरण प्राधिकारियों ने वार्षिक औसत किराए का परिकलन करने के लिए वार्षिक वृद्धि को ध्यान में न रखे जाने के कारण ₹ 5.75 करोड़ के रूप में इन दस्तावेजों में वार्षिक औसत किराए का निर्धारण किया तथा ₹ 0.23 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.01 करोड़ की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.07 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.002 करोड़ (₹ 19,000) की पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, एस.आर. मानेसर ने मई 2018 में बताया कि ₹ 11,500 की राशि वसूल की गई है। अधीक्षक, स्टाम्प एवं पंजीकरण, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार ने संबंधित उपायुक्तों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई राशि वसूल करने के लिए पत्र जारी किया (2 अगस्त 2018)।

(iii) स्टाम्प शुल्क की गलत दर पर गणना

चार एस.आर.⁶ के 12 मामलों में, 10 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष से कम की अवधि के पट्टे के लिए छः से नौ प्रतिशत की दर पर ₹ 28.55 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.52 लाख की पंजीकरण फीस वसूल की जानी थी। पंजीकरण प्राधिकारी ने 1.5 से तीन प्रतिशत की दर पर ₹ 18.27 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.33 लाख की पंजीकरण फीस वसूल की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.28 लाख के स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.20 लाख की पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, एस.आर. जींद ने अप्रैल 2018 में बताया कि ₹ 33,706 की राशि की वसूली कर ली गई है। एस.आर. फिरोजपुर झिरका ने मई 2018 में बताया कि ₹ 79,872 की बकाया राशि की वसूली के आदेश जारी किए गए थे। शेष एस.आर. गुरुग्राम और मानेसर ने अप्रैल और मई 2018 में बताया कि आई.एस. अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत मामले निर्णय के लिए कलेक्टर के पास भेजे गए हैं।

सरकार द्वारा राजस्व के उद्ग्रहण और संग्रहण में त्रुटि की समय पर पहचान और सुधार सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने और दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण की पुनरावृत्ति से बचने की आवश्यकता है।

4.3.3 पट्टा करार का पंजीकरण न होने के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस की हानि

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (i) (डी) के अंतर्गत अचल-संपत्ति का पट्टा वर्ष-दर-वर्ष या एक वर्ष से अधिक अवधि पर होना या निर्धारित वार्षिक किराए पर हो तो यह अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेज है। आगे, पट्टे के मामलों में, उचित स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस पट्टाधारकों द्वारा वहन की जाएगी।

⁵ फारूखनगर, मानेसर, पानीपत, समालखा तथा सोनीपत।

⁶ एस.आर.: फिरोजपुर झिरका, गुरुग्राम, जींद तथा मानेसर।

(क) खनन पट्टा करार का पंजीकरण न होने के कारण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस की हानि

आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) में निहित शर्त के अनुसार, खनन पट्टा अनुबंध पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस लगाई जाती है। निदेशक, खदान और भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा ने 08 मई 2017 के पत्र द्वारा सभी क्षेत्रीय खनन कार्यालयों को निदेश दिया कि निष्पादित करार को प्रासंगिक कानून के अंतर्गत संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के पास विधिवत पंजीकृत किया जाना चाहिए और वे, लागू दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ई.)/खनन अभियंता (एम.ई.) से एकत्र की गई जानकारी की जांच से पता चला कि 15 में से पांच ए.एम.ई./एम.ई.⁷ में, अगस्त 2015 और जनवरी 2018 के मध्य सात से 12 साल तक की विभिन्न अवधि के लिए 40 पट्टा करार निष्पादित किए गए थे। एक साल से अधिक की अवधि के पट्टा और अनुबंध के दस्तावेजों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के भुगतान पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना आवश्यक था। लाइसेंसों की अनुमति के लिए लाइसेंसधारकों ने ₹ 827.26 करोड़ के वार्षिक औसत पट्टा किराए का भुगतान किया। इन दस्तावेजों का पंजीकरण होना आवश्यक था और ₹ 29.22 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹ 6.00 लाख की पंजीकरण फीस की वसूली की जानी थी। इन लाइसेंसधारकों द्वारा पट्टा विलेखों के पंजीकरण न करने से सरकार को ₹ 29.22 करोड़ और ₹ 0.06 करोड़ के क्रमशः स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस से वंचित कर दिया।

यह इंगित किए जाने पर, सभी ए.एम.ई./एम.ई. ने मार्च और मई 2018 में बताया कि वर्ष 2014 की रिट याचिका नं. 7991 के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फील्ड कार्यालयों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने निदेश दिया है कि एस.डी. और आर.एफ. का भुगतान न होने के कारण अनुबंध रद्द नहीं किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने इन दस्तावेजों के पंजीकरण पर रोक नहीं लगाई। इसके अतिरिक्त, विभाग आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) में निहित शर्त के अनुसार इन दस्तावेजों के पंजीकरण करवाने पर जोर देने में विफल रहा।

मामला सरकार को सूचित किया गया (अक्टूबर 2018), सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) और संबंधित उपायुक्तों को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एस.डी. और आर.एफ. की कम राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाने के निदेश जारी किए।

(ख) सरकारी निगम और निजी पार्टी के मध्य करार

20 पर्यटन परिसरों के संबंध में हरियाणा पर्यटन निगम, चण्डीगढ़ से एकत्र की गई सूचना की जांच से पता चला कि अप्रैल 2014 और मार्च 2017 के मध्य 204 करारों को निष्पादित किया गया था। हरियाणा पर्यटन निगम ने पर्यटन परिसरों में व्यवसाय चलाने के लिए द्विवार्षिक/त्रिवार्षिक आधार पर लाइसेंस दिए। लाइसेंस की अनुमति के लिए लाइसेंसधारियों ने ₹ 6.10 करोड़ का वार्षिक औसत पट्टा किराया दिया। पर्यटन निगम ने दस्तावेजों को केवल

⁷ भिवानी, हिसार, नारनौल, पानीपत तथा यमुनानगर।

₹ 11,070 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर करार के रूप में स्वीकार कर लिया। निगम ने संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. के पास पट्टे विलेख के रूप में इन दस्तावेजों को पंजीकृत करवाने के लिए लाइसेंसधारकों पर जोर नहीं दिया। इन दस्तावेजों को पंजीकृत किया जाना था और ₹ 9.15 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 3.78 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जानी थी। इन लाइसेंसधारकों द्वारा पट्टा विलेखों के गैर-निष्पादन के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के रूप में क्रमशः ₹ 9.04 लाख और ₹ 3.78 लाख के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर, पर्यटन निगम ने अप्रैल 2018 में बताया कि इन दस्तावेजों को संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. के पास पंजीकृत करवाने के लिए फील्ड इकाइयों में सभी डी.डी.ओ. को निदेश जारी किए गए थे। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) को इन लाइसेंसधारकों से अपेक्षित स्टाम्प शुल्क एकत्र करने का निदेश भी दिया गया था।

(ग) सरकारी विभाग और निजी पार्टी के मध्य करार

हरियाणा रोडवेज के नौ डिपो से एकत्रित सूचना की संवीक्षा ने प्रकट किया कि हरियाणा रोडवेज बस स्टैंडों के परिसरों में कारोबार करने के लिए द्विवार्षिक/त्रैवार्षिक आधार पर पट्टे देने के लिए अप्रैल 2016 और जुलाई 2017 के मध्य 110 करारों को निष्पादित किया गया था। लाइसेंसधारकों ने पट्टे की अनुमति के लिए ₹ 5.13 करोड़ का वार्षिक औसत पट्टा राशि का भुगतान किया। हरियाणा रोडवेज ने दस्तावेजों को केवल ₹ 3,880 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध के रूप में स्वीकार कर लिया। इन दस्तावेजों को संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. के पास पट्टा विलेख के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था। इन पर ₹ 7.70 लाख और ₹ 3.03 लाख का क्रमशः स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जानी थी। इन लाइसेंसधारकों द्वारा पट्टा विलेख के गैर निष्पादन ने क्रमशः ₹ 7.66 लाख और ₹ 3.03 लाख स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के रूप में राजस्व से सरकार को वंचित कर दिया।

यह इंगित किए जाने पर, हरियाणा रोडवेज के नौ महाप्रबंधकों (जी.एम.) ने मई 2018 में बताया कि पट्टाधारकों से ₹ 10.69 लाख की बकाया राशि वसूलने के प्रयास किए जाएंगे और भविष्य में इन दस्तावेजों को संबंधित एस.आर./जे.एस.आर. के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

(घ) मोबाइल टावर के पट्टा विलेख का पंजीकरण न करना

पंचकूला और अंबाला नगर निगमों से एकत्रित सूचना के अनुसार, अप्रैल 2014 और मार्च 2017 के मध्य 55 मोबाइल टावर लगाए गए थे। नगर निगमों द्वारा मोबाइल फोन टावरों की स्थापना के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था। इन मामलों में मोबाइल फोन टावरों की स्थापना के लिए मोबाइल फोन कंपनियों द्वारा नौ से 20 साल की पट्टा अवधि के लिए भूमि मालिकों से भूमि पट्टे पर ली गई थी। इन पट्टा विलेखों को अनिवार्य रूप से अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था और ₹ 5.57 लाख और ₹ 0.55 लाख का क्रमशः स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जानी थी। तथापि, ये पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं थे और ₹ 5,410 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.52 लाख के स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.55 लाख की पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, एम.सी. पंचकूला ने जून 2018 में बताया कि ₹ 2.76 लाख की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे और पट्टा करारों को संबंधित एस.आर. के पास पंजीकृत करवाया जाएगा।

मामला जून 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। सरकार ने संबंधित विभाग को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस की अपूर्ण राशि को वसूल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निदेश (अगस्त 2018) दिए हैं।

(ड.) पट्टेदार के रूप में नगर निगम

एक मामले में नगर निगम, पंचकूला ने तीन-तीन साल के दो अंतराल के लिए 16 अक्टूबर 2013 से 15 अक्टूबर 2019 तक तीन साल के लिए मासिक किराए के आधार पर कार्यालय के उपयोग के लिए एक इमारत ली। इन पट्टा विलेखों को अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाया जाना अपेक्षित था। ₹ 92.96 लाख के वार्षिक औसत किराए पर 1.5 प्रतिशत की दर पर ₹ 1.40 लाख का स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.30 लाख की पंजीकरण फीस उद्गृहीत की जानी थी। तथापि, ये पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं किए गए थे और केवल ₹ 20 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.40 लाख के स्टाम्प शुल्क और ₹ 0.30 लाख की पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

राज्य सरकार सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) को निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है, ताकि संपत्ति को पट्टे पर देने के लिए किए गए सभी पट्टा विलेख अनुबंधों का पंजीकरण अनिवार्य किया जा सके।

4.3.4 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा यथा इंगित किए गए आई.एस. अधिनियम तथा पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के दृष्टांत विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को इंगित करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई तंत्र मौजूद नहीं था कि उन दस्तावेजों के संबंध में पंजीकरण किया जा रहा था, जिन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक था। सार्वजनिक कार्यालयों और पंजीकरण कार्यालय के मध्य सूचना साझा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप विभाग उन पट्टा करारों का पता नहीं लगा सका जो विधिवत पंजीकृत नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 67.13 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कदम उठा सकता है।

4.4 बिक्री विलेखों का संयुक्त करार के रूप में के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा 10 बिक्री विलेखों का बिक्री करार की बजाए संयुक्त करार के रूप में गलत वर्गीकरण किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.99 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

अक्टूबर 2013 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार कोई करार, जो किसी अचल संपत्ति के निर्माण, विकास या विक्रय या हस्तांतरण (किसी भी तरीके से) हेतु प्रमोटर या डवलपर, किसी नाम से ज्ञात, को प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित हो, पर स्टाम्प शुल्क देय होगा जैसा कि बिक्री के करार में उल्लिखित संपत्ति के बाजार मूल्य पर हस्तांतरण पर उद्ग्रहणीय होता है।

नौ एस.आर.⁸ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मई 2015 तथा जनवरी 2017 के मध्य 10 संयुक्त करार⁹ पंजीकृत किए गए थे जिन पर ₹ 0.17 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की गई थी। इन करारों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि भूमि के मालिकों ने डवलपरज को शॉप-कम-फ्लैटज और आवासीय घर बनाने के अधिकार के साथ भूमि का स्वामित्व लेने का प्राधिकार दे दिया। इसलिए ये करार अक्टूबर 2013 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एस.डी. के उद्ग्रहण के लिए दायी थे। कलेक्टर द्वारा नियत दरों के अनुसार, डवलपरज को हस्तांतरित भूमि का मूल्य ₹ 90.67 करोड़ परिकलित किया गया जिस पर ₹ 6.16 करोड़ का स्टाम्प शुल्क¹⁰ एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहणीय थी। इस प्रकार, संयुक्त करारों के रूप में इन दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 5.99 करोड़ (₹ 6.16 करोड़ - ₹ 0.17 करोड़) के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, एस.आर. रेवाड़ी ने बताया (अप्रैल 2018) कि कलेक्टर ने ₹ 2.81 लाख की राशि वसूल करने के लिए आदेश जारी कर दिया था। चार एस.आर.¹¹ ने मार्च तथा अप्रैल 2018 के मध्य बताया कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलेक्टर के पास भेजे गए थे।

मामला फरवरी 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। मई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग, संयुक्त करार के संबंध में अक्टूबर 2013 में जारी अधिसूचना का सख्ती से अनुसरण कर सकता है।

⁸ धारुहेड़ा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, नीलोखेड़ी, पलवल, पंचकुला, रतिया तथा रेवाड़ी।

⁹ सहयोगात्मक या सहकारी आधार पर वाणिज्यिक परियोजना पर इक्कठे काम करने के इच्छुक कम से कम दो दलों के बीच एक समझौता। समझौते में पार्टियों के कामकाजी संबंधों के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों को शामिल किया गया है जिसमें जिम्मेदारियों का आबंटन और उस कार्य से प्राप्त होने वाले राजस्व का बंटवारा शामिल है।

¹⁰ ₹ 10,12,11,031 का 5 प्रतिशत = ₹ 50,60,552 तथा ₹ 80,54,59,375 का 7 प्रतिशत = ₹ 5,63,82,156 (₹ 50,60,552 + ₹ 5,63,82,156 = ₹ 6,14,42,708 अर्थात् ₹ 6.14 करोड़)।

¹¹ फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर तथा नीलोखेड़ी।

4.5 आवासीय/वाणिज्यिक संपत्ति को कृषीय संपत्ति मानते हुए गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

कलैक्टर द्वारा रिहायशी/व्यावसायिक संपत्ति के लिए निर्धारित की गई दरों की बजाय कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर 74 विलेख पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 4.69 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

पंजीकरण प्राधिकारियों ने नगरपालिका की सीमाओं के भीतर पड़ने वाले 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 100 प्लॉटों के बिक्री विलेखों का आवासीय भूमि की बजाय कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर गलत निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

4.5.1 भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अनुसार यदि पंजीकरण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि संपत्ति अथवा प्रतिफल का मूल्य दस्तावेज में सही नहीं दर्शाया गया है तो वह ऐसे दस्तावेज को पंजीकरण के पश्चात् मूल्य अथवा प्रतिफल तथा उचित देय शुल्क के निर्धारण हेतु, जैसा भी मामला हो, कलैक्टर के पास भेजा जा सकता है।

15 सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.)/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.)¹² के वर्ष 2016-17 के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कलैक्टर द्वारा कृषीय भूमि के लिए निर्धारित दरों पर 74 विलेखों की कीमत ₹ 48.85 करोड़ आंकी गई थी जिस पर विभाग ने ₹ 3.03 करोड़ (एस.डी. ₹ 2.97 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.06 करोड़) का स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस उद्ग्रहीत की। तथापि, कलैक्टर द्वारा निर्धारित दर सूचियों में दिए गए भूमि अभिलेख/खसरा नंबरों के अनुसार ये अचल संपत्तियां राजस्व विभाग द्वारा अनुरक्षित भूमि अभिलेखों (जमा बंदियों) के अनुसार व्यावसायिक¹³/रिहायशी संपत्ति थी। कलैक्टर द्वारा व्यावसायिक/रिहायशी संपत्तियों के लिए निर्धारित की गई दरों के अनुसार इन संपत्तियों की कीमतों का निर्धारण ₹ 140.41 करोड़ होना चाहिए था जिस पर ₹ 7.72 करोड़ (एस.डी. ₹ 7.65 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.07 करोड़) का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस ली जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप रिहायशी/व्यावसायिक संपत्तियों के कृषीय भूमि के रूप में गलत मूल्यांकन से ₹ 4.69 करोड़ (एस.डी. ₹ 4.68 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.01 करोड़) के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर एस.आर./जे.एस.आर. गुरुग्राम, सोहना तथा मानेसर ने अप्रैल 2018 में बताया कि मामले धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलैक्टर के पास भेजे गए हैं। 11 एस.आर./जे.एस.आर.¹⁴ ने बताया (जून 2017 तथा जनवरी 2018 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे।

मामला मार्च 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जून तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

¹² असंध, बल्ला, बिलासपुर, छछरौली, फारूखनगर, घरौंडा, गुरुग्राम, जगाधरी, करनाल, मानेसर, निसिंग, पटौदी, रादौर, सरस्वती नगर तथा सोहना।

¹³ शैक्षणिक संस्थान, फैक्टरी, गोदाम, पोल्ट्री फार्म, राईस शैलर, वेयरहाउस तथा दुकान।

¹⁴ असंध, बिलासपुर, छछरौली, फारूखनगर, घरौंडा, जगाधरी, करनाल, निसिंग, पटौदी, रादौर तथा सरस्वती नगर।

4.5.2 बिक्री विलेखों में स्टाम्प शुल्क (एस.डी.) का अपवंचन रोकने के उद्देश्य से सरकार ने नवंबर 2000 में राज्य में सभी पंजीकरण प्राधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी किए कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर बेची गई कृषीय भूमि 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र अथवा ऐसे मामलों में जहां खरीददार एक से ज्यादा हैं तथा प्रत्येक खरीददार का हिस्सा 1,000 वर्ग गज से कम है, पर एस.डी. लगाने के उद्देश्य से उस इलाके में आवासीय संपत्ति के लिए निर्धारित दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

20 पंजीकरण कार्यालयों¹⁵ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर पड़ने वाले तथा 1,000 वर्ग गज से कम क्षेत्र वाले 100 बिक्री विलेख अप्रैल 2014 तथा मार्च 2017 के मध्य पंजीकृत किए गए थे। इन विलेखों का निर्धारण कृषीय भूमि के लिए नियत दरों के आधार पर ₹ 19.94 करोड़ किया गया तथा ₹ 0.95 करोड़ (एस.डी. ₹ 0.88 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.07 करोड़) का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्ग्रहीत किया गया था। तथापि, इन इलाकों में आवासीय भूमि के लिए निर्धारित दर पर इन विलेखों का निर्धारण ₹ 45.98 करोड़ किया जाना था तथा ₹ 3.40 करोड़ (एस.डी. ₹ 3.28 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.12 करोड़) का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्ग्रहणीय था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ (एस.डी. ₹ 2.40 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.05 करोड़) के एस.डी. तथा आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सब-रजिस्ट्रार (एस.आर.) कालका तथा गुरुग्राम ने अक्टूबर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य बताया कि मामले निर्णय हेतु कलैक्टर के पास भेजे गए थे तथा 13 एस.आर.¹⁶ ने बताया (जनवरी तथा नवंबर 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय हेतु कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे। शेष पांच एस.आर. से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

मामला फरवरी 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। मई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

सरकार, एस.डी. और आर.एफ. की सही दरों को सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण से पहले भूमि रिकॉर्ड/अन्य संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर आवासीय या वाणिज्यिक रूप से संपत्तियों को सही ढंग से वर्गीकृत करने के लिए विभाग को निर्देश दे सकती है।

¹⁵ अंबाला छावनी, अंबाला शहर, अटेली, बल्लभगढ़, बराड़ा, बरवाला, फरीदाबाद, फारुखनगर, फतेहाबाद, फिरोजपुर झिरका, गौँछी, घरौंडा, गुरुग्राम, जगाधरी, कालका, करनाल, नारायणगढ़, पंचकूला, पटौदी तथा टोहाना।

¹⁶ अंबाला छावनी, अंबाला शहर, अटेली, बरवाला, फारुखनगर, फतेहाबाद, फिरोजपुर झिरका, गौँछी, जगाधरी, करनाल, नारायणगढ़, पंचकूला तथा टोहाना।

4.6 बिक्री विलेख का निर्मुक्त विलेख¹⁷ के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने बिक्री पर हस्तांतरण का निर्मुक्त विलेख के रूप में गलत वर्गीकरण किया और कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 1.71 करोड़ की बजाय ₹ 10,920 के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ के एस.डी. तथा आर.एफ. का कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ए में अनुच्छेद 55 के बारे में दिसंबर 2005 में हरियाणा सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि पैतृक संपत्ति का दस्तावेज बहन या भाई (परित्यक्त के माता-पिता के बच्चे) या परित्यक्त के पुत्र या पुत्री या पिता या माता या पति/पत्नी या पोता-पोती या भतीजा या भतीजी या सहभागी¹⁸ के पक्ष में निष्पादित होता है, स्टाम्प शुल्क ₹ 15 की दर पर उद्ग्रहीत किया जाएगा और किसी अन्य मामले में वही शुल्क जो अचल संपत्ति की बिक्री के द्वारा हस्तांतरण के रूप में हिस्सा, हित, त्यागे गए दावे या भाग के बाजार मूल्य के बराबर राशि पर उद्ग्रहीत किया जाएगा।

31 सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.)/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.)¹⁹ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अगस्त 2014 और मार्च 2017 के मध्य 106 निर्मुक्त विलेख जो कि सरकार के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुमत व्यक्तियों, से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए। इसलिए इन विलेखों को बिक्री के रूप में माना जाना चाहिए। पंजीकरण प्राधिकारियों ने तथापि इन विलेखों को निर्मुक्त विलेखों के रूप में माना और गलत दर से केवल ₹ 10,920 (एस.डी. ₹ 4,950 + आर.एफ. ₹ 5,970) का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्ग्रहीत किया। इन विलेखों के लिए कलैक्टर दर के अनुसार मूल्य ₹ 32.99 करोड़ है, इन पर ₹ 1.71 करोड़ (एस.डी. ₹ 1.61 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.10 करोड़) का एस.डी. तथा आर.एफ. इन विलेखों पर उद्ग्रह्य है। बिक्री विलेखों का निर्मुक्त विलेखों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर सभी एस.आर./जे.एस.आर. ने बताया (नवंबर 2016 तथा दिसंबर 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे।

मामला मार्च 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जून तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

¹⁷ विलेख, जिसमें एक व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों का त्याग करता है।

¹⁸ एक व्यक्ति जिसे हिंदू अविभाजित परिवार से संपत्ति विरासत में मिली है।

¹⁹ अंबाला शहर, बल्लभगढ़, बपोली, बल्ला, बरवाला, बेहल, भड्डू कलां, बिलासपुर, चरखी दादरी, फरीदाबाद, फारुखनगर, फिरोजपुर झिरका, गोहाना, इसराना, जगाधरी, करनाल, खरखौदा, लोहारू, मतलौडा, मोहना, नाथूसारी चोपटा, निगदू, नूंह, पानीपत, पटौदी, रतिया, समालखा, सरस्वती नगर, सिवानी, सोहना तथा सोनीपत।

4.7 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

हस्तांतरण विलेखों के 53 दस्तावेजों में जो खून के रिश्तों से अलग अन्य व्यक्तियों के पक्ष में थे, स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹ 88.78 लाख के राजस्व की हानि हुई।

16 जून 2014 के सरकारी आदेश के अनुसार सरकार किसी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को छूट दे सकती है यदि यह मालिक द्वारा जीवनकाल में किसी भी खून के रिश्तों जैसे माता-पिता, बच्चे, पोता-पोती, भाईयों, बहनों और पति/पत्नी के मध्य अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित हो।

वर्ष 2014-17 के लिए 20 सब-रजिस्ट्रारों (एस.आर.)/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों (जे.एस.आर.)²⁰ में हस्तांतरण विलेखों के पंजीकृत दस्तावेजों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि हस्तांतरण विलेखों के उन 53 दस्तावेजों में एस.डी. की छूट दी गई थी जोकि उन अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित किए गए थे जो सरकार के उपर्युक्त आदेशों में अनुमत नहीं थे। स्टाम्प शुल्क की इस अनियमित छूट से ₹ 88.78 लाख (एस.डी. ₹ 83.69 लाख + आर.एफ. ₹ 5.09 लाख) तक के राजस्व की हानि हुई।

यह इंगित किए जाने पर सभी एस.आर./जे.एस.आर. ने बताया (नवंबर 2016 तथा नवंबर 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे।

मामला मार्च 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। मई तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

4.8 प्राइम खसरा वाली भूमि पर सामान्य दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

पंजीकरण प्राधिकारियों ने प्राइम खसरा भूमि को कृषीय भूमि पर नियत दर से गलत निर्धारण किया परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हरियाणा सरकार ने कलैक्टर दरों को नियत करने के लिए भूमि की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यांकन हेतु राजस्व विभाग और नगर समितियों के अधिकारियों से समाविष्ट जिला स्तरीय समितियों का गठन करने के लिए सितंबर 2013 में अनुदेश जारी किए। आगे, हरियाणा राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 प्रावधान करती है कि प्रभार्य शुल्क या शुल्क की राशि वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यतः सामने रखी जानी चाहिए।

30 एस.आर./जे.एस.आर.²¹ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 119 हस्तांतरण विलेख अप्रैल 2014 और मार्च 2017 के मध्य की अवधि के दौरान कृषीय भूमि के लिए

²⁰ बाधरा, बावल, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, बपोली, बेहल, बेरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कनीना, कोसली, लोहारू, मातनहेल, मोहना, नगीना, नूंह, पंचकूला, पुन्हाना, रतिया तथा सतनाली।

²¹ असंध, बाधरा, बहादुरगढ़, बरवाला, भडू कलां, बौंद कलां, छछरौली, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर झिरका, गन्नौर, घरौंडा, गोहाना, इंद्री, कालका, खानपुर कलां, मतलौंडा, मातनहेल, नगीना, नीलोखेड़ी, निसिंग, पानीपत, पुन्हाना, रायपुर रानी, रानिया, सढौरा, साल्हावास, समालखा, सिरसा तथा टोहाना।

नियत सामान्य खसरा दरों पर विक्रय के लिए पंजीकृत किए गए। भू-राजस्व अभिलेखों के अनुसार इन विलेखों के खसरा उच्चतर भूमि दरों वाले प्राइम खसरा थे। इन भूमि के लिए कलैक्टर दर ₹ 62.38 करोड़ थी जिस पर ₹ 2.69 करोड़ (एस.डी. ₹ 2.60 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.09 करोड़) का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्ग्राह्य था। एस.आर./जे.एस.आर. ने सामान्य खसरा के लिए नियत दरों पर इन भूमि का मूल्यांकन ₹ 42.40 करोड़ निर्धारित किया तथा ₹ 1.82 करोड़ (एस.डी. ₹ 1.75 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.07 करोड़) का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्गृहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ (एस.डी. ₹ 0.85 करोड़ + आर.एफ. ₹ 0.02 करोड़) के स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर ए.एस.आर., सालावास ने अप्रैल 2018 में बताया कि एक मामले में ₹ 7,440 की राशि वसूल कर ली गई थी। 11 एस.आर./जे.एस.आर.²² ने मार्च तथा अप्रैल 2018 के मध्य बताया कि मामले धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे। 15 एस.आर./जे.एस.आर.²³ ने बताया (दिसंबर 2016 तथा अक्तूबर 2017 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे। शेष तीन एस.आर. से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

मामला मार्च 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जून तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग स्टाम्प शुल्क के उचित मूल्यांकन के लिए सॉफ्टवेयर हैरिस में प्राइम लैंड और कॉलोनियों/वार्ड/सेक्टरों की खसरा संख्या की पहचान और रिकॉर्ड कर सकता है।

4.9 स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट

21 मामलों में किसानों, जिन्होंने आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी तथा पांच मामलों में मुआवजा प्राप्त करने के दो वर्ष बाद कृषीय भूमि खरीदी, को स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अनियमित छूट अनुमत की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.51 लाख के एस.डी. तथा आर.एफ. का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अधीन जनवरी 2011 को जारी सरकारी आदेश के अनुसार सरकार उन किसानों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की छूट देती है, जिनकी भूमि हरियाणा सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की जाती है और जो उनके द्वारा मुआवजा राशि की प्राप्ति के दो वर्षों के भीतर राज्य में कृषीय भूमि खरीदते हैं। छूट मुआवजा राशि तक सीमित होगी और नियमानुसार कृषीय भूमि की खरीद में शामिल अतिरिक्त राशि पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस उद्ग्रहणीय होगी।

²² असंध, गन्नौर, घरोडा, गोहाना, इंद्री, खानपुर कलां, मातनहेल, नीलोखेड़ी, निसिंग, पानीपत तथा समालखा।
²³ बाधरा, बहादुरगढ़, बरवाला, बौद कलां, छछरौली, ऐलनाबाद, फिरोजपुर झिरका, कालका, मतलौडा, नगीना, पुन्हाना, रायपुर रानी, रानिया, सढौरा तथा सिरसा।

14 जे.एस.आर./एस.आर.²⁴ के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 21 मामलों में किसानों ने, जिनकी भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत की गई थी, ₹ 2.87 करोड़ मूल्य की आवासीय/वाणिज्यिक भूमि खरीदी। पांच मामलों में, कृषीय भूमि दो वर्षों बाद ₹ 1.30 करोड़ में खरीदी गई थी। इन मामलों में भूमि का मूल्य कलैक्टर दर के अनुसार ₹ 4.18 करोड़ था। इन मामलों में ₹ 26.08 लाख (एस.डी. ₹ 23.86 लाख²⁵ + आर.एफ. ₹ 2.22 लाख) का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्गृहीत किया जाना था। तथापि, विभाग ने ₹ 0.57 लाख (एस.डी. ₹ 0.52 लाख + आर.एफ. ₹ 0.05 लाख)²⁶ की राशि के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण किया। इस स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 25.51 लाख (एस.डी. ₹ 23.34 लाख + आर.एफ. ₹ 2.17 लाख) के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर छ: एस.आर./जे.एस.आर.²⁷ ने अप्रैल 2018 में बताया कि मामले धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे गए थे। सात एस.आर./जे.एस.आर. ने बताया (नवंबर 2016 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि मामले भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए के अंतर्गत निर्णय के लिए कलैक्टर के पास भेजे जाएंगे। एस.आर. सतनाली से आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

मामला मार्च 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जून तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग स्टाम्प शुल्क के उचित मूल्यांकन के लिए मुआवजे की राशि से के साथ अधिगृहीत भूमि का केंद्रीकृत डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैरिस में अनुरक्षित कर सकता है।

4.10 अचल संपत्ति के कम मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण

51 बिक्री विलेख पार्टियों के मध्य अनुबंध से कम प्रतिफल पर निष्पादित एवं पंजीकृत किए गए थे परिणामस्वरूप ₹ 20.50 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिकतम ₹ 2.55 लाख तक की पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 निर्धारित करती है कि शुल्क या शुल्क की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वाले किसी दस्तावेज की प्रभार्यता प्रभावित करने वाले प्रतिफल तथा अन्य सभी तथ्य एवं परिस्थितियां इसमें पूर्णतया अथवा सत्यता से सामने रखी जानी चाहिए। आगे, आई.एस. अधिनियम की धारा 64 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जो सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से दस्तावेज निष्पादित करता है जिसमें सभी तथ्य एवं परिस्थितियां जो कि इस दस्तावेज में सामने रखनी अपेक्षित हैं; पूर्णतया एवं सत्यतः नहीं रखी गई है तो वह जुर्माने से दंडनीय है जो ₹ 5,000 प्रति दस्तावेज तक बढ़ सकता है।

²⁴ असंध, बपोली, बावल, धारुहेड़ा, फतेहाबाद, जगाधरी, कालावाली, नाथूसारी चोपटा, नीलोखेड़ी, पानीपत, रादौर, सतनाली, सिरसा तथा टोहाना।

²⁵ तीन से सात प्रतिशत की दर पर एस.डी.।

²⁶ एस.आर. जगाधरी ने ₹ 16,00,000 के संपत्ति मूल्य से ₹ 8,61,096 की मुआवजा राशि समायोजित करने के पश्चात ₹ 7,38,904 पर एस.डी. ₹ 0.52 लाख + आर.एफ. ₹ 0.05 लाख उद्गृहीत किया।

²⁷ असंध, बपोली, बावल, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी तथा पानीपत।

बिक्री के डीड लिखने वाले एवं पंजीकृत अनुबंधों के अभिलेखों की संवीक्षा का 17 एस.आर./जे.एस.आर.²⁸ में निष्पादित बिक्री विलेखों के साथ क्रास सत्यापन किया गया तथा पाया गया कि मई 2014 तथा मई 2017 के मध्य पंजीकृत 51 हस्तांतरण विलेखों में ₹ 7.62 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियों के बिक्री विलेख पर ₹ 33.23 लाख (एस.डी. ₹ 31.72 लाख + आर.एफ. ₹ 1.51 लाख) का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्गृहीत किया गया था। जनवरी 2014 तथा अक्टूबर 2016 के मध्य संबंधित पार्टियों के मध्य निष्पादित अनुबंधों तथा डीड लिखने वालों के अभिलेखों के साथ इन बिक्री विलेखों के क्रास सत्यापन ने दर्शाया कि कुल बिक्री मूल्य ₹ 12.18 करोड़ था जिस पर ₹ 53.73 लाख (एस.डी. ₹ 50.95 लाख + आर.एफ. ₹ 2.78 लाख) का एस.डी. तथा आर.एफ. उद्गृहणीय था। इस प्रकार हस्तांतरण विलेख उससे कम प्रतिफल पर निष्पादित और पंजीकृत किए गए जो पार्टियों के मध्य अनुबंध किए गए थे। हस्तांतरण विलेखों में अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹ 20.50 लाख (एस.डी. ₹ 19.23 लाख + आर.एफ. ₹ 1.27 लाख) के एस.डी. तथा आर.एफ. का कम उद्गृहण हुआ। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज में गलत सूचना के लिए अधिकतम ₹ 2.55 लाख²⁹ तक की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर एस.आर. रेवाड़ी ने अप्रैल 2018 में बताया कि कलैक्टर ने ₹ 69,000 की राशि वसूल करने के लिए आदेश दिए हैं तथा वसूली की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। सात एस.आर./जे.एस.आर.³⁰ ने अप्रैल 2018 में बताया कि मामले निर्णय के लिए धारा 47-ए के अंतर्गत कलैक्टर के पास भेजे गए हैं। आठ एस.आर./जे.एस.आर.³¹ ने बताया (नवंबर 2016 तथा दिसंबर 2017 के मध्य) कि वसूली नियमानुसार की जाएगी। एस.आर. पुन्हाना से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मामला मार्च 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जून तथा नवंबर 2018 में रिमाइंडर जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

सरकार को राजस्व के उद्गृहण और संग्रहण में त्रुटियों का समय पर पता लगाने और सुधार सुनिश्चित करने तथा इंगित की गई गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

²⁸ बल्ला, बावल, भट्ट कलां, फतेहाबाद, घरौंडा, हथीन, इंद्री, जाखल, झज्जर, नगीना, निसिंग, नूंह, पलवल, पानीपत, पुन्हाना, रेवाड़ी तथा टोहाना।

²⁹ ₹ 5,000 X 51 = ₹ 2,55,000

³⁰ बल्ला, बावल, घरौंडा, इंद्री, झज्जर, निसिंग तथा पानीपत।

³¹ भट्ट कलां, फतेहाबाद, हथीन, जाखल, नगीना, नूंह, पलवल तथा टोहाना।

अध्याय-5

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

अध्याय-5: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1 कर प्रबंध

5.1.1 वाहनों पर कर

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसेंसों का निर्गम, टोकन टैक्स, परमिट फीस तथा लाईसेंस फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी (आर.एल.ए.) की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में आर.एल.ए. की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.) द्वारा किया जा रहा है।

5.1.2 यात्री एवं माल कर

यात्री एवं माल कर (पी.जी.टी.) का उद्ग्रहण एवं संग्रहण, हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 (पी.पी.जी.टी. अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग प्रशासनिक अध्यक्ष हैं। विभाग का सामान्य अधीक्षण आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), हरियाणा के पास निहित है। पी.जी.टी. के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित कार्य फील्ड में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (डी.ई.टी.सी.) के अधीन सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों (ए.ई.टी.ओज) द्वारा किया जाता है।

माल ढोने वाले वाहनों पर दो प्रकार के कर उद्ग्रहीत किए जाते हैं; माल कर तथा टोकन टैक्स। माल कर माल ढोने के लिए देय है तथा हरियाणा में यथा लागू पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1952 की धारा 3 (1) के अंतर्गत उद्ग्रहीत किया जाता है। टोकन टैक्स, रोड़ टैक्स है तथा हरियाणा में यथा लागू पंजाब यात्री एवं माल कराधान अधिनियम, 1924 की धारा 3 (1) के अंतर्गत उद्ग्रहीत किया जाता है। दोनों के लिए कर की वार्षिक दर सकल वाहन भार के आधार पर नियत की जाती है तथा तिमाही रूप से देय हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम


2017-18 के दौरान टोकन टैक्स, परमिट फीस, फिटनेस/नवीकरण फीस, यात्री एवं माल पर कर तथा पेनल्टी से संबंधित 107 इकाइयों में से 84 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 16,180 मामलों में ₹ 8.17 करोड़ से आवेष्टित अनियमितताएं प्रकट की जो निम्नलिखित

श्रेणियों के अंतर्गत तालिका 5.1 में वर्णित हैं:

तालिका 5.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	परमिट फीस की अवसूली/कम वसूली	455	0.68
2.	पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के नवीकरण के कारण फिटनेस/नवीकरण फीस की अवसूली	6,541	0.42
3.	ओवरलोडेड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	384	0.73
4.	निम्नलिखित की अवसूली/कम वसूली <ul style="list-style-type: none"> • प्राइवेट वाहनों से टोकन टैक्स • यात्री कर • माल कर 	4,079	1.47
		1,400	1.25
		2,340	2.84
5.	विविध अनियमितताएं	981	0.78
योग		16,180	8.17

चार्ट 5.2



वर्ष के दौरान, विभाग ने 2,905 मामलों में ₹ 2.78 करोड़ के अवनिर्धारण तथा कमियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 2.74 करोड़ से आवेष्टित 2,889 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 16 मामलों में ₹ 3.32 लाख वसूल किए जो पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित हैं।

₹ 2.78 करोड़ से आवेष्टित कुछ महत्वपूर्ण मामलों का निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इसी प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

आबकारी एवं कराधान विभाग

5.3 माल कर की अवसूली

माल ढोने वाले 1,584 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2016-17 के दौरान माल कर जमा नहीं करवाया परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ के माल कर की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 61.33 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार 09 जुलाई 2015 से लोडिंग क्षमता के आधार पर निर्धारित दरों¹ पर राज्य में अथवा राज्य में चलने अथवा राज्य से गुजरने पर सार्वजनिक अथवा निजी वाहनों पर एकमुश्त में माल कर उद्ग्राह्य है। कर, समान त्रैमासिक किशतों में, तिमाही जिससे भुगतान संबंधित हो, के आरंभ से 30 दिनों के अंदर भुगतान योग्य है। पंजाब यात्री एवं माल कराधान (पी.पी.जी.टी.) नियम, 1952 का नियम 22 प्रावधान करता है कि यदि अधिनियम अथवा इन नियमों के अंतर्गत किसी मालिक द्वारा कोई राशि देय है तो कर-निर्धारण प्राधिकारी मांग नोटिस जारी करेगा तथा नोटिस जारी करने की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद की तारीख नियत करेगा तब तक मालिक ऐसे भुगतान के प्रमाण में प्राप्त किया गया चालान प्रस्तुत कर सकता है। आगे, पी.पी.जी.टी. अधिनियम की धारा 14 (बी) के अनुसार यदि निर्धारित समय के भीतर किसी कर अथवा पेनल्टी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन का मालिक कर का भुगतान न की गई राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

15 डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) कार्यालयों² के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि माल ढोने वाले 1,584 वाहनों के मालिकों ने अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 1.62 करोड़ का माल कर जमा नहीं करवाया। विभाग द्वारा कोई मांग नोटिस जारी नहीं किए गए थे, न ही देयों की वसूली की मॉनीटरिंग हेतु कोई प्रणाली थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.62 करोड़ के माल कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त पी.पी.जी.टी. अधिनियम के अनुसार ₹ 61.33 लाख³ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) सोनीपत तथा जींद ने जनवरी तथा

1

सकल वाहन भार	प्रतिवर्ष कर की राशि (₹)
1.2 टन तक	छूट प्राप्त
1.2 टन से अधिक लेकिन 6 टन से अधिक नहीं	6,000
छ: टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं	7,200
16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं	12,000
25 टन से अधिक	18,000

2 अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

3 मार्च 2018 तक परिकलित ब्याज।

अप्रैल 2018 में बताया कि ब्याज सहित ₹ 3.95 लाख का माल कर वसूल किया गया था तथा ₹ 36.87 लाख की बकाया राशि को वसूल करने के लिए शेष वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। चार डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.)⁴ ने बताया (अक्टूबर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि कर अदा न करने वाले वाहन मालिकों से ₹ 44.69 लाख की बकाया राशि को वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे/प्रयास किए जाएंगे। डी.ई.टी.सी. सिरसा ने बताया (जुलाई 2018) कि 22 मामलों में ₹ 3.14 लाख की राशि वसूल की गई है तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किए गए हैं। शेष आठ डी.ई.टी.सी. (पी.जी.टी.) से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

मामला जुलाई 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। नवंबर 2018 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई तथा वसूली की निगरानी के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सकता है।

परिवहन विभाग

5.4 टोकन टैक्स की अवसूली/कम वसूली

माल ढोने वाले 1,305 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान टोकन टैक्स जमा नहीं करवाया परिणामस्वरूप ₹ 18.42 लाख वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 36.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

जनवरी 2006 में जारी हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार टोकन टैक्स सकल वाहन भार⁵ के आधार पर अग्रिम में उद्ग्राह्य होगा तथा समान तिमाही किस्तों में देय है। तिमाही किस्तों का भुगतान प्रत्येक तिमाही के पहले दिन किया जाना चाहिए। कर उद्ग्रहण के प्रयोजन हेतु ऐसी तिमाही अवधियों में किसी खंडित अवधि को संपूर्ण तिमाही के रूप में माना जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 9 प्रावधान करती है कि प्रावधानों के अनुपालन में चूक के प्रकरण में प्रत्येक तिमाही के लिए मई, अगस्त, नवंबर तथा फरवरी के पहले दिन से देय टोकन टैक्स पर एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर पर पेनल्टी प्रभारित की जाएगी। तथापि, पेनल्टी की अधिकतम राशि, देय कर की दोगुनी राशि से अधिक नहीं होगी।

नौ सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.)⁶ के कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि माल ढोने के लिए प्रयुक्त 1,305 वाहनों के मालिकों ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान टोकन टैक्स या तो जमा नहीं करवाया या कम जमा करवाया। टोकन टैक्स वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके

⁴ अंबाला, हिसार, कुरूक्षेत्र तथा रेवाड़ी।

⁵

सकल वाहन भार	प्रतिवर्ष कर की राशि (₹)
1.2 टन तक	300
1.2 टन से अधिक लेकिन छः टन से अधिक नहीं	1,200
छः टन से अधिक लेकिन 16.2 टन से अधिक नहीं	2,400
16.2 टन से अधिक लेकिन 25 टन से अधिक नहीं	3,500
25 टन से अधिक	4,500

⁶ फरीदाबाद, हिसार, जींद, करनाल, नारनौल, नूंह, पंचकूला, पानीपत तथा सोनीपत।

परिणामस्वरूप ₹ 18.42 लाख की राशि के टोकन टैक्स की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अनुसार ₹ 36.84 लाख की पेनल्टी भी उद्ग्राह्य थी।

यह इंगित किए जाने पर पांच आर.टी.ए.⁷ ने बताया (नवंबर 2017 तथा अप्रैल 2018 के मध्य) कि ₹ 0.64 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा ₹ 21.00 लाख की बकाया राशि वसूल करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। शेष चार आर.टी.ए. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मामला मई 2018 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। जुलाई तथा नवंबर 2018 में अनुस्मारक जारी किए जाने के बावजूद उत्तर प्रतीक्षित था।

सरकार रोड़ साईड चैकिंग टीम को डिफाल्टर वाहनों के पंजीकरण नंबर के बारे अलर्ट जारी करने पर विचार कर सकती है।

इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग इस प्रकार के मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

⁷ हिसार, जींद, नारनौल, पंचकूला तथा सोनीपत।

अध्याय-6

अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

अध्याय-6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान तथा भू-राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। इन करों का प्रबंध एवं उद्ग्रहण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए अलग से निर्मित संबंधित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017-18 में खदान एवं भू-विज्ञान (17 इकाइयां), विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क) (03 इकाइयां), भू-राजस्व (26 इकाइयां) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क) (06 इकाइयां) से संबंधित 167 इकाइयों में से 52 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 825 मामलों में ₹ 1,476.29 करोड़ से आवेष्टित कर प्राप्तियों तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो तालिका 6.1 में वर्गीकृत किए गए हैं:

तालिका 6.1

क्र. सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्य प्रणाली	751	1,476.21
2	नकल एवं म्यूटेशन फीस जमा न करना	72	0.04
3	विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क)	02	0.04
योग		825	1,476.29

वर्ष के दौरान, विभाग ने 816 मामलों में ₹ 1,274.95 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें 552 मामलों में आवेष्टित ₹ 809.04 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 55 मामलों में ₹ 28.76 करोड़ वसूल किए, जिनमें से आठ मामलों में आवेष्टित ₹ 28.75 करोड़ वर्ष 2017-18 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 1,476.21 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित “खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा की निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। इंगित किए गए मामले लेखापरीक्षा द्वारा की गई नमूना-जांच पर आधारित हैं। विभाग, समरूप मामलों की जांच करने और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

6.3 खदान एवं भू-विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली

6.3.1 विशिष्टताएं

- कुल 95 में से 77 ठेकेदारों ने पांच और 891 दिनों की सीमा के मध्य देरी के बाद अनुबंधों का निष्पादन किया और नौ ठेकेदारों ने अनुबंधों का निष्पादन नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.3.8.2)

- ठेकेदारों/पट्टाधारकों द्वारा वार्षिक संविदा राशि/डेड रेंट के 25 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करनी अपेक्षित है, जिसमें से 10 प्रतिशत नीलामी के समय प्रारंभिक बोली जमानत के रूप में बोली जमा की जाएगी और शेष 15 प्रतिशत बोली प्रतिभूति खनन परिचालन शुरू होने से पहले या लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने की तिथि से 12 मास की अवधि व्यतीत होने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा की जाएगी। 59 ठेकेदारों ने ₹ 132.02 करोड़ की शेष बोली प्रतिभूति तीन से 854 दिनों की सीमा में विलंब के साथ जमा की और 11 ठेकेदारों ने ₹ 29.28 करोड़ की शेष बोली प्रतिभूति जमा नहीं की।

(अनुच्छेद 6.3.8.3 (i) तथा (ii))

- विभाग ने ₹ 808.21 करोड़ के संविदा राशि के कम जमा करवाने/जमा न करवाने के लिए 69 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ₹ 347.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.9.1)

- विभाग ने खदान और खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ₹ 49.30 करोड़ कम जमा करने/जमा न करने के लिए 48 ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। ₹ 17.44 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.9.3)

- सरकार ने खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में अपने हिस्से का ₹ 17.70 करोड़ राशि का अंशदान जमा नहीं करवाया।

(अनुच्छेद 6.3.9.4)

- सरकार ने खदान और खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास निधि में ₹ 4.61 करोड़ का ब्याज क्रेडिट नहीं किया।

(अनुच्छेद 6.3.9.5)

- चयनित रेत और बोल्टर/बजरी खदानों के भू-स्थानिक सर्वेक्षण से पता चला कि खनन योजनाओं में दिए गए अनुसार खनन स्थलों के समन्वय के मध्य मेल नहीं है जैसा कि साइट निरीक्षण पर देखा गया है।

(अनुच्छेद 6.3.11.1)

- रेत खनिकों द्वारा नदी के प्रवाह में बाधा के कारण नदी का प्रवाह क्षेत्र बदल गया था।

(अनुच्छेद 6.3.11.3)

- 4,139 ईट भट्टा स्वामियों में से 181 मामलों में रॉयल्टी एवं अतिरिक्त रॉयल्टी के तौर पर ₹ 0.53 करोड़ जमा नहीं करवाए। ₹ 0.24 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

(अनुच्छेद 6.3.13.1)

6.3.2 प्रस्तावना

राज्य में गौण खनिज संसाधनों जैसा कि पत्थर, रेत, बजरी, जिप्सम आदि नाम के प्रणालीगत विकास, खोज एवं उपयोग के लिए खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा उत्तरदायी है। खदान कार्यालय राज्य के 22 जिलों में से 15 में स्थित है जिसमें से 10 जिलों में खनन परिचालन किए जा रहे हैं। भिवानी और हिसार में अन्य गौण खनिजों के अतिरिक्त जिप्सम का खनन किया जा रहा है। खनन परिचालनों को नियमित करने के अलावा, विभाग स्टोन क्रशरों के परिचालन के लिए लाइसेंस की प्रदानगी/नवीकरण और ईट भट्टों में ईटगारा मिट्टी की खुदाई के लिए परमिटों को विनियमित करता है।

खनन परिचालन दो प्रकार के हैं: (1) रेत, बजरी और बोल्टरज का खनन ऐसी अवधि जो सात वर्षों से कम न हो और 10 वर्षों से अधिक न हो, जिसे ठेके के रूप में दिया जाता है; तथा (2) पत्थरों को खनन पट्टे के रूप में उस अवधि के लिए दिया जाता है जो 10 वर्षों से कम और 20 वर्षों से अधिक न हो।

खनन ठेके एवं पट्टे ई-नीलामी द्वारा दिए जाते हैं। नीलामी के पश्चात विभाग सफल बोलीदाता को लेटर ऑफ इंटेंट (एल.ओ.आई.) जारी करता है जिसके द्वारा एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर एक अनुबंध निष्पादित करना अपेक्षित है। बोली राशि, वार्षिक संविदा राशि या ठेके पर प्रदत्त क्षेत्र से खनिज निकालने के लिए ठेकेदार¹ द्वारा एक वर्ष में देय राशि है। सफल बोलीदाता द्वारा समान मासिक किशतों में विभाग को वार्षिक संविदा राशि जमा किया जाना अपेक्षित है। संविदा राशि की पहली किशत खनन परिचालन प्रारंभ होने से पहले या एल.ओ.आई. जारी होने की तिथि से 12 मास की अवधि व्यतीत होने से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा की जानी चाहिए।

पट्टा, रॉयल्टी², या अनिवार्य किराया³ जो भी अधिक हो, विभाग को प्रत्येक मास के शुरू होने पर मासिक किशतों में देय है। यदि एक मास के दौरान निकाले खनिज की प्रमात्रा पर निर्धारित दर पर परिकल्पित रॉयल्टी की राशि देय मासिक डेड रेंट से अधिक है तो अंतरीय राशि अगले मास की सात तारीख तक देय होगी। संविदा राशि/डेड रेंट/रॉयल्टी की मासिक

¹ ठेकेदार ठेका या पट्टा आधार पर खनन का अधिकार रखने वाला एक व्यक्ति है।

² रॉयल्टी हरियाणा गौण खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन नियम, की रोकथाम 2012 में निहित प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर पट्टा पर दिए गए क्षेत्र से निकाले या हटाए गए उपयुक्त किसी भी खनिज का मूल्य है। रॉयल्टी के तौर पर देय राशि निकाले गए खनिजों की प्रमात्रा पर निर्धारित की जाती है।

³ डेड रेंट एक वर्ष में एक व्यक्ति, जिसे खनन पट्टा दिया जाता है, द्वारा देय राशि है चाहे उसने क्षेत्र का पूर्णरूप से या आंशिक रूप से परिचालन किया हो या न किया हो/कर सका हो या न कर सका हो।


किशतों के विलंबित/कम/न जमा किए जाने पर वर्तमान नियमों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा ब्याज उद्ग्राह्य है।

सफल बोलीदाता को वार्षिक बोली राशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के तौर पर भी जमा करना पड़ता है जिसमें से 10 प्रतिशत नीलामी के समय पर तथा शेष 15 प्रतिशत खनन प्रचालन प्रारंभ होने से पहले या संविदा स्वीकार करने की तिथि से 12 मास के भीतर, जो भी पहले हो, भुगतान करना पड़ता है।

संविदा राशि के अतिरिक्त ठेकेदारों द्वारा उपयोग प्रभार का भुगतान खदान एवं खनिज विकास, पुनरूद्धार एवं पुनरूत्थान निधि में करना अपेक्षित है, जो संविदा राशि, डेड रेंट या रॉयल्टी, जो भी अधिक हो, के 10 प्रतिशत के बराबर राशि होगी।


सफल बोलीदाता द्वारा, इससे पहले कि वह खनन परिचालन शुरू कर सके, वन एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.), भारत सरकार (भा.स.) से पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करना अपेक्षित है। इसके लिए उसे खनन योजना तैयार करने और विभाग से इसे अनुमोदित करवाने की आवश्यकता है। खनन योजना अन्य बातों के साथ, मौजूदा खनन गड्डों, उनके आयाम, खनन का प्रस्तावित ढंग, उत्पादन की दर, लगाई जाने वाली खनन मशीनरी के विवरण, खनन क्षेत्र के आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपाय, जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए किए जाने वाले उपाय, प्रगतिशील खदान बंद करने की योजना और ऐसे ही अन्य ब्योरों को निर्धारित करती है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से ई.सी. प्राप्त करना अनुमोदित खनन योजना के लिए अनिवार्य शर्त है। प्रक्रिया का फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है:



6.3.3 संगठनात्मक ढांचा

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा का संगठनात्मक ढांचा चार्ट में नीचे दिया गया है।



6.3.4 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विभाग के लिए राजस्व के मुख्य स्रोत हैं: (i) संविदा राशि, डेड रेंट, रॉयल्टी; (ii) ठेकेदारों से उपयोग शुल्क; और (iii) ईट भट्टा एवं स्टोन क्रशर स्वामियों से अन्य प्राप्तियाँ।

हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब बजट मैनुअल के पैरा 4.2 में प्रावधान है कि विभाग की राजस्व प्राप्तियों के संशोधित अनुमान (आर.ई.) वर्ष के उन महीनों की वास्तविक प्राप्तियों पर आधारित होगा जो पहले ही व्यतीत हो चुके हों और पूर्व वर्ष की समरूप अवधि के साथ तुलना की गई वास्तविक प्राप्तियों की वृद्धि या कमी, यह मानते हुए कि वर्ष के शेष महीनों के दौरान उसी दर पर वृद्धि या कमी जारी रहेगी।

वर्ष 2012-13 और 2017-18 के मध्य विभाग के बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका संख्या 1: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियाँ

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों की वृद्धि (+) या कमी (-)		वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता वृद्धि (+) या कमी (-)	
	(₹ करोड़ में)			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
2012-13	225.00	75.00	75.49	(-) 149.51	(+) 0.49	(-) 66.45	(+) 0.65
2013-14	150.00	150.00	79.10	(-) 70.90	(-) 70.90	(-) 47.27	(-) 47.27
2014-15	500.00	40.10	43.46	(-) 456.54	(+) 3.36	(-) 91.31	(+) 8.38
2015-16	1,000.00	400.00	271.61	(-) 728.39	(-) 128.39	(-) 72.84	(-) 32.10
2016-17	1,040.00	600.00	496.95	(-) 543.05	(-) 103.05	(-) 52.22	(-) 17.18
2017-18	650.00	700.00	712.87	(+) 62.87	(+) 12.87	(+) 9.67	(+) 1.84

स्रोत: राज्य बजट और वित्त लेख।

राज्य में खनन परिचालन मार्च 2010 से वर्जित थे। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने खनन परिचालनों को नवंबर 2013 से अनुमत कर दिया। विभाग ने दिसंबर 2013 से खदानों की नीलामी शुरू कर दी। जनवरी 2015 से खनन परिचालनों के प्रारंभ के बाद 2015-16 से विभाग की प्राप्तियां बढ़नी शुरू हो गईं।

2013-14 के लिए बजट अनुमान यह मानते हुए तैयार किए गए थे कि पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र में खनन की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी जाएगी जिसे विभिन्न मुकदमों के कारण मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। 2014-15 और 2016-17 की अवधि के मध्य बजट अनुमान इस मान्यता पर तैयार किए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के निपटान के बाद और रियायतधारकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद पूर्ण पैमाने पर खनन फिर से शुरू होगा। तथापि, यह संभव नहीं हो सका और इसलिए आर.ई.ज को संशोधित करके कम करना पड़ा।

2015-16 (दो संविदाएं) और 2016-17 (चार संविदाएं) वर्षों के दौरान संविदाओं के रद्द होने और एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीने व्यतीत होने के बाद 69 ठेकेदारों द्वारा संविदा राशि/अनिवार्य किराया/रॉयल्टी के विलंबित/भुगतान न करने के कारण वर्ष 2015-16 और 2016-17 में वास्तविक प्राप्तियां आर.ई.ज से कम थीं।

राज्य के कुल कर-भिन्न राजस्व में विभाग की प्राप्तियों का अंश 2012-13 में 1.62 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में लगभग 8 प्रतिशत हो गया परंतु 2017-18 में यह घटकर 7.82 प्रतिशत रह गया जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 2: कुल कर-भिन्न राजस्व की तुलना में वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष	कुल कर-भिन्न राजस्व संग्रहण	खनिजों से वास्तविक प्राप्तियां	कुल कर-भिन्न राजस्व संग्रहण के संदर्भ में वास्तविक प्राप्तियों में हिस्से की प्रतिशतता
	(₹ करोड़ में)		
2012-13	4,673.15	75.49	1.62
2013-14	4,975.06	79.10	1.59
2014-15	4,613.12	43.46	0.94
2015-16	4,752.48	271.61	5.72
2016-17	6,196.09	496.95	8.02
2017-18	9,112.85	712.87	7.82

स्रोत: राज्य बजट और वित्त लेखे।

6.3.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- खनिज रियायतों के अनुमोदन के लिए प्रणालियां, कार्यविधि और खनन संविदाओं/खनन पट्टों की नीलामी के लिए प्रक्रिया अधिनियमों, नियमों में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार थे;
- सभी निर्धारित खनिज प्राप्तियों के उद्ग्रहण, निर्धारण एवं संग्रहण के लिए प्रावधान राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए समुचित रूप से लागू किए गए थे;
- खदान एवं खनिज विकास, पुनरुद्धार एवं पुनरुत्थान निधि की सरकारी अनुदेशों के अनुसार प्रबंधन एवं निगरानी की जा रही थी; और
- खनन एवं उत्खनन की निगरानी यंत्रावली समुचित एवं प्रभावी थी।

6.3.6 क्षेत्र एवं पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए निदेशक, खदान एवं भू-वैज्ञानिक विभाग, हरियाणा चंडीगढ़ कार्यालय एवं राज्य के सभी 15 खदान कार्यालयों⁴ की गतिविधियां शामिल थीं। 10 खदान कार्यालयों में उपर्युक्त अवधि के दौरान नीलामी किए गए सभी 95 खदानों से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। इसके अलावा, स्टोन क्रशरों के लाइसेंसों की प्रदानगी/नवीनीकरण और ईट भट्टों के लिए मिट्टी के उत्खनन के लिए परमिट से संबंधित अभिलेख की भी जांच की गई। इसके अतिरिक्त, यमुनानगर जिले में चयनित रेत और बोल्टर/बजरी खदानों का भू-स्थानिक सर्वेक्षण भी विशेषज्ञ एजेंसी (कल्पना चावला चेंबर भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़) की मदद से किया गया था।

29 नवंबर 2017 को सरकार के साथ एक एंटी कांफ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड और क्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट जुलाई 2018 में सरकार के साथ साझा की गई थी। 6 नवंबर 2018 को एग्जिट कांफ्रेंस आयोजित की गई। सरकार/विभाग के उत्तर/विचारों पर विधिवत् विचार किया गया और इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उपयुक्त रूप से शामिल किए गए।

6.3.7 लेखापरीक्षा मानदंड

विभाग का प्रदर्शन लेखापरीक्षा मानदंड के निम्नलिखित स्रोतों के विरुद्ध मापा गया:

- खदान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 और संशोधन अधिनियम, 2015;
- पंजाब गौण खनिज रियायत नियमावली, 1964;
- हरियाणा ब्रिकज आपूर्ति आदेश नियंत्रण, 1972;
- हरियाणा क्रशर का नियमन एवं नियंत्रण अधिनियम, 1991 और उसके अधीन बनाए गए नियम, 1992;
- हरियाणा गौण खनिज रियायत, स्टोकिंग, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियम, 2012; तथा
- खदान एवं खनिज विकास, पुनरुत्थान एवं पुनरुद्धार निधि, 2015 (10 जुलाई 2015 को अधिसूचित)।

6.3.8 खनन संविदाओं एवं पट्टों का प्रबंधन

हरियाणा गौण खनिज रियायत, स्टोकिंग, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन रोकथाम नियमावली, 2012 (नियम, 2012) में खनिज रियायतों की विभिन्न रूपों की प्रदानगी, भंडारण और खनिजों के परिवहन और अवैध खनन के रोकथाम के नियमन, शामिल हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 10 खदान कार्यालयों में 95 संविदाएं प्रदान की गईं और सभी 95 संविदाओं की लेखापरीक्षा में जांच की गई। 95 संविदाओं में से 16 संविदाएं रद्द कर दी गईं। रद्द संविदाओं में से मार्च 2018 तक किसी का भी विभाग द्वारा दुबारा टेंडर नहीं निकाला गया। दिसंबर 2013 और मार्च 2017 के मध्य राज्य सरकार द्वारा नीलामी किए

⁴ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जौंद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

गए खनन संविदाओं और पट्टों के अभिलेखों की उपर्युक्त नियमों में निहित प्रावधानों के संदर्भ में जांच की गई। निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियां देखी गईं:

6.3.8.1 संविदा का रद्द किया जाना

नियमावली, 2012 के नियम 50 में प्रावधान है कि खनिज निकालने का अधिकार, प्रतियोगी बोलियां/खुली नीलामियां आमंत्रित करने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन-पत्र पर प्रदान किया जाए। सरकार, खनिज संरक्षण एवं वैज्ञानिक खनन के हित में आम जनता के माध्यम से रुचि प्रदर्शित करने को आमंत्रित करके कुछ उद्देशीय निर्धारण मानदंड पर आधारित संभावित नीलामीकर्ताओं को पूर्वतः योग्य ठहरा सकती है और पूर्वतः योग्य नीलामीकर्ताओं के मध्य नीलामियों को सीमित कर सकती है।

तथापि, विभाग ने पूर्वतः योग्य नीलामीकर्ताओं के मध्य नीलामियों को सीमित करने के लिए वित्तीय पर्याप्तता के आधार पर संभावित नीलामीकर्ता को पहले ही योग्य ठहराने की प्रणाली को नहीं अपनाया। परिणामतः संविदाएं/पट्टे असमान्य रूप से उच्च राशि पर प्रदान किए गए जो आर्थिक तौर पर अलाभकारी और अस्थिर थे। परिणामस्वरूप, कई संविदाएं मासिक संविदा राशि के भुगतान में ठेकेदारों द्वारा चूक के कारण रद्द करनी पड़ी।

विभाग ने 31 मार्च 2017 तक 10 जिलों में 95 खदानों की नीलामी की, जिनमें से 16 संविदाओं (17 प्रतिशत) को रद्द कर दिया गया। 11 मामलों में बोली आरक्षित मूल्य के 100 प्रतिशत से अधिक थी। इनमें से 5 मामलों (45 प्रतिशत) में संविदाओं को ठेकेदार द्वारा संविदा राशि के अभुगतान/कम भुगतान के कारण रद्द किया जाना था। रद्द की गई संविदाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका संख्या 3: रद्द की गई संविदाओं के विवरण

क्र. सं.	जिला	एल.ओ.आई. की तिथि संविदा की तिथि	रद्द करने की देय तिथि रद्द करने की तिथि	रद्द करने में विलंब (दिनों में)	खनन संविदा/पट्टा के ब्लॉक का नाम	आरक्षित मूल्य	बोली राशि	आरक्षित मूल्य पर बोली राशि में वृद्धि की प्रतिशतता	रद्द करने हेतु कारण
						(₹ करोड़ में)			
1.	भिवानी	03-01-2014 19-02-2015	04-03-2015 04-11-2016	611	कलाली तथा कल्याणा	19.05	32.45	70.34	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
2.	फरीदाबाद	03-01-2014 22-09-2014	31-05-2016 10-06-2016	10	पलवल सैंड यूनिट-1	1.50	27.56	1,737.33	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
3.		03-01-2014 22-09-2014	31-05-2016 15-05-2017	349	पलवल सैंड यूनिट-2	1.80	29.50	1,538.89	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
4.		03-01-2014 19-12-2014	01-03-2015 25-08-2017	908	फरीदाबाद सैंड यूनिट-1	2.56	62.50	2,341.41	खनन क्षेत्र में विवाद
5.	कुरुक्षेत्र	03-01-2014 07-11-2014	04-03-2015 12-06-2017	831	कुरुक्षेत्र यूनिट-1	4.50	13.01	189.11	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान

क्र. सं.	जिला	एल.ओआई. की तिथि संविदा की तिथि	रद्द करने की देय तिथि रद्द करने की तिथि	रद्द करने में विलंब (दिनों में)	खनन संविदा/पट्टा के ब्लॉक का नाम	आरक्षित मूल्य	बोली राशि	आरक्षित मूल्य पर बोली राशि में वृद्धि की प्रतिशतता	रद्द करने हेतु कारण
						(₹ करोड़ में)			
6.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	02-09-2015 10-06-2016	30-09-2016 25-05-2017	237	करोता	11.20	11.205	0.04	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
7.		03-01-2014 22-09-2014	02-07-2016 30-08-2016	59	महेन्द्रगढ़ यूनिट-3	1.16	11.51	892.24	बालू के जमाव की कमी
8.	पंचकुला	03-03-2016 निष्पादित नहीं किया गया	01-06-2016 02-06-2017	366	मंडलाई ब्लॉक-2	3.23	5.085	57.43	संविदा का अनिष्पादन तथा शेष प्रतिभूति जमा न करवाना
9.	पानीपत	03-01-2014 09-09-2016	30-11-2015 02-06-2017	550	करनाल यूनिट-1	6.62	60.05	807.10	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
10.		03-01-2014 01-10-2015	30-11-2015 28-12-2015	28	करनाल यूनिट-3	4.66	70.01	1,402.36	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान
11.		03-01-2014 निष्पादित नहीं किया गया	03-04-2014 12-09-2014	162	पानीपत यूनिट-1	4.76	40.05	741.39	खनन संविदा का समर्पण
12.	सोनीपत	03-01-2014 निष्पादित नहीं किया गया	03-04-2014 21-03-2014	कोई विलंब नहीं	सोनीपत यूनिट-1	5.78	71.00	1,128.37	खनन क्षेत्र में विवाद
13.		03-01-2014 निष्पादित नहीं किया गया	03-04-2014 12-09-2014	162	सोनीपत यूनिट-2	15.12	120.13	694.51	खनन क्षेत्र में विवाद
14.		03-01-2014 निष्पादित नहीं किया गया	03-04-2014 11-08-2017	1226	सोनीपत यूनिट-3	13.10	51.04	289.62	खनन क्षेत्र में विवाद
15.		02-01-2015 07-07-2015	02-04-2015 27-06-2016	452	तिकोला सैंड यूनिट-1	9.04	9.07	0.33	खनन क्षेत्र में विवाद
16.		02-01-2015 20-08-2015	02-03-2016 02-07-2017	487	नांदनौर सैंड यूनिट	11.16	11.22	0.54	संविदा राशि का भुगतान न करना/कम भुगतान

इन संविदाओं का पुनःटेंडर नहीं निकाला गया। आरक्षित मूल्य के आधार पर मार्च 2018 तक ₹ 192.64 करोड़ का राजस्व की सीमा को परिकलित किया गया।

सफल बोलीदाता द्वारा विभाग को समान मासिक किशतों में वार्षिक संविदा राशि जमा करना अपेक्षित है। संविदा राशि की पहली किशत खनन परिचालन के शुरू करने से पहले या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीने की अवधि व्यतीत होने से पहले, जो भी पहले हो, जमा की जानी चाहिए। एल.ओ.आई. के पैरा 5 (iv) के अनुसार मासिक संविदा राशि के भुगतान में 60 दिनों से अधिक की देरी की उल्लंघना मानी जाएगी और संविदा रद्द करने की कार्रवाई आमंत्रित करेगी।

रद्द की गई संविदाओं के 12 मामलों में ठेकेदारों ने मासिक किशत के भुगतान के लिए 60 दिनों की निर्धारित अवधि से परे 2 से 32 महीनों के मध्य भुगतान किया। 90 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद 3 से 29 महीने के विलंब वाले मामलों में भी संविदाएं निष्पादित की गई थीं।

पांच मामलों में (क्रम संख्या 8, 11, 12, 13 और 14) कोई संविदा निष्पादित नहीं किए गए। यह संविदाएं एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 3 और 43 महीनों के मध्य रद्द की गईं।

एग्जिट क्रांफ्रेंस के दौरान विभाग ने बताया कि आनलाईन खुली नीलामी प्रक्रिया में विभाग का बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित उच्चतम बोली राशि पर कोई नियंत्रण नहीं था। बोलीदाताओं ने बाद में महसूस किया कि संविदा वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं था क्योंकि खनिजों का उत्पादन बाजार मांगों के द्वारा नियंत्रित था। आगे यह बताया गया कि केवल पूर्व-योग्य बोलीदाताओं के बीच नीलामी पर प्रतिबंध से प्रतिस्पर्धा कम होगी और सरकार छोटे ठेकेदारों को भी प्रोत्साहित करना चाहती थी। विभाग इस स्थिति से अवगत था और ऐसे मामलों का भविष्य में परिहार करना विभाग के क्रियाशील रूप से विचाराधीन था।

6.3.8.2 अनुबंधों का विलंबित निष्पादन/निष्पादन न करना

एल.ओ.आई. के पैरा 3 में प्रावधान है कि ठेकेदार/पट्टाधारक एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर, एक अनुबंध निष्पादित करेगा। आगे, ऐसा करने में विफल होने पर, (i) एल.ओ.आई. को रद्द माना जाएगा; (ii) प्रारंभिक बोली प्रतिभूति की 10 प्रतिशत की राशि जब्त कर ली जाएगी; (iii) 15 प्रतिशत शेष बोली जमानत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी; और (iv) चूककर्ता पांच वर्षों की अवधि के लिए भविष्य की किसी भी खनन नीलामी में भाग लेने से बाहर कर दिया जाएगा।

10 खनन अधिकारियों (एम.ओ.)⁵ के कार्यालयों में जनवरी 2014 और अक्टूबर 2016 के मध्य 95 ठेकेदारों को एल.ओ.आई. जारी किए गए और उनके द्वारा अप्रैल 2014 और जनवरी 2017 के भीतर अनुबंध निष्पादित करना अपेक्षित था। तथापि, 77 ठेकेदारों ने 90 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अनुबंध निष्पादित किए। विलंब की सीमा पांच और

⁵ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

891 दिनों की मध्य थी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 4: अनुबंधों के निष्पादन में विलंब की सीमा

क्र. सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या
1	90 दिनों तक	8
2	91 और 180 दिनों के मध्य	27
3	181 और 270 दिनों के मध्य	21
4	271 और 365 दिनों के मध्य	13
5	365 दिनों से अधिक	8
	कुल	77

विभाग ने वर्तमान नियमों के अनुसार बोली की जमानत राशि जब्त/वसूल नहीं की थी। नौ अनुबंधों में, अनुबंधों को समय पर निष्पादित किया गया था। आगे, पंचकूला (चार), पानीपत (दो) और यमुनानगर (तीन), तीन एम.ओ. के कार्यालयों में नौ ठेकेदारों ने 31 मार्च 2018 तक संविदा निष्पादित नहीं किए थे जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 5: 31 मार्च 2018 तक निष्पादित न किए गए अनुबंधों के विवरण

क्र. सं.	ब्लॉक और ठेकेदार/पट्टाधारक का नाम	एल.ओ.आई. की तिथि	संविदा के निष्पादन की देय तिथि	विलंब (दिनों में)
पंचकूला				
1.	गोबिंदपुर ब्लॉक/पंचकूला बी 18	09-06-2015	06-09-2015	937
2.	नारायणपुर ब्लॉक/पंचकूला बी 19	09-06-2015	06-09-2015	937
3.	मंडलाई 2 ब्लॉक/पंचकूला बी 22	03-03-2016	31-05-2016	669
4.	मनक टाबरा ब्लॉक/पंचकूला बी 20	06-10-2016	03-01-2017	452
पानीपत				
5.	करनाल यूनिट 2	03-01-2014	02-04-2014	1459
6.	पानीपत यूनिट 1	03-01-2014	02-04-2014	1459
यमुनानगर				
7.	चूहदपुर ब्लॉक/यमुनानगर बी 26 तथा 27	03-03-2016	03-06-2016	639
8.	इस्माइलपुर ब्लॉक/यमुनानगर बी 32	03-03-2016	03-06-2016	639
9.	हल्दारी गुज्जर ब्लॉक/यमुनानगर बी 35	03-03-2016	03-06-2016	639

पंचकूला (क्र.सं. 1) में एक संविदा में खनन कार्य शुरू किया गया। पंचकूला (क्र.सं. 3) में एक संविदा के निष्पादित न किए जाने और शेष प्रतिभूति के जमा न करवाने के कारण रद्द किया गया और पानीपत (क्र.सं. 6) में एक संविदा खनन ठेका के अभ्यर्पण करने के कारण रद्द कर दिया गया था।

तथापि, शेष छः संविदाओं में खनन कार्य शुरू नहीं हुआ और विभाग ने इन संविदाओं को रद्द नहीं किया (मार्च 2018)।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि संविदा के निष्पादन के लिए 90 दिनों की अवधि अपर्याप्त थी क्योंकि विभाग को समर्थक दस्तावेजों/शयोरिटीज की संपत्ति के विवरणों का सत्यापन/प्रमाणन करना था। इससे आगे कहा गया कि चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अतिरिक्त स्पष्टीकरण/दस्तावेज मांगने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। अतिरिक्त स्पष्टीकरण/दस्तावेज, यदि आवश्यकता हो, मांगने के बाद चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित किया गया। अतः प्रक्रिया में 90 दिनों से अधिक लगे। यदि उस अनुबंध का निष्पादन करने के लिए 90 दिनों की अवधि अपर्याप्त लगती है तो विभाग को नियमावली की समीक्षा करनी चाहिए। विभाग ने स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए नियम की समीक्षा की जाएगी।

77 मामलों में अनुबंधों के निष्पादन में देरी हुई। छः मामलों में संविदा की प्रदानगी के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अनुबंधों को निष्पादित नहीं किया गया। विभाग ने इन संविदाओं को निरस्त नहीं किया है और खदानों के परिचालनात्मक न होने से राजस्व की हानि हो रही है।

6.3.8.3 शेष बोली जमानत का विलंबित/न जमा किया जाना

एल.ओ.आई. के पैरा 3 और संविदा के भाग 3 के पैरा 2 में प्रावधान है कि ठेकेदार/पट्टाधारक वार्षिक संविदा राशि/डेड रेंट का 25 प्रतिशत के बराबर जमानत जमा करवाएगा, जिसमें से 10 प्रतिशत प्रारंभिक बोली जमानत प्रारंभ होने पर और शेष 15 प्रतिशत बोली जमानत खनन परिचालन के प्रारंभ होने से पहले या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीनों की अवधि व्यतीत होने से पहले, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी। ऐसा न करने की स्थिति में (i) एल.ओ.आई. को रद्द किया माना जाता है; (ii) 10 प्रतिशत प्रारंभिक बोली जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी; (iii) शेष 15 प्रतिशत बोली जमानत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी; और (iv) चूककर्ता को भविष्य में किसी भी की खनन नीलामी में भाग लेने से पांच वर्षों की अवधि के लिए वर्जित कर दिया जाएगा।

(i) शेष बोली जमानत का देरी से जमा करना

विभाग ने 31 मार्च 2017 तक 10 जिलों में 95 खदानों की नीलामी की। नौ एम.ओ.⁶ के कार्यालयों में 84 में से 59 ठेकेदारों द्वारा 15 प्रतिशत जमानत जमा करने में विलंब था। लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान शेष 11 ठेकेदारों से 15 प्रतिशत प्रतिभूति देय नहीं थी क्योंकि उन्होंने 31 मार्च 2017 तक एल.ओ.आई. जारी करने की तारीख से 12 महीने की अवधि पूरी नहीं की थी। इन 59 संविदाओं की कुल जमानत राशि ₹ 880.13 करोड़ थी जिसके लिए जनवरी 2014 और अक्टूबर 2016 के मध्य एल.ओ.आई. जारी किए गए थे। इन ठेकेदारों द्वारा जनवरी 2015 और अक्टूबर 2017 के मध्य ₹ 132.02 करोड़ राशि

⁶ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, सोनीपत तथा यमुनानगर।

15 प्रतिशत जमानत के रूप में जमा करना अपेक्षित था। तथापि, ठेकेदारों ने राशि 3 और 854 दिनों की सीमा में विलंब से जमा करवाई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 6: शेष बोली जमानत के जमा करने में विलंब की सीमा

क्र.सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या
1.	90 दिनों तक	33
2.	91 और 180 दिनों के मध्य	9
3.	181 और 270 दिनों के मध्य	7
4.	271 और 365 दिनों के मध्य	4
5.	365 दिनों से अधिक	6
कुल		59

खनन परिचालन 54 संविदाओं में प्रारंभ किए गए तथा पांच संविदाओं में प्रारंभ नहीं किए गए। 54 अनुबंधों में से, जहां खनन कार्य शुरू हुआ है, 12 अनुबंधों में जमानत धन जमा करने से पहले खनन कार्य शुरू हुआ।

खनन कार्यों को शुरू करने से पहले शेष जमानत राशि को जमा करना विभाग के वित्तीय हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विभाग इस आवश्यकता को लागू करने में विफल रहा जो निगरानी की कमी को इंगित करता है।

(ii) शेष बोली जमानत का कम/न जमा कराया जाना

छ: एम.ओ.⁷ (जनवरी और मई 2018 के मध्य) के कार्यालयों में जनवरी 2014 और जुलाई 2016 के मध्य ₹ 196.86 करोड़ के 11 संविदाएं प्रदान की गईं। उनके द्वारा 15 प्रतिशत जमानत जमा के रूप में ₹ 29.53 करोड़ की राशि जनवरी 2015 और जुलाई 2017 के मध्य जमा करवानी अपेक्षित थी। तथापि, 10 ठेकेदारों ने ₹ 27.05 करोड़ की राशि जमा नहीं करवाई। एक ठेकेदार ने ₹ 2.48 करोड़ में से आंशिक तौर पर ₹ 0.25 करोड़ जमा करवाए जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2018 तक ₹ 29.28 करोड़ कम जमा/जमा नहीं किए गए। उपर्युक्त 11 संविदाओं में से, आठ संविदाओं में खनन परिचालन नहीं किए गए और शेष तीन संविदाएं संविदा राशि के भुगतान न करने/कम भुगतान और संविदा के निष्पादित न होने और शेष जमानत के जमा न होने के कारण रद्द कर दिए गए।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि कुछ मामलों में शेष 15 प्रतिशत जमानत के विलंबित जमा होने/जमा न होने के कारण पर्यावरण क्लियरेंस की अप्रदानगी, खनन परिचालन का प्रारंभ न होना, संविदाओं का रद्द/निरस्त होना, इत्यादि था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि संविदा के अनुसार शेष जमानत राशि शेष 15 प्रतिशत बोली जमानत खनन परिचालन के प्रारंभ होने से पहले या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीनों की अवधि व्यतीत होने से पहले, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी। इस प्रकार, पर्यावरण क्लियरेंस की अनुमति की ऐसे मामलों में कोई प्रासंगिकता नहीं थी। अन्य मामलों में, अनुबंधों को 12 महीने की अवधि के बाद समाप्त/रद्द किया गया था, इससे पहले कि ठेकेदारों से शेष प्रतिभूति की राशि वसूल की जानी चाहिए थी।

⁷ फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

6.3.9 खनन संविदाओं और पट्टा से प्राप्तियां

6.3.9.1 संविदा राशि और उस पर ब्याज का कम/न जमा होना

एल.ओ.आई. के पैरा 3 में प्रावधान है कि संविदा/पट्टा खनन परिचालन के प्रारंभ होने से पहले या एल.ओ.आई. जारी करने की तिथि से 12 महीनों की अवधि व्यतीत होने से पहले, जो भी पहले हो, प्रारंभ होता है। ठेकेदार संविदा राशि/डेड रेंट या निकाले गए और प्रेषित खनिज पर रॉयल्टी की राशि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए दायी है, जैसे ही संविदा प्रभावी हो जाए। आगे, संविदा/पट्टा संविदा के पैरा-5/पैरा-7 के भाग-3 में प्रावधान है कि अग्रिम मासिक किश्त का कम/न जमा होना 15 प्रतिशत (30 दिनों तक) और 18 प्रतिशत (31 से 60 दिनों तक) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज आकर्षित करेगा। 60 दिनों से ज्यादा के विलंब से विच्छेद और संविदा/पट्टा के रद्द करने की कार्रवाई आमंत्रित करेगा, साथ ही चूक की संपूर्ण अवधि के लिए 21 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के साथ पूरी बकाया राशि की वसूली भी होगी।

विभाग ने 31 मार्च 2017 तक 10 जिलों में 95 खदानों की नीलामी की। तथापि, नौ एम.ओ.⁸ के कार्यालयों में यह अवलोकित किया गया कि 84⁹ में से 69 ठेकेदारों द्वारा (संविदाएं = 53; और पट्टा = 16) द्वारा जनवरी 2015 और मार्च 2017 के मध्य ₹ 1,413.29 करोड़ (संविदा राशि: ₹ 880.19 करोड़; डेड रेंट: ₹ 532.77 करोड़; और रॉयल्टी: ₹ 0.33 करोड़) के संविदा राशि की अग्रिम मासिक किश्तें जमा करवाना अपेक्षित था। ठेकेदारों ने ₹ 605.08 करोड़ जमा करवाए, परिणामतः ₹ 808.21 करोड़ (कम जमा = ₹ 33.57 करोड़; और जमा नहीं = ₹ 774.64 करोड़) की अग्रिम मासिक किश्तें कम जमा हुईं या जमा नहीं हुईं। आगे, यह अवलोकित किया गया कि संविदा राशि जमा करवाने में 63 और 1,184 दिनों की सीमा में विलंब था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 7: संविदा राशि जमा करने में विलंब की सीमा

क्र.सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या
1.	90 दिनों तक	3
2.	91 और 180 दिनों के मध्य	4
3.	181 और 270 दिनों के मध्य	1
4.	271 और 365 दिनों के मध्य	1
5.	365 दिनों से अधिक	60
कुल		69

⁸ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

⁹ लेखापरीक्षा अवधि (31 मार्च 2017 तक) के दौरान शेष 11 अनुबंधों में खनन कार्य शुरू नहीं हुआ।

उपर्युक्त ठेकेदारों द्वारा संविदा राशि के विलंब से जमा किए जाने/जमा न किए जाने के कारण मार्च 2018 तक ₹ 347.63 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

आगे, यह अवलोकित किया गया कि उपर्युक्त सभी 69 ठेकेदारों ने किसी न किसी स्तर पर 60 दिनों के भीतर संविदा राशि की मासिक अग्रिम किश्तें जमा नहीं करवाईं, जिसमें संविदा/पट्टा संविदा रद्द करना बनता है। विभाग ने, तथापि, इन संविदा/पट्टा अनुबंधों को निरस्त करने के लिए कार्रवाई नहीं की।

दिसंबर 2017 और मई 2018 के मध्य यह इंगित किए जाने पर, एम.ओ., अंबाला और यमुनानगर ने मई 2018 में सूचित किया कि ₹ 9.54 करोड़ (अंबाला ₹ 6.00 करोड़ और यमुनानगर = ₹ 3.54 करोड़) की वसूली कर ली गई और शेष राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने इस टिप्पणी को स्वीकार किया परंतु बताया कि रियायतधारकों ने पर्यावरण क्लियरेंस की आवश्यकता में संविदा की प्रारंभ न की गई अवधि के लिए सरकारी देयों की वसूली के विरुद्ध अपैक्स न्यायालय में विशेष लीव याचिका (एस.एल.पी.) दायर कर दी। उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि प्रारंभ न की गई अवधि के लिए देयों की वसूली के विरुद्ध कोई स्टे नहीं था। फिर भी विभाग, प्रारंभ न की गई अवधि के सरकारी देयों की वसूली नहीं कर रहा था।

विभाग, संविदा राशि/डेड रेंट/रॉयल्टी के विलंबित निक्षेप पर ₹ 347.63 करोड़ का ब्याज वसूल करने में विफल रहा। आगे, ₹ 808.21 करोड़ की राशि के संविदा राशि की मासिक किश्तें कम जमा हुई थीं।

6.3.9.2 खदान एवं खनिज विकास, पुनरुत्थान एवं पुनर्वास निधि का प्रबंधन

नियम, 2012 के नियम 56 (5) में यह प्रावधान है कि ठेकेदार खदान एवं खनिज विकास, पुनरुत्थान एवं पुनर्वास निधि (निधि) के लिए देय डेड रेंट/रॉयल्टी/संविदा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा। हरियाणा सरकार ने 10 जुलाई 2015 को निधि की स्थापना के लिए विस्तृत निर्देश दिए। खनन क्षेत्रों के पर्यावरणीय रूप से सतत विकास, खनन स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए आवश्यक मानी जाने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं की दृष्टि से और पारिस्थिति की सुरक्षा एवं संरक्षण एवं क्षेत्र के पर्यावरण के सर्वांगीण हित में अन्य संबंधित कार्यों का संचालन करने के लिए निधि की स्थापना की जाती है।

निधि के माध्यम से प्राप्त किए जाने के लिए वांछित उद्देश्य हैं:

- खनन परिचालनों द्वारा प्रभावित स्थलों में पुनरुत्थान, पुनर्स्थापन एवं पुनरुद्धार निर्माण कार्य के लिए वित्तपोषण;
- क्षेत्र तथा आसपास के समुदाय के लाभ के लिए सामान्य सुविधाओं का प्रावधान; जहां खनन गतिविधियां की जाती हैं;

- खनन परिचालनों और सड़कों, स्टोन क्रशर एस्टेट जल आपूर्ति इत्यादि जैसी संबद्ध गतिविधियों के समुचित विकास के लिए मूलभूत संरचना सुविधाओं के विकास, आदि;
- चालू की गई स्टडी या खनन सेक्टर से संबंधित गतिविधियां जैसे खनिजों का सर्वेक्षण, खोजबीन और संभाव्यता, ऐसी गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए अपेक्षित उपकरण एवं मशीनरी की खरीद;
- फील्ड यात्राओं के माध्यम से ठेकेदारों एवं विभाग के स्टॉफ की शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण और सर्वोत्तम खनन प्रचलनों का सामना;
- प्रोत्साहन की किसी भी स्कीम के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय की फंडिंग जो सरकार पर्यावरण सुरक्षा के साथ खनिज संरक्षण, पुनरुत्थान उपायों के लिए उच्चतम वरीयता के साथ हाथ में लिए गए वैज्ञानिक खनन के लिए पहचान और प्रदान करने के लिए तैयार करें; तथा
- अन्य कोई उद्देश्य, जिसे सरकार खनन क्षेत्र के समूचे हित के समर्थन के लिए फायदेमंद समझे।

निधि को अंशदान ठेकेदारों के साथ-साथ सरकार द्वारा भी दिए जाते हैं। प्रत्येक ठेकेदार को, प्रतिमास संविदा राशि/डेड रेंट/रॉयल्टी की मासिक किश्त के 10 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना है। राज्य सरकार को एक वित्तीय वर्ष में ठेकेदारों से प्राप्त राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि अंशदान करनी है। 31 मार्च को एकत्र हुए जमा पर छः प्रतिशत की दर पर ब्याज सरकार द्वारा वर्ष के जून को समाप्त तिमाही तक निधि में क्रेडिट करना अपेक्षित है।

मासिक किश्तों के भुगतान के लिए सात दिनों की ग्रेस अवधि अनुमत है। मासिक किश्त जमा करने में देरी 15 प्रतिशत (30 दिनों तक) और 18 प्रतिशत (31 से 60 दिनों) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज आकर्षित करती है। 60 दिनों से अधिक राशि की उल्लंघना है और चूक की पूरी अवधि के लिए 21 प्रतिशत ब्याज के साथ संविदा/पट्टा की निरस्तगी के लिए कार्रवाई आकृष्ट करता है।

6.3.9.3 निधि में मासिक किश्त के विलंबित भुगतान/भुगतान न करना और उस पर ब्याज

निधि में मासिक किश्तें एम.ओ., हिसार में ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई थी। शेष नौ एम.ओ.¹⁰ (सितंबर 2016 और मई 2018 के मध्य) में 48 संविदाओं में खनन परिचालन मई 2015¹¹ और मार्च 2017 के मध्य प्रारंभ हुए। इन ठेकेदारों द्वारा ₹ 97.72 करोड़ की मासिक किश्त जमा करवाना अपेक्षित था। तथापि, ठेकेदारों ने निधि में ₹ 48.42 करोड़ जमा करवाए परिणामतः ₹ 49.30 करोड़ (कम जमा = ₹ 1.21 करोड़ और जमा न हुए ₹ 48.09 करोड़) कम जमा हुए/जमा नहीं हुए। इसके अलावा, मार्च 2018 तक ₹ 17.44 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य था। तथापि, विभाग ने न तो ठेकेदार द्वारा संविदा के प्रावधानों के अनुसार निधि में अंशदान सुनिश्चित किया और न ही विलंबित भुगतान/भुगतान न करने के लिए ब्याज उद्गृहीत किया।

¹⁰ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

¹¹ खनन कार्य मई 2015 में शुरू हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने सहमति दी कि विलंबित जमा पर ब्याज के साथ वार्षिक संविदा राशि/डेड रेंट/रॉयल्टी का 10 प्रतिशत अंशदान रियायतधारकों से वसूलनीय था। विभाग ने आगे बताया कि इस बारे में चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी।

6.3.9.4 सरकार द्वारा निधि में कम अंशदान

नौ एम.ओ.¹² में 69 ठेकेदारों ने 2014-15 और 2016-17 वर्षों के मध्य (2014-15 = ₹ 28.05 करोड़; 2015-16 = ₹ 215.24 करोड़; और 2016-17 = ₹ 361.79 करोड़) संविदा राशि, डेड रेंट/रॉयल्टी के तौर पर ₹ 605.08 करोड़ जमा करवाए। अतः राज्य सरकार निधि में सरकार के हिस्से के रूप में 30.25 करोड़ (2014-15 = ₹ 1.40 करोड़, 2015-16 = ₹ 10.76 करोड़; और 2016-17 = ₹ 18.09 करोड़) अंशदान के लिए दायी थी। तथापि, राज्य सरकार ने मार्च 2017 में केवल ₹ 12.55 करोड़ की राशि जमा करवाई परिणामस्वरूप निधि में ₹ 17.70 करोड़ (₹ 30.25 करोड़ - ₹ 12.55 करोड़) का कम अंशदान हुआ। 2015-16 में सरकार द्वारा निधि में कोई राशि जमा नहीं करवाई गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि निधि में सरकार के अंशदान के हस्तांतरण के लिए वित्त विभाग द्वारा अनिवार्य बजट प्रावधान किया जाना था। बजट के आबंटन में प्रक्रियागत विलंब के कारण सरकारी हिस्सा हस्तांतरित/जमा नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे बताया कि ₹ 30.25 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध 31 मार्च 2017 तक ₹ 28.61 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी।

6.3.9.5 सरकार द्वारा निधि में ब्याज क्रेडिट न किया जाना

2015-16 और 2016-17 वर्षों के मध्य निधि में अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या 8: निधि में ब्याज क्रेडिट न किया जाना

वर्ष	निधि में प्राप्त अंशदान		31 मार्च को निधि में अंतिम शेष (₹ करोड़ में)
	ठेकेदारों से	सरकार से	
2015-16	14.90	0	14.90
2016-17	33.52	12.55	46.07
कुल	48.42	12.55	60.97

31 मार्च 2017 को जमा निधि पर सरकार द्वारा छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 4.61 करोड़ (2015-16 = ₹ 0.89 करोड़; तथा 2016-17 = ₹ 3.72 करोड़) का ब्याज क्रेडिट करना अपेक्षित था। तथापि, सरकार ने निधि में उपर्युक्त ब्याज क्रेडिट नहीं किया था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि ब्याज बजट प्रदानगी में विलंब के कारण क्रेडिट नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 31 मार्च 2017 को देय ₹ 4.61 करोड़ में से ₹ 3.15 करोड़ का ब्याज विभाग द्वारा मार्च 2018 में हस्तांतरित कर दिया गया।

¹² अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, सोनीपत तथा यमुनानगर।

6.3.9.6 खनन परिचालनों के बाद पुनरूद्धार/पुनरूत्थान कार्य का निष्पादन न किया जाना

निधि के पैरा 5.2.1 में प्रावधान है कि किसी क्रियाशील खनन योजना के भाग के तौर पर किसी पुनरूत्थान और/या पुनरूद्धार कार्य के निष्पादन के मामले में, ठेकेदार निधि में से व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा बशर्ते कि यह प्रतिपूर्ति इसके द्वारा अंशदान की गई राशि तक सीमित हो। इस सीमा से ऊपर या बाहर किया गया कोई भी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

ठेकेदारों द्वारा क्षेत्र, स्कूल, निर्धनों का उपचार, सामाजिक कार्य, समीपस्थ स्कूल में पौधारोपण, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सामुदायिक केंद्र एवं अन्य उपयोगी स्थलों के विकास पर व्यय करना अपेक्षित था। विभाग द्वारा मार्च 2017 तक किसी क्रियाशील खनन समापन योजना के भाग के रूप में कोई पुनरूत्थान और/या पुनरूद्धार कार्य करने के एवज में उपर्युक्त कार्यों पर किसी व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि संग्रहित निधि में से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने, सड़कों, स्कूलों का सुधार, स्टॉफ प्रशिक्षण इत्यादि के प्रस्ताव विचाराधीन थे और शीघ्र कार्यान्वित किए जाएंगे।

6.3.9.7 निधि के संग्रह में निवेश न किया जाना

नियमावली, 2012 के पैरा 77 (4) में प्रावधान है कि विभाग निधि में जमा की गई प्राप्तियों और उसमें से किए गए व्यय का पूरा हिसाब रखेगा और निधि में जमा प्रगतिशील संग्रह को इस तरह निवेश करेगा ताकि उससे सुरक्षित लाभ कमाया जा सके।

तथापि, विभाग ने उससे सुरक्षित लाभ कमाने हेतु प्रगतिशील जमा संग्रह को निवेश नहीं किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि सुरक्षित स्कीमों में आंशिक जमा के निवेश के लिए वित्त विभाग के साथ विचार-विमर्श चल रहा था।

6.3.9.8 निधि की मॉनीटरिंग का अभाव

निधि के पैरा 6, 7 और 8 में प्रावधान है कि यह सात सदस्यों, एक विशेष रूप से आमंत्रित और एक सदस्य सचिव के साथ प्रशासनिक सचिव (चेयरमैन) की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसमें आगे प्रावधान है कि समिति की बैठक किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम तीन बार होगी। समिति निधि की स्थिति की समीक्षा करेगी, फंडिंग के लिए योग्य पाए गई परियोजनाओं का अनुमोदन करेगी, अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति को मानीटर करेगी, भौतिक वितरण योग्य की लेखापरीक्षा और परिणाम के लिए यंत्रावली स्थापित करेगी और जहां अपेक्षित हों, उपयुक्त सुधारक उपाय करेगी।

समिति द्वारा निधि की स्थिति की समीक्षा इत्यादि के लिए जुलाई 2015 और मार्च 2017 के मध्य न्यूनतम पांच बैठक आयोजित करवानी अपेक्षित थी। तथापि, उस अवधि के दौरान इसने एक बार भी बैठक नहीं की। समिति द्वारा निधि की मॉनीटरिंग के अभाव के परिणामस्वरूप निधि प्रशासन में कई कमियां थीं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि वर्ष 2015-16 में शुरू किए गए निधि में अंशदान और चलाई जाने वाली परियोजनाओं का कार्यान्वयन पूर्णता के चरण पर था। विभाग

ने स्वीकार किया कि अभी तक कोई बैठक नहीं हुई परंतु निधि के प्रशासन में कोई अनियमितता/त्रुटि नहीं थी।

ठेकेदारों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा निधि में कम अंशदान था। फंड की स्थापना का उद्देश्य भी हासिल नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदार बहाली और/या पुनर्वास कार्य के लिए उपलब्ध शेष निधि का उपयोग करने में विफल रहे।

6.3.10 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) तैयार न करना

सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 के अनुसार, प्रत्येक जिले में भू-विज्ञान विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भूजल बोर्ड, रिमोट सेंसिंग विभाग विभाग और खनन विभाग की सहायता से जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

निदेशक, खान और भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा के कार्यालय में अभिलेखों (मई-जून 2019) की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 जिलों में से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) केवल पंचकुला और यमुनानगर जिलों के खनन अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए और विभाग को क्रमशः अप्रैल 2018 और अगस्त 2017 में प्रस्तुत किए गए थे। पंचकुला जिले के संबंध में, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा अंतिम रूप देने के लिए अप्रैल 2018 में पंचकुला के उपायुक्त को भेजा गया था, लेकिन उसकी मंजूरी के अभिलेख नहीं थे। शेष आठ जिलों के संबंध में संबंधित खनन अधिकारियों द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) तैयार नहीं किए गए थे।

विभाग ने किसी भी सर्वेक्षण के आधार पर खनिज रिजर्व का स्वतंत्र रूप से आकलन नहीं किया था। संबंधित खनन ब्लॉकों में ठेकेदार द्वारा तैयार ई.सी./खनन योजना में उल्लिखित डाटा को अपनाया गया था। अतः विभाग द्वारा उपलब्ध खनिज संसाधनों का स्वतंत्र निर्धारण नहीं किया गया।

तथापि, विभाग ने बताया (अगस्त 2019) कि खनिज रिजर्व का आकलन अब नए पहचाने गए क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है और सूचित किया कि राज्य के 15 जिलों में से चार जिलों अर्थात् पंचकुला, यमुनानगर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के संबंध में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है।

6.3.11 रेत, बोल्टर और बजरी खनन स्थलों के भू-स्थानिक अध्ययन की उपलब्धियां

खनन अधिकारी, यमुनानगर की उपस्थिति में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ से एक विशेषज्ञ टीम के साथ लेखापरीक्षा ने तीन नदी-तल रेत खनन स्थलों (नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15, गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16 तथा गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17) और एक बोल्टर/बजरी को नदी के तल के खनन स्थल (मलिकपुर खादर ब्लॉक, यमुनानगर बी-28) के बाहर भू-स्थानिक क्षेत्र अध्ययन का संचालन (जून 2019) किया था। भू-स्थानिक अध्ययन आबंटित रेत खनन क्षेत्रों/परिचालनों के मानचित्रण/सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए, निकाले गए रेत की मात्रा का आकलन, अनधिकृत खनन गतिविधियों की पहचान और पर्यावरण अनापत्ति शर्तों का सत्यापन करने के लिए आयोजित किया गया था। निम्नलिखित पाया गया।

6.3.11.1 आर्बिट्ररी रेत खनन क्षेत्र का मानचित्रण

खनन योजना में दिए गए निर्देशांक का उपयोग करके खनन ब्लॉक के लिए दिए गए कुल क्षेत्र का सीमांकन करते हुए रेड पोलिगॉन बनाया गया था और इस क्षेत्र को सत्यापित करने के लिए ठेकेदार द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर वास्तविक एरिया पोलिगॉन (पीला) का सीमांकन करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) रिसेवर का उपयोग किया गया था।

<p>नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15</p>	<p>गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16</p>
<p>गुमथला दक्षिण ब्लॉक यमुनानगर बी-17</p>	<p>मलिकपुरखादर ब्लॉक यमुनानगर बी-28</p>

कार्यस्थल निरीक्षण के दौरान देखा गया कि खनन योजना में दिए गए क्षेत्र और कार्यस्थल क्षेत्र में अंतर है। खनन स्थलों को सीमा स्तंभों द्वारा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया है तथा खनन योजना में दिए गए निर्देशांक और वास्तविक निर्देशांक मेल नहीं खाते हैं।

गुमथला नॉर्थ ब्लॉक के मामले में इस भिन्नता का खनिज आरक्षित के आकलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव है।

अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, वार्षिक न्यूनतम रिज़र्व की अनुमानित मात्रा 20,34,672 मीट्रिक टन (एम.टी.) थी। तथापि, खनन योजना में दिए गए क्षेत्र के संदर्भ में वार्षिक खनन योग्य आरक्षित की गणना, क्षेत्र में देखे गए खनन ब्लॉक के आयाम का उपयोग करके और खनन योजना में दिए गए निर्देशांक द्वारा गणना किए गए क्षेत्र का उपयोग करके किया जाता है, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या 9: गुमथला नॉर्थ ब्लॉक में वार्षिक खननीय रिज़र्व की गणना

क्र. सं.	क्षेत्र की गणना के लिए स्रोत	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	क्षेत्र वर्ग मीटर ² वर्ग में	अनुमत गहराई (मीटर)	आयतन घन मीटर ³ में	मिट्टी का घनत्व	वजन एम.टी. में	वार्षिक खननीय रिज़र्व एम.टी. में
1	खनन योजना में दिया गया	44.62	4,46,200	3	13,38,600	2000	26,77,200	20,34,672
2	क्षेत्र में अवलोकित	98.079	9,80,790	3	29,42,370	2000	58,84,740	44,72,402
3	दिए गए निर्देशांक	62.20	6,22,000	3	18,66,000	2000	37,32,000	28,36,320

उपर्युक्त आंकड़ों से प्रकट हुआ कि क्षेत्र में वार्षिक अनुमानित न्यूनतम रिज़र्व का निष्कर्षण खनन योजना में दिए गए मूल अनुमानों से दोगुना था। 44.62 हेक्टेयर क्षेत्र के अनुसार, आरक्षित मूल्य ₹ 7.30 करोड़ निर्धारित किया गया था, जबकि 98.079 हेक्टेयर के लिए, आरक्षित मूल्य ₹ 16.04 करोड़ (यथा आनुपातिक आधार पर परिकल्पित किया गया) होना चाहिए था, जो अंततः अनुबंध प्रदानगी की राशि (₹ 7.42 करोड़) की तुलना में ₹ 8.63 करोड़ अधिक था।




यह नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग इस तरह की जांच अन्य ब्लॉकों/खनन स्थलों में कर सकता है।

गुमथला नॉर्थ ब्लॉक में अनुमोदित क्षेत्र से बड़े क्षेत्र में खनन गतिविधियां की गईं। विभाग द्वारा इसका पता लगाने में विफल रहने के परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान हुआ।

6.3.11.2 अनुमोदित खनन योजना के संदर्भ में खनन कार्यों का सत्यापन

(क) 1,000 मीटर के प्रत्येक ब्लॉक के बाद 50 मीटर चौड़ाई का एक बिना खनन वाला ब्लॉक होगा। उपर्युक्त स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, गूगल अर्थ टूल का उपयोग नदी तल क्षेत्र की फोटो खींचने के लिए किया गया था, जहाँ खनन कार्य किया जा रहा था।

नागली ब्लॉक यमुनानगर बी-15, गुमथला नॉर्थ ब्लॉक बी-16 और गुमथला साउथ ब्लॉक बी-17 के मामले में नदी तल के भीतर सक्रिय खनन क्षेत्र की लंबाई क्रमशः 1.85 कि.मी., 1.52 कि.मी. और 1.44 कि.मी. पाई गई, जैसा की नीचे दर्शाया गया है:

	<p>बी-15</p>
	<p>बी-16</p>
	<p>बी-17</p>

सक्रिय खनन क्षेत्र की पहचान मेढ़ों/प्लेटफॉर्म और पॉइंट/सैंड बार के किनारों पर देखे गए निशानों के आधार पर की गई थी। सक्रिय खनन क्षेत्र और खनन मुक्त क्षेत्र के निशानों का विवरण नीचे दिया गया है:



संपूर्ण विस्तार में देखे गए निशान/पैटर्न
गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17

1,000 मीटर के प्रत्येक ब्लॉक के बाद 50 मीटर चौड़ाई का एक बिना खनन वाला ब्लॉक नहीं रखा गया था, क्योंकि सभी तीन खनन स्थलों में अधिक से अधिक विस्तार के लिए निरंतर खनन देखा गया था।

(ख) नदी-तल में खनन की अधिकतम गहराई उचित बेंच गठन के साथ किसी भी समय खनन मुक्त नदी-तल स्तर से तीन मीटर से अधिक नहीं होगी।


तीन नदी तल खनन के मामले में, सूखा तल खनन में कोई उल्लंघन नहीं पाया गया था। तथापि, धारा खनन के मामले में धारा खनन गहराई का उल्लंघन नहीं किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई उपकरण लगाया नहीं गया था।

मलिकपुर खादर ब्लॉक के मामले में, विशेषज्ञ टीम ने गहराई की गणना स्व-स्तरीय उपकरण की सहायता से की थी। परिणाम यह इंगित करते हैं कि खनन की अधिकतम गहराई 4.14 मीटर थी, जो निर्धारित सीमा से नौ मीटर कम थी।

विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि नदी-तल में खनन की गहराई तीन मीटर से अधिक न हो।

(ग) खनन गतिविधियाँ नदी/नाले के अंदरूनी चौड़ाई 3/4 हिस्से तक की जानी चाहिए। इस मानदंड का मूल्यांकन गूगल अर्थ चित्रों का उपयोग करके किया गया था। गुमथला नॉर्थ ब्लॉक और गुमथला साउथ ब्लॉक में, यह देखा गया कि खनन नदी के अंदरूनी 3/4 चौड़ाई हिस्से तक ही सीमित था, तथापि नागली ब्लॉक के मामले में यमुनानगर बी-15 गूगल अर्थ

चित्र वर्ष 2016 (खनन ब्लॉक प्रदान करने का वर्ष) तथा 2019 (खनन कार्य तीव्र गति पर) नीचे दर्शाए गए हैं:



नदी तल के उत्तरी तट की ओर खिसकाव
नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15

दो चित्रों की तुलना ने उत्तरी तट की ओर नदी तल के खिसकाव का संकेत दिया। बड़े पैमाने पर नदी तट के पास खनन के कारण उत्तरी तट में खिसकाव हुआ था। क्षेत्र साक्ष्य भी तट के पास खनन इंगित करते हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



नगली ब्लॉक में नदी के अंदरूनी 3/4 हिस्से तक खनन गतिविधियां सीमित नहीं थीं, जिससे उत्तरी तट पर बड़े पैमाने पर कटाव हो रहा था।


6.3.11.3 नदी के प्रवाह का आकलन

खनन के कारण नदी के प्रवाह में हुए बदलावों का आकलन खनन स्थलों के सेंटिनल 2 उपग्रह टेम्पोरल चित्रों के आधार पर किया गया था।

(i) नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15: नदी के प्रवाह को बाधित करने के कारण पानी का फैलाव

मार्च 2016 के चित्र में दक्षिण तट की ओर रेत भित्तियों और प्वाइंट बार्स के विकास के साथ नदी का प्राकृतिक प्रवाह दिखाई दिया। अगस्त 2016 के चित्र में नदी का प्रवाह चरम पर (मानसून के बाद) है और नदी के समग्र क्षेत्र को आवृत्त करती है। जून 2018, मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों में खनन गतिविधियों को देखा गया। मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों ने नदी तल में अलग प्रवाह का स्पष्ट रूप से संकेत दिया। मार्च 2019 के चित्र में नदी पर पुल देखा गया। इससे नदी के ऊपरी भाग में जलाशय बन गया। पानी के

निशान, प्राकृतिक प्रवाह की बजाय पानी के फैलाव (झीलों से या उनसे संबंधित) के समान दिखाई दिए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:




नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15 नदी के प्रवाह का चित्र



नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15 का सामान्य भौतिक अवलोकन


(ii) गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16: नदी के प्रवाह को बाधित करने के कारण प्रवाह का चौड़ीकरण तथा पानी का फैलाव

मार्च 2016 के चित्र में उत्तरी तट पर रेत भित्तियों और प्वाइंट बार्स के विकास के साथ नदी का प्राकृतिक प्रवाह दिखाई दिया। अगस्त 2016 के चित्र में नदी का प्रवाह चरम पर (मानसून के बाद) है और नदी के समग्र क्षेत्र को आवृत्त करती है। अप्रैल 2017, जून 2018, मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों में खनन गतिविधियों को देखा गया। अप्रैल 2017, जून 2018, मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों ने उत्तरी तट की ओर नदी तल में अलग प्रवाह का स्पष्ट रूप से संकेत दिया। पानी के निशान, प्राकृतिक प्रवाह की बजाय पानी के फैलाव के समान दिखाई दिए। नदी के प्रवाह को बाधित करने के कारण तथा/ या भूजल के संभावित आभेदन के कारण प्रवाह में स्पष्ट बदलाव हुआ।



गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16 के प्रवाह का चित्र

नवंबर 2015 के चित्र में दक्षिणी तट की ओर सामान्य प्रवाह और उत्तरी तट पर रेत भित्तियों/प्वाइंट बार्स का बनना दिखाई दिया। फरवरी 2018 के चित्र ने दक्षिणी तट की ओर प्रवाह का विस्तार दिखाया। दिसंबर 2018 के चित्र ने नदी तल के पर्याप्त चौड़ीकरण के अतिरिक्त दक्षिणी तट की ओर प्राकृतिक प्रवाह का और अधिक फैलाव दिखाया। रेत खनिकों द्वारा नदी को बाधित करने के कारण 10 माह के भीतर बाढ़प्रवण क्षेत्र में वृद्धि हुई:




नदी प्रवाह में बदलाव
गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16



गुमथला नॉर्थ ब्लॉक में नदी को बाधित किया जाना

(iii) गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17: नदी के प्रवाह को बाधित करने के कारण प्रवाह का फैलाव

मार्च 2016 के चित्र में ब्रेडिंग पैटर्न, रेत भित्तियों और प्वाइंट बार्स के विकास के साथ नदी का प्राकृतिक प्रवाह दिखाई दिया। अगस्त 2016 के चित्र में मानसून वर्षा के लिए नदी का प्रवाह चरम पर है। जून 2018, मार्च 2019 और जून 2019 के चित्रों ने स्पष्ट रूप से अलग नदी प्रवाह का संकेत दिया जिसमें पानी के निशान, प्राकृतिक प्रवाह की बजाय पानी के फैलाव के समान दिखाई दिए, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



नदी प्रवाह के चित्र
गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17

उपर्युक्त ने नदी प्रवाह के बाधित होने तथा/या भूजल के संभावित आमेलन के स्पष्ट संकेत दिए। मेढों/खनन प्लेटफार्मों के माध्यम से प्राकृतिक प्रवाह का अवरुद्ध होना भी चित्रों में देखा गया, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



नदी प्रवाह में बदलाव
गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17

तीन नदी तल खनन ब्लॉकों में लघु खनन अवधि के दौरान नदी के प्रवाह में बदलाव आया है, जो नदी के प्रवाह का बाधित होना तथा भूजल का संभावित आमेलन दर्शाता है।

6.3.11.4 अनधिकृत खनन गतिविधियों की पहचान

नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-1

क्षेत्र निरीक्षण के समय, लेखापरीक्षा टीम ने उत्तरी तट पर किसी प्रकार के अवैध खनन गतिविधि का कोई निशान नहीं देखा। अवैध खनन गतिविधि का पता लगाने के लिए गूगल अर्थ के वर्ष 2014, 2015 तथा 2018 के चित्रों की समय श्रृंखलाओं की स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई। यह व्याख्या नदी तल क्षेत्र में ट्रकों/ट्रॉलियों की आवाजाही पर निशान पर नजर रखने के लिए, नदी तल क्षेत्र में रेत के ढेर, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, हल्के वजन के उत्खनन मशीनों की आवाजाही तथा खनन गड्ढों का पता लगाने के लिए की गई।

यद्यपि, नगली ब्लॉक में अप्रैल 2018 में खनन कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अवैध खनन का पता वर्ष 2014 और 2015 के चित्रों से पता चला था, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



अवैध खनन के समय शृंखला चित्र
नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 जारी किए। सिफारिशों में से एक यह था कि छोटे आकार के खनन स्थलों पर (पाँच हेक्टेयर तक) एनड्राइड आधारित स्मार्ट फोन के साथ जोड़ा जाएगा तथा बड़े आकार (5 हेक्टेयर से अधिक) के खनन स्थल को सी.सी.टी.वी. कैमरे, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और पावर बैकअप के साथ जोड़ा जाएगा। अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग जल्द से जल्द खनन स्थलों पर इन सुविधाओं को स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है।

6.3.11.5 पर्यावरण अनापत्ति की शर्तों का सत्यापन

खनन योजना के अनुसार, धूल को उड़ने से रोकने के लिए सड़क के किनारे पानी का छिड़काव और वृक्षारोपण किया जाएगा।

नगली ब्लॉक यमुनानगर बी-15, गुमथला नॉर्थ ब्लॉक यमुनानगर बी-16 और गुमथला साउथ ब्लॉक यमुनानगर बी-17 में क्षेत्र का दौरा करने पर सड़क के किनारे वृक्षारोपण और पानी का छिड़काव नहीं देखा गया। दृश्य पर्यवेक्षण से धूल की उच्च मात्रा का पता चला जिससे धूल के गुबार में वृद्धि हो सकती है जिस पर आवधिक रूप से निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, मजदूरों को डस्ट मास्क तथा अन्य सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे।

यद्यपि, सलाहकारों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट, ठेकेदार द्वारा वर्ष में दो बार प्रस्तुत की गई थी, तथापि संबंधित विभागों द्वारा वायु, जल, भूमि, ध्वनि, आदि की गुणवत्ता की पर्यावरण निगरानी की कोई नियमित जांच नहीं की गई थी। नदी के किनारों को भी उचित रूप से संरक्षित नहीं किया गया था।

6.3.12 स्टोन क्रशर

हरियाणा क्रशर विनियमन और नियंत्रण नियमावली, 1992 (क्रशर नियमावली, 1992) स्टोन क्रशरों के मालिकों को लाइसेंसों की प्रदानगी और इसका नवीकरण के प्रावधानों का विनियमन करता है। 1,094 स्टोन क्रशरों में से 229 के अभिलेखों की जांच की गई और क्रशर नियमावली, 1992 में निहित प्रावधानों के विरुद्ध जांचे और आंके गए। निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियां देखी गईं:

6.3.12.1 स्टोन क्रशरों द्वारा कच्चे माल की खरीद की निगरानी के लिए प्रणाली का अभाव

स्टोन क्रशर के लिए कच्चा माल हरियाणा की वैध खदानों के साथ-साथ राजस्थान, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की खदानों से भी खरीदा जाता है। हरियाणा में परिचालित स्टोन क्रशरों के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र भरकर खनन विभाग से लाइसेंस प्राप्त किए जाते हैं। तथापि आवेदन-पत्र में कच्चे माल की खरीद के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं होती है। यह जानकारी खनन विभाग के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आस-पास के राज्यों से खरीदा गया कच्चा माल संबंधित राज्यों की वैध खदानों से है। खरीद के स्रोत की निगरानी की कमी से अवैध खदानों से कच्चे माल की खरीद का जोखिम हो सकता है।

(i) लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति के लिए आवेदन-पत्रों का विलंबित प्रस्तुतिकरण/ प्रस्तुत न किया जाना

स्टोन क्रशरों के मालिक का लाइसेंस तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रदान/नवीकरण किया जाता है। 31 मार्च 2017 को राज्य में 1,094 स्टोन क्रशर थे, जिनमें से 229 स्टोन क्रशरों के लाइसेंस वर्ष 2016-17 के दौरान नवीकरण किए जाने देय थे। लेखापरीक्षा ने इन 229 मामलों की फाईलें जांचीं। इनमें से, 30 स्टोन क्रशरों के मालिकों ने अपने लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किए। इन 30 स्टोन क्रशरों के बंद होने की रिपोर्ट संबंधित फाईलों में उपलब्ध नहीं थी। तथापि, इन 30 स्टोन क्रशरों में से छः (पांच फरीदाबाद में और एक गुरुग्राम में स्थित) के भौतिक सत्यापन पर यह पाया गया कि सभी छः स्टोन क्रशर बंद थे। 199 स्टोन क्रशरों के मालिकों ने अपने लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति के

लिए आवेदन-पत्र 11 और 650 दिनों की सीमा में विलंब के साथ प्रस्तुत किए जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 10: स्टोन क्रशरों के लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति के लिए आवेदन-पत्रों का विलंबित प्रस्तुतिकरण/प्रस्तुत न किया जाना

क्र. सं.	जिला	स्टोन क्रशरों की संख्या जिनका नवीकरण 2016-17 में देय था	आवेदन-पत्रों की संख्या जो विलंब से प्रस्तुत किए गए	विलंब की सीमा (दिनों में)	
				से	तक
1.	अंबाला	2	0	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	भिवानी	25	25	132	443
3.	फरीदाबाद	83	60	46	505
4.	गुरुग्राम	55	52	11	547
5.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	8	8	105	343
6.	पंचकूला	23	21	77	565
7.	यमुनानगर	33	33	85	650
कुल		229	199		

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि 30 स्टोन क्रशरों (अंबाला = 2, फरीदाबाद = 23, गुरुग्राम = 3 और पंचकूला = 2) के बंद होने की रिपोर्ट संबंधित एम.ओ. से मांगी गई थी। 30 स्टोन क्रशरों के संबंधित अभिलेखों की पुनः जांच के बाद, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन स्टोन क्रशरों (फरीदाबाद) के लाइसेंसों का मार्च 2018 और अक्टूबर 2018 के मध्य नवीकरण किया गया था, फरीदाबाद में एक स्टोन क्रशर के मालिक ने सितंबर 2018 में लाइसेंस के नवीकरण के लिए अपूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया, विभाग ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रत्येक में एक मामले में लाइसेंस के नवीकरण के लिए क्रमशः जून 2017/अप्रैल 2018 में स्मरण-पत्र जारी किया/रिपोर्ट मांगी और शेष 24 स्टोन क्रशर (अंबाला = 2, फरीदाबाद = 18, गुरुग्राम = 2 तथा पंचकूला = 2) मार्च 2018 और नवंबर 2018 के मध्य संबंधित एम.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार बंद/उखड़े हुए/अक्रियाशील पाए गए।

(ii) लाइसेंसों के नवीकरण की विलंबित अनुमति/अनुमति प्रदान न करना

विभाग द्वारा लाइसेंसों के नवीकरण की प्रदानगी में विलंब था। आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि से विभाग द्वारा नवीकरण के लिए लाइसेंसों की प्रदानगी के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका संख्या 11: स्टोन क्रशरों के लाइसेंसों के नवीकरण की विलंबित अनुमति/अनुमति प्रदान न करना

क्र. सं.	जिला	प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की संख्या	लाइसेंसों की संख्या		विलंब की सीमा (दिनों में)	
			विलंब से नवीकृत	नवीकृत नहीं किए गए	से	तक
1.	भिवानी	25	23	2	13	317
2.	फरीदाबाद	60	44	16	8	205
3.	गुरुग्राम	52	52	0	7	454
4.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	8	8	0	9	91
5.	पंचकूला	21	21	0	9	142
6.	यमुनानगर	33	33	0	8	494
कुल		199	181	18		

विभाग ने आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की तिथि से सात और 494 दिनों की सीमा के मध्य विलंब के साथ लाइसेंसों का नवीकरण किया। स्टोन क्रशरों ने लाइसेंसों के नवीकरण के लंबन की अवधि के दौरान भी परिचालन जारी रखा। विभाग ने 18 स्टोन क्रशरों के मालिकों को लाइसेंसों का नवीकरण प्रदान नहीं किया यद्यपि उन्होंने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए थे। लाइसेंस के नवीकरण की अप्रदानगी के कारण संबंधित फाईलों में उपलब्ध नहीं थे। तथापि, इन 18 स्टोन क्रशरों ने लाइसेंसों का नवीकरण न होने के बावजूद परिचालन जारी रखा। यह विभाग में ये सुनिश्चित करने में कि केवल वैध लाइसेंस वाले स्टोन क्रशर ही परिचालन कर सकें, नियंत्रण यंत्रावली के अभाव का संकेत था।

181 में से 57 मामलों में, नवीकरण में विलंब एन.ओ.सी. की विलंबित प्राप्ति के कारण था। विलंब की सीमा चार और 419 दिनों के मध्य थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 12: लाइसेंसधारकों से एन.ओ.सी. की प्राप्ति में विलंब की सीमा

क्र.सं.	विलंब की सीमा (दिनों में)	मामलों की संख्या
1.	90 दिनों तक	23
2.	91 और 180 दिनों के मध्य	13
3.	181 और 270 दिनों के मध्य	15
4.	271 और 365 दिनों के मध्य	4
5.	365 दिनों से अधिक	2
कुल		57

इसमें से, 50 मामलों के अभिलेख की जांच एच.एस.पी.सी.बी. के कार्यालय में की गई और यह अवलोकित किया गया कि आवेदनकर्ताओं द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा एन.ओ.सी. जारी करने में कोई विलंब नहीं था। विलंब या तो मालिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने या आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत करने के कारण था। परिणामतः विभाग द्वारा परिचालन के लिए लाइसेंसों के नवीकरण की प्रदानगी में विलंब था।

आगे, यह पाया गया कि तीन लाइसेंसधारकों¹³ को विभाग द्वारा लाइसेंसों का नवीकरण प्रदान कर दिया गया तथा एच.एस.पी.सी.बी. से एन.ओ.सी. रिकार्ड में नहीं पाई गई थी। विभाग ने बताया कि एन.ओ.सी. (गुरुग्राम = 2 और पंचकूला = 1) कार्यालय में उपलब्ध थे और लाइसेंस एच.एस.पी.सी.बी. से एन.ओ.सी. प्राप्त करने के बाद ही नवीकृत किए गए थे। संबंधित अभिलेखों की पुनःजांच के बाद, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त तीन मामलों में से एक मामले (गुरुग्राम) में एन.ओ.सी. रिकार्ड में पाई गई थी तथा यह समय पर प्राप्त हुई थी। शेष दो मामलों (गुरुग्राम = 1 और पंचकूला = 1) में एन.ओ.सी. रिकार्ड में नहीं पाई गई थी। 133¹⁴ मामलों में एन.ओ.सी. की वैधता लाइसेंस के नवीकरण की अवधि से कम होने पर लाइसेंस का नवीकरण प्रदान किया गया। विभाग ने बताया कि एच.एस.पी.सी.बी. द्वारा परिचालन के लिए सहमति प्रदान करने की अवधि का संबंध स्टोन क्रशरों के लाइसेंस की प्रदानगी/नवीकरण की अवधि से नहीं था और एन.ओ.सी. की वैधता लाइसेंस के नवीकरण की प्रदानगी की तिथि को देखी गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान (6 नवंबर 2018), विभाग ने बताया कि भिवानी और फरीदाबाद के 18 स्टोन क्रशर मालिकों ने लाइसेंसों के नवीकरण के लिए आवेदन दिए परंतु आवेदन-पत्र बिना हस्ताक्षर के, लाइसेंस फीस के बिना नवीकरण के लिए आवेदित, एच.एस.पी.सी.बी. से वैध एन.ओ.सी. के बिना इत्यादि पाए गए। संबंधित अभिलेख की दुबारा जांच करने पर लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने फरीदाबाद में फरवरी 2018 और अक्टूबर 2018 के मध्य 11 लाइसेंसों का नवीकरण किया जबकि सात लाइसेंसों (भिवानी = 2 और फरीदाबाद = 5) का नवीकरण आज तक विभाग द्वारा नहीं किया गया।

स्टोन क्रशर इकाइयों द्वारा लाइसेंसों के नवीकरण करवाने में विलंब था। विभाग यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि केवल वैध लाइसेंस वाले स्टोन क्रशर ही कार्य कर सकें।

6.3.12.2 स्टोन क्रशरों के लाइसेंसों के नवीकरण की अनुमति

क्रशर नियमावली, 1992 के नियम 3 और 6 में प्रावधान है कि लाइसेंस की प्रदानगी एवं इसके नवीकरण का आवेदन-पत्र निर्धारित प्राधिकारी को दिया जाएगा जिसके साथ ₹ 10,000 की निर्धारित फीस और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच.एस.पी.सी.बी.) का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न होगा। इसमें आगे प्रावधान है कि लाइसेंसधारक लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र इसकी वैधता समाप्त होने से कम से कम छः महीने पहले देगा। यदि

¹³ गुरुग्राम - 2, तथा पंचकूला- 1

¹⁴ भिवानी - 13, फरीदाबाद - 42, गुरुग्राम - 35, महेंद्रगढ़ (नारनौल) - 6, पंचकूला - 19 तथा यमुनानगर - 18.

नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र का निपटान पहले लाइसेंस की अवधि व्यतीत होने से पहले नहीं किया जाता तो इसे अस्वीकृत माना जाएगा।

6.3.13 ईंट भट्टा

कोक सहित कोल जो ईंट भट्टों में प्रयुक्त होता है, आपूर्ति जारी रखने या बढ़ाने के लिए या उनका समान वितरण संरक्षित करने या उचित मूल्यों पर उपलब्धता के लिए अनिवार्य उपभोग्य पदार्थ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत शामिल है। अतः खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उत्पादन, भंडारण और ब्रिकज के विक्रय के प्रयोजन से ईंट भट्टों के मालिकों को लाइसेंसों की प्रदानगी सहित, इस निर्दिष्ट अनिवार्य खाद्य पदार्थ के संबंध में की गई लाइसेंसों की प्रदानगी और इसके नवीकरण के लिए अधिकृत है। विभाग ईंट भट्टों में प्रयुक्त ब्रिक मिट्टी की खुदाई के लिए परमिट की प्रदानगी नियमित करता है। वर्तमान, ईंट भट्टा मालिकों को लाइसेंसों की प्रदानगी और इसका नवीकरण हरियाणा ब्रिक नियंत्रण आपूर्ति आदेश, 1972 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमित की जाती है। 4,139 ईंट भट्टों के अभिलेखों की जांच की गई और आदेश, 1972 में निहित उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार आंके गए। निम्नलिखित अनियमितताएं/कमियां देखी गईं:

6.3.13.1 ईंट भट्टा मालिकों से रॉयल्टी, अतिरिक्त रॉयल्टी और उन पर ब्याज की कम/अवसूली

हरियाणा राज्य में भी यथा लागू पंजाब गौण खनिज रियायत अधिनियम, 1964 की धारा 24 और हरियाणा सरकार की जून 2012 की अधिसूचना में प्रावधान है कि ₹ 30,000, ₹ 25,000, ₹ 15,000 और ₹ 5,000 की वार्षिक रॉयल्टी की वसूली क्रमशः ए, बी, सी, और डी श्रेणी¹⁵ के ईंट भट्टों से प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से की जानी है। आगे, वार्षिक रॉयल्टी के 25 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त रॉयल्टी भी ईंट भट्टा मालिकों (बी.के.ओ.) से वसूलनीय है।

ऐसा करने में विफलता 15 प्रतिशत (30 दिनों तक) और 18 प्रतिशत (31 से 60 दिन) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज आकृष्ट करेगा। 60 दिन से अधिकतम विलंब के लिए 21 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के सहित चूक की पूरी अवधि के लिए समूची बकाया राशि की वसूली के साथ परमिट की निरस्तगी के लिए कार्रवाई आकृष्ट करेगा।

14 एम.ओ.¹⁶ के कार्यालयों (सितंबर 2016 और जनवरी 2018 के मध्य) में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 4,139 में से 181 बी.के.ओ. द्वारा वार्षिक रॉयल्टी एवं अतिरिक्त रॉयल्टी के तौर पर अप्रैल 2013 और अप्रैल 2016 के मध्य ₹ 0.55 करोड़ जमा करवाने अपेक्षित थे। तथापि, ₹ 0.02 करोड़ की वसूली केवल सात बी.के.ओ. से की गई और वह भी देय तिथि के बाद परिणामस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ की रॉयल्टी और अतिरिक्त रॉयल्टी का कम भुगतान/भुगतान नहीं हुआ। इसके अलावा, मार्च 2018 तक ₹ 0.24 करोड़ का ब्याज भी

¹⁵ ए श्रेणी: ईंट भट्टा जिसके पास 11 लाख में अधिक ईंटें हैं; बी श्रेणी: ईंट भट्टा जिसके पास 9 और 11 लाख के बीच ईंटें हैं; सी श्रेणी: ईंट भट्टा जिसके पास सात और 9 लाख के बीच ईंटें हैं तथा डी श्रेणी: ईंट भट्टा उस वर्ष के दौरान जलाया नहीं गया है जिसमें 1 अप्रैल को भट्टे के अंदर और बाहर सभी प्रकार की ईंटों का उपलब्ध स्टॉक पांच लाख से अधिक न हो।

¹⁶ अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल), पंचकूला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत तथा यमुनानगर।

उद्ग्रहण था। विभाग ने न तो इन बी.के.ओ. का परमिट रद्द करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की न ही 60 दिनों से अधिक विलंब के लिए ब्याज का उद्ग्रहण किया। रेवाड़ी में, सभी 102 ईट भट्टों में कोई कमी नहीं देखी गई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि बी.के.ओ. से रॉयल्टी की वसूली आदि एक सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया थी और बकाया रॉयल्टी, अतिरिक्त रॉयल्टी और उस पर देय ब्याज आगामी वर्ष के लिए वार्षिक रॉयल्टी जमा करने के समय बी.के.ओ. से वसूल कर लिया जाता। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि उस वर्ष जिसमें यह देय हो, राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए बी.के.ओ. से रॉयल्टी आदि की वसूली के लिए बेहतर मॉनीटरिंग की आवश्यकता थी।

6.3.14 आंतरिक नियंत्रण एवं मॉनीटरिंग यंत्रावली

आंतरिक नियंत्रण एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभाग अभिन्नता सुनिश्चित करने और इसके उद्देश्यों को प्रभावी रूप से तथा दक्षता से प्राप्त करने के लिए इसकी गतिविधियों को संचालित करती है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली और विभागीय संहिता एवं नियमावली में निहित प्रावधानों का कड़ा पालन विभाग को लागू नियमों के अनुपालन, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता प्राप्त करने और इसके परिचालनों में प्रभाविकता एवं दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करता है।

6.3.14.1 मासिक/वार्षिक रिटर्नस की विलंबित/न प्रस्तुति होना

नियमावली 2012 के नियम 56 (15) में प्रावधान है कि एक ठेकेदार को प्रत्येक माह की 7 तारीख को निर्धारित प्राधिकारी को फार्म एम.एम.पी-1 में मासिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा जिसमें उठाए गए खनिज की कुल प्रमात्रा के विवरण होंगे और जैसा कि उक्त फार्म में निर्धारित हो, इसका मूल्य और ऐसे अन्य विवरण आगामी कलेंडर मास के दौरान क्षेत्र से प्रेषित करेगा। आगे, एक ठेकेदार प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को फार्म एम.एम.पी.-2 में एक वार्षिक रिटर्न निर्धारित प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेगा जिसमें गत वित्तीय वर्ष के दौरान निकाले गए प्रेषित और इकट्ठे किए गए खनिज की प्रमात्रा एवं मूल्य, नियुक्त श्रमिकों की औसत संख्या, हादसों, यदि कोई हो, की संख्या, भुगतान की गई प्रतिपूर्ति और कार्य किए गए दिनों की संख्या हो।

निम्नलिखित 10 एम.ओ. के कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया गया कि ठेकेदारों द्वारा क्रमशः फार्म एम.एम.पी.-1 और एम.एम.पी.-2 में मासिक और वार्षिक रिटर्नस की प्रस्तुति में विलंब था, जिसके विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका संख्या 13: मासिक/वार्षिक रिटर्नस की विलंबित प्रस्तुति/अप्रस्तुति

क्र. सं.	खनन कार्यालय	खदान संविदाओं/पट्टों की कुल संख्या जहां रिटर्न विलंब से प्रस्तुत नहीं की गई	फार्म एम.एम.पी-1 में मासिक रिटर्न की प्रस्तुति में विलंब की सीमा (दिनों में)		फार्म एम.एम.पी.-2 में वार्षिक रिटर्न की प्रस्तुति में विलंब की सीमा (दिनों में)
			से	तक	
1.	अंबाला	1	1	12	प्रस्तुत नहीं की गई
2.	भिवानी	9	1	100	प्रस्तुत नहीं की गई
3.	फरीदाबाद	2	प्रस्तुत नहीं की गई		प्रस्तुत नहीं की गई

क्र. सं.	खनन कार्यालय	खदान संविदाओं/पट्टों की कुल संख्या जहां रिटर्न विलंब से प्रस्तुत नहीं की गईं	फार्म एम.एम.पी-1 में मासिक रिटर्न की प्रस्तुति में विलंब की सीमा (दिनों में)		फार्म एम.एम.पी.-2 में वार्षिक रिटर्न की प्रस्तुति में विलंब की सीमा (दिनों में)
			से	तक	
4.	हिसार	1	-	39	प्रस्तुत नहीं की गईं
5.	कुरुक्षेत्र	1	5	110	प्रस्तुत नहीं की गईं
6.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	10	2	175	एक मामले के अलावा प्रस्तुत नहीं की गईं
7.	पंचकुला	3	14	249	प्रस्तुत नहीं की गईं
8.	पानीपत	4	8	68	प्रस्तुत नहीं की गईं
9.	सोनीपत	8	1	139	प्रस्तुत नहीं की गईं
10.	यमुनानगर	11	1	166	प्रस्तुत नहीं की गईं
कुल		50	1	249	

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान एम.ओ. के पांच कार्यालयों¹⁷ में किसी खान की नीलामी नहीं की गई। ठेकेदारों ने मासिक रिटर्नस एक से 249 दिनों की सीमा के मध्य विलंब से प्रस्तुत की। फरीदाबाद में दो ठेकेदारों ने वर्ष 2016-17 के दौरान फार्म एम.एम.पी.-1 में मासिक रिटर्नस प्रस्तुत नहीं की। वार्षिक रिटर्नस किसी भी ठेकेदार द्वारा फार्म एम.एम.पी.-2 में प्रस्तुत नहीं की गईं। महेन्द्रगढ़ (नारनौल) और भिवानी जहां पट्टे प्रदान किए गए थे, वार्षिक रिटर्नस महेन्द्रगढ़ (नारनौल) में एक पट्टे के अलावा प्रस्तुत नहीं की गईं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने स्वीकार किया कि मासिक/वार्षिक रिटर्नस की प्रस्तुति में विलंब कुछ मामलों में देखे गए और यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि ये रिटर्नस भविष्य में समय पर प्रस्तुत किए जाएं। विभाग ने आगे बताया कि ई-रवाना¹⁸ नामक आई.टी. आधारित प्रस्तावित प्रणाली का प्रारंभ खदान गतिविधियों से संबंधित सूचना का वास्तविक समय सृजन करेगा।

मासिक/वार्षिक रिटर्नस के विलंबित प्रस्तुतिकरण/अप्रस्तुतिकरण के परिणामस्वरूप पट्टाधारकों से वसूलनीय डेड रेंट या रॉयल्टी की सही राशि का समय पर निर्धारण करने में विफलता हुई क्योंकि विभाग द्वारा केवल खनिजों की खुदाई और परिवहन की रेंडम जाँच का सहारा लिया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसी रेंडम जाँच के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे। परिणामतः विभाग भी यह निर्धारित करने में विफल रहा कि क्या वर्ष के दौरान निकाले गए खनिज की प्रमात्रा अनुमोदित योजना के अनुसार थी।

6.3.14.2 परिवहन के दौरान खनिजों की मॉनीटरिंग

नियम 2012 के नियम 98 (1) और (2) में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति वैध खनिज परिवहन पास के बिना किसी भी वाहन द्वारा किसी भी खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएगा। खनिज रियायतधारक आवेदन करेगा और संबंधित खनन अधिकारी द्वारा विधिवत संख्या में खनिज पारगमन पास वाली बुकलेट जारी की जाएगी। खनिज

¹⁷ गुरुग्राम, जींद, रेवाड़ी, रोहतक तथा सिरसा।

¹⁸ खनन कार्यों के संचालन, खनिजों के परिवहन, अवैध खनन की जाँच इत्यादि की निगरानी के लिए आई.टी. सक्षम सेवाओं के माध्यम से खनन प्रणाली के प्रशासन और विनियमन में एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन।

रियायतधारक, खनन अधिकारी द्वारा जारी किए गए खनिज पारगमन पास के विवरणों के साथ सभी प्राप्तियों एवं प्रेषणों का एक रजिस्टर रखेगा तथा मासिक उत्पादन एवं प्रेषण रिपोर्टों में इस तरह के विवरणों को प्रस्तुत करेगा तथा उसके द्वारा उपयोग किए गए खनिज पारगमन पास की बुकलेट का संपूर्ण लेखा तैयार करेगा।

आगे, नियम, 2012 के नियम 98 (5) में यह प्रावधान है कि सभी प्रासंगिक विवरण जैसे प्रेषण का स्रोत, वाहन का पंजीकरण नंबर, स्रोत से प्रेषित खनिज का भार या खनिज की मात्रा, ट्रांसपोर्टर का नाम और गंतव्य खेप को खनिज पारगमन पास में एक सुव्यवस्थित तरीके से भरा जाएगा, जिसे एक अधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निदेशक, खदान और भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा के कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान (मई-जून 2019) लेखापरीक्षा को सूचित किया गया था कि खनिजों के परिवहन की जाँच को ध्यान में रखते हुए अंतर-राज्यीय प्रवेश द्वार पर या किसी अन्य बिंदु पर चेक पोस्ट/बैरियर स्थापित किए गए थे। ये चेक पोस्ट/बैरियर स्थायी नहीं हैं। ऐसे चेक पोस्टों की संख्या परिस्थिति के अनुसार बढ़ाई और घटाई जाती है।

लेखापरीक्षा ने पुनः अवलोकित किया कि खुदाई किए खनिजों, खनिजों को तोलने, खनन स्थलों से खनिजों को लाने ले जाने के लिए परमिटों इत्यादि से संबंधित अभिलेख संबंधित ठेकेदारों द्वारा नियुक्त स्टॉफ द्वारा रखा जा रहा था। विभाग ने ठेकेदारों द्वारा खुदाई किए गए और लाए-ले जाए गए खनिजों की केवल रैंडम जांच का सहारा लिया। इसके अतिरिक्त, ऐसी रैंडम जांच के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे और विभाग उपर्युक्त किसी भी वैज्ञानिक तरीके का उपयोग किए बिना खनन गतिविधियों की मानवीय मॉनीटरिंग कर रहा था।

भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं मौसम परिवर्तन ने खनन गतिविधियों की मॉनीटरिंग के लिए स्थिर रेत खनन प्रबंध मार्गनिर्देश, 2016 जारी किए। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं:

- **परिवहन परमिटों में सुरक्षा विशेषताएं:** परिवहन परमिट अनुमोदित मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन (एम.आई.सी.आर.) कोड पेपर पर छपाया जाएगा, जिसमें यूनीक बारकोड, यूनीक क्विक रिस्पॉस (क्यू.आर) कोड, इंक पृष्ठभूमि, अदृश्य स्याही का निशान, खाली पैंटोग्राफ और वाटरमार्क होगा;
- **परिवहन परमिटों/रसीदों की स्कैनिंग और सर्वर पर अपलोडिंग:** ट्रांसपोर्ट परमिट के बार कोड में स्टोर किया गया डाटा सर्वर पर इसे अपलोड करने के लिए कम्प्यूटर/सॉफ्टवेयर, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल (सिम) कार्ड पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली एंडरॉयड एप्लीकेशन और निर्दिष्ट वैधता अवधि के भीतर सीमित प्रयोग के लिए यूनीक इनवॉयस कोड का सृजन सरल करने के लिए मोबाईल द्वारा लघु संदेश सेवा (एस.एम.एस.) भेजकर बार कोड स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया जाएगा।

एगिजट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि ई-रवाना प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया चरम अवस्था में थी, उन्नत चरण, जो खनन परिचालनों की मॉनीटरिंग खनिजों के परिवहन, अवैध खनन की जांच इत्यादि में उपयोगी होगी।

6.3.14.3 मानव संसाधन

निदेशक, खदान एवं भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय (दिसंबर 2017) में 2004-05 में विभिन्न संवर्गों में 293 की स्वीकृत स्टॉफ था। विभाग के पास विभिन्न संवर्गों में 268 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 31 मार्च 2017 को 164 की कार्यशील संख्या थी जिसके परिणामस्वरूप 104 (38.81 प्रतिशत) की सीमा तक मानवशक्ति की कुल कमी थी। फील्ड कार्यालयों में 31 मार्च 2017 को मुख्य संवर्ग-वार कमी नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका संख्या 14: फील्ड कार्यालयों में विशिष्ट संवर्गों में मानवशक्ति की कमी

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत स्टॉफ	नियुक्त स्टॉफ	कमी	कमी (प्रतिशत में)
1	खदान अभियंता/अधिकारी	18	10	8	44.44
2	खदान निरीक्षक	40	22	18	45.00
3	खदान लेखाकार/लिपिक	31	9	22	70.97
4	खदान गार्ड	117	84	33	28.21
कुल		206	125	81	

खदान लेखाकार/लिपिक के संवर्ग में 70.97 प्रतिशत रिक्तता थी। यह संवर्ग देय संविदा राशि, जमा की गई राशि, जमा की जाने की तिथि, चालान की प्रतियां, शेष देय राशि वसूलनीय ब्याज इत्यादि के विवरण वाली संविदाओं/पट्टों के लिए लेजर लेखा से संबंधित अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी है। इतनी भारी रिक्तता से अभिलेखों और ठेकेदारों से देयों की वसूली की निगरानी रखने पर बहुत प्रभाव पड़ा। हिसार, कुरूक्षेत्र, महेंद्रगढ़ (नारनौल) और रेवाड़ी में कोई खदान लेखाकार/लिपिक नियुक्त नहीं किए गए थे।

आगे, यह अवलोकित किया गया कि स्टॉफ की नियुक्ति तर्कसंगत नहीं थी। गुरुग्राम और जींद में खदान कार्यालयों में क्रमशः 17 और तीन खदान गार्ड तैनात थे जहां 31 मार्च 2017 तक खनन संविदा मौजूद नहीं थी। भिवानी (15 संविदाएं), हिसार (एक संविदा), कुरूक्षेत्र, (एक संविदा), रेवाड़ी (तीन संविदाएं) में प्रत्येक में खदान गार्ड के दो पद तथा फरीदाबाद (चार संविदाएं) और महेंद्रगढ़ (नारनौल) (11 संविदाएं) में प्रत्येक में छः पद रिक्त पड़े थे जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 15: फील्ड कार्यालयों में तैनात खदान पहरदारों के विवरण

क्र. सं.	जिला	स्वीकृत स्टॉफ	ठेकों/पट्टों की संख्या	नियुक्त स्टॉफ	संविदाओं/पट्टों की संख्या के अनुसार आवश्यकता	संविदाओं/पट्टा की संख्या के अनुसार अधिकता (+)/कमी (-)
1.	गुरुग्राम	25	0	17	0	(+) 20
2.	जींद	3	0	3	0	
3.	भिवानी	10	15	8	10	(-) 20
4.	हिसार	3	1	1	3	
5.	कुरुक्षेत्र	3	1	1	3	
6.	रेवाड़ी	3	3	1	3	
7.	फरीदाबाद	18	4	12	18	
8.	महेन्द्रगढ़ (नारनौल)	8	11	2	8	
कुल				45	45	0

जिन जिलों के पास खदान परिचालन नहीं थे उनमें तैनात 20 खदान गाड़ों को उतनी ही संख्या की कमी वाले अन्य खदान जिलों में तैनात किया जा सकता था। सरकार ने विभाग की स्टॉफ की स्थिति की समीक्षा की तथा मार्च 2016 में विभिन्न संवर्गों में 125 पदों को अनुमोदित किया। परंतु इन पदों को मार्च 2018 तक भरा नहीं गया।

उपलब्ध मानवशक्ति की कोई तर्कसंगत तैनाती नहीं है। विभाग बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों की तैनाती की स्थिति की समीक्षा कर सकता है।

6.3.14.4 आंतरिक लेखापरीक्षा विंग

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में स्वयं को यह सुनिश्चित करने का यंत्र है कि क्या निर्धारित प्रणालियां ठीक से कार्य कर रही हैं। यह अधिनियमों, नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर विभागीय अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि आंतरिक लेखापरीक्षा विंग विभाग में उपस्थित ही नहीं था। विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के अस्तित्व में न होने के बारे में वर्ष 2003-04 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट (राजस्व) में भी इंगित किया गया था, परंतु विभाग द्वारा गत 15 वर्षों के दौरान उपचारक कार्रवाई नहीं की गई। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के उपस्थित न होने का परिणाम प्रभावी मॉनीटरिंग के अभाव एवं ठेकेदारों के विरुद्ध भारी बकायों के जमा होने में हुआ। विभाग ने ₹ 1,476.21 करोड़ की शेष बोली जमानत, ठेकेदारों से संविदा राशि और निधि, बी.के.ओ. से रॉयल्टी/अतिरिक्त रॉयल्टी समय पर संग्रहित नहीं किए परिणामस्वरूप राज्य सरकार को उस सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली संबंधित स्टॉफ की कमी के कारण थी। आगे, यह बताया गया कि अनुभाग अधिकारियों के पद पुनसंरचना प्रस्ताव में मांगे गए हैं।

6.3.15 निष्कर्ष

खदान एवं भू विज्ञान विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा से विभिन्न कमियां और त्रुटियां प्रकट हुईं। विभाग ने उपलब्ध खनिज भंडार का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है। खदान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957, नियमावली, 2012 के प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न अनुदेशों की अनुपालना न किए जाने के मामले थे। ठेकेदारों द्वारा अनुबंधों के विलंबित निष्पादन/निष्पादित न किए जाने, शेष बोली जमानत के विलंबित जमा करने/जमा न करने, ठेकेदारों से संविदा राशि और उस पर ब्याज की मासिक किश्तों के कम जमा करने/जमा न करने के मामले थे। ठेकेदारों के साथ-साथ सरकार द्वारा निधि में कम अंशदान था और विभाग द्वारा निधि की मॉनीटरिंग अपर्याप्त थी।

विभाग द्वारा खनन कार्यों की खराब निगरानी है। खदानों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से जमीन में सीमांकित नहीं किया गया है। अत्यधिक खनन के कारण नदी के प्रवाह में बदलाव और भू-जल के आमेलन के संकेत थे।

स्टोन क्रशर परिचालित करने के लाइसेंसों के नवीकरण में विलंब था। कुछ स्टोन क्रशरों ने लाइसेंसों के बिना परिचालन जारी रखा। ईट भट्टा स्वामियों से रॉयल्टी, अतिरिक्त रॉयल्टी और उस पर ब्याज की कम वसूली/अवसूली भी देखी गई। ठेकेदारों द्वारा मासिक रिटर्नस की प्रस्तुति में विलंब था और वार्षिक रिटर्नस प्रस्तुत नहीं की गई।


6.3.16 सिफारिशें

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि सरकार विचार करे:

- राज्य के भीतर उपलब्ध खनिज रिजर्व का निर्धारण करना;
- खनन परिचालनों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्यपरक निर्धारण मानदंड पर आधारित संभाव्य बोलीदाताओं की पूर्व बोली योग्यता की प्रणाली विकसित करने के लिए;
- शेष बोली जमानत की सामयिक वसूली, संविदा राशि और अन्य वसूलनीय देयों की मासिक किश्तें सुनिश्चित करने और बकाया देयों की प्रमात्रा को कम करने के लिए ठेकेदारों से बैंक/निष्पादन गारंटी प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अपनाने हेतु;
- खनन गतिविधियों की रिमोट मॉनीटरिंग के लिए वैज्ञानिक प्रद्धतियों का उपयोग जैसे खनन स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना तथा सतत रेत खनन प्रबंधन मार्गनिर्देश, 2016 में भारत सरकार की सिफारिशों अनुसार खनन किए खनिजों के अभिलेखों के रखरखाव हेतु आई.टी. आधारित कम्प्यूटरीकृत परिवहन परमिट और रसीदों/स्लिपों का प्रयोग करना;


- फील्ड कार्यालयों में कार्य के भार पर आधारित स्टॉफ की तर्कसंगत नियुक्ति सुनिश्चित करने; तथा
- प्रभावी निर्धारण, मॉनीटरिंग और सरकारी राजस्व की समय पर वसूली के लिए आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली मजबूत करने के लिए।

चण्डीगढ़
दिनांक: 01 अक्टूबर 2019


(फैसल इमाम)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 04 अक्टूबर 2019


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

अनुलग्नक I
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/30 जून 2018 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए

कर का नाम		2014-15	2015-16	2016-17	योग
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	11	12	12	35
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	11	12	12	35
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	2	2	2	6
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	2	2	4
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	7	9	8	24
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	9	8	17
राज्य उत्पाद शुल्क/ पी.जी.टी	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	3	1	2	6
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	1	2	6
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	1	1	2	4
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	-	1	2	3
योग	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/लो.ले.स. में चर्चा हेतु लम्बित	24	25	26	75
	ले.प.प्र. में सम्मिलित अनुच्छेदों की कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई	14	25	26	65

अनुलग्नक II
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

31 मार्च 2018 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/सेक्टर)
के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	लोक लेखा समिति रिपोर्ट	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	31.07.2017 को लोक लेखा समिति की 1979-80 से 2013-14 तक की रिपोर्टों के बकाया अनुच्छेदों की कुल संख्या
1	22वीं	1979-80	3
2	23वीं	1980-81	4
3	25वीं	1981-82	4
4	26वीं	1982-83	3
5	28वीं	1983-84	2
6	29वीं	1984-85	7
7	32वीं	1985-86	4
8	34वीं	1986-87	11
9	36वीं	1987-88	6
10	38वीं	1988-89	10
11	40वीं	1989-90	21
12	42वीं	1990-91, 91-92, 92-93	26
13	44वीं	1990- 91, 91-92, 92-93	39
14	46वीं	1993-94	9
15	48वीं	1993-94, 1994-95	10
16	50वीं	1993-94, 1994-95, 1995-96	40
17	52वीं	1996-97	30
18	54वीं	1997-98	43
19	58वीं	1998-99 तथा 1999-2000	64
20	60वीं	2000-01	38
21	62वीं	2001-02	42
22	63वीं	2002-03	46
23	64वीं	2003-04	52
24	65वीं	2004-05	50
25	67वीं	2005-06	48
26	68वीं	2006-07 तथा 2007-08	100
27	70वीं	2008-09	56
28	71वीं	2009-10	51
29	72वीं	2010-11	59
30	73वीं	2011-12	35
31	74वीं	2013-14	50
32	75वीं	2012-13	48
योग			1,011

अनुलग्नक II

(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.7.5)

31 जुलाई 2018 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां/ सेक्टर)
के लिए लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	1979-80 से 2013-14 तक की अवधि की बकाया कुल सिफारिशें
1	आबकारी एवं कराधान	472
2	राजस्व	218
3	खदान एवं भू-विज्ञान	51
4	कृषि	41
5	सिंचाई	16
6	चीफ इलैक्ट्रीकल इंस्पेक्टर (विद्युत)	18
7	जन-स्वास्थ्य	6
8	लोक निर्माण विभाग (भ. एवं स.)	5
9	पशुपालन	7
10	परिवहन	98
11	वित्त (लॉटरीज)	15
12	हरियाणा राज्य लॉटरीज	2
13	सहकारिता	20
14	वन	11
15	गृह	16
16	शहरी विकास	2
17	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
18	उद्योग	5
19	सामान्य	1
20	नगर एवं ग्राम आयोजना	3
	योग	1,011

अनुलग्नक III
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.1)

परिवहन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य	नि. प्र.	अनुच्छेद	धन मूल्य
2008-09	264	340	923.24	52	86	248.60	41	26	103.90	275	400	1,067.94
2009-10	275	400	1,067.94	48	98	150.82	58	129	408.04	265	369	810.72
2010-11	265	369	810.72	60	103	242.79	77	139	257.35	248	333	796.16
2011-12	248	333	796.16	36	62	162.08	14	35	152.22	270	360	806.02
2012-13	270	360	806.02	32	77	132.80	12	30	64.95	290	407	873.87
2013-14	290	407	873.87	53	123	319.97	31	76	146.17	312	454	1,047.67
2014-15	312	454	1,047.67	40	86	509.21	105	239	422.97	247	301	1,133.91
2015-16	247	301	1,133.91	39	74	438.24	9	13	42.15	277	362	1,530.00
2016-17	277	362	1,530.00	74	131	797.26	14	31	99.53	337	462	2,227.73
2017-18	337	462	2,227.73	38	100	478.09	15	62	100.27	360	500	2,605.55

अनुलग्नक IV
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 1.8.2)

स्वीकृत मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेद का धन मूल्य	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों का धन मूल्य	वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	31 मार्च 2018 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति
2007-08	05	3.15	05	3.15	शून्य	शून्य
2008-09	02	0.63	02	0.63	0.08	0.38
2009-10	02	0.81	02	0.81	0.07	0.28
2010-11	01	0.35	01	0.35	0.06	0.26
2011-12	01	0.61	01	0.61	0.41	0.41
2012-13	01	2.00	01	2.00	0.59	0.59
2013-14	01	0.05	01	0.05	0.04	0.04
2014-15	02	0.58	02	0.58	0.58	0.58
2015-16	01	12.78	01	12.78	शून्य	शून्य
2016-17	02	0.52	02	0.52	शून्य	शून्य
योग	18	21.48	18	21.48	1.83	2.54

अनुलग्नक V
(संदर्भ अनुच्छेद संख्या 2.3.7.4)

पात्र करदाताओं का माहवार विवरण

माह	जी.एस.टी.आर. -3बी दायर करने के लिए योग्य करदाता	दायर जी.एस.टी.आर. -3बी	दायर जी.एस.टी.आर. -3बी (प्रतिशत में)	जी.एस.टी.आर. -4 दायर करने के लिए योग्य करदाता	दायर जी.एस.टी.आर. -4	दायर जी.एस.टी.आर. -4 (प्रतिशत में)	जी.एस.टी.आर. -5 दायर करने के लिए योग्य करदाता	दायर जी.एस.टी.आर. -5	दायर जी.एस.टी.आर. -5 (प्रतिशत में)	जी.एस.टी.आर. -6 दायर करने के लिए योग्य करदाता	दायर जी.एस.टी.आर. -6	दायर जी.एस.टी.आर. -6 (प्रतिशत में)	
हरियाणा	जुलाई, 17	2,58,469	2,54,036	98.28	-	-	-	-	-	366	216	59.02	
	अगस्त, 17	2,84,812	2,75,543	96.75	-	-	-	-	-	571	285	49.91	
	सितंबर, 17	3,03,250	2,88,758	95.22	21,212	18,500	87.21	-	-	649	318	49.00	
	अक्टूबर, 17	3,09,199	2,86,564	92.68	-	-	-	-	-	678	319	47.05	
	नवंबर, 17	3,18,590	2,88,707	90.62	-	-	-	1	0	704	322	45.74	
	दिसंबर, 17	3,26,524	2,91,390	89.24	28,287	24,543	86.76	2	1	50.00	731	322	44.05
	जनवरी, 18	3,35,775	2,94,877	87.82	-	-	-	3	1	33.33	748	324	43.32
	फरवरी, 18	3,44,833	2,98,381	86.53	-	-	-	2	0	-	765	305	39.87
	मार्च, 18	3,53,197	2,98,537	84.52	30,933	23,578	76.22	3	1	33.33	794	285	35.89
	अप्रैल, 18	3,60,761	3,22,583	89.42	-	-	-	4	0	-	816	502	61.52
	मई, 18	3,72,922	3,29,221	88.28	-	-	-	8	1	12.50	829	498	60.07
	जून, 18	3,81,930	3,33,259	87.26	25,934	23,777	91.68	2	1	50.00	795	504	63.40
	जुलाई, 18	3,89,114	3,35,794	86.30	-	-	-	2	1	50.00	797	481	60.35
	अगस्त, 18	3,96,878	3,39,136	85.45	-	-	-	2	1	50.00	802	479	59.73
	सितंबर, 18	3,99,083	3,41,026	85.45	25,876	22,210	85.83	2	1	50.00	802	470	58.60
	अक्टूबर, 18	4,05,863	3,41,792	84.21	-	-	-	2	1	50.00	788	460	58.38
	नवंबर, 18	4,11,169	3,38,051	82.22	-	-	-	1	1	100.00	782	459	58.70
	दिसंबर, 18	4,16,803	3,35,573	80.51	25,172	20,891	82.99	1	1	100.00	783	451	57.60
	जनवरी, 19	4,18,669	3,16,421	75.58	-	-	-	1	1	100.00	780	440	56.41

शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

ए.ए.	कर-निर्धारण प्राधिकारी
ए.ई.टी.ओ.	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी
ए.एम.ई.	सहायक खनन अभियंता
कृ.का.टि.	कृत कार्रवाई टिप्पणी
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बी.के.ओ	ईट भट्ठा मालिक
सी.जी.एस.टी.	केंद्रीय माल एवं सेवा कर
सी.एल.	देशी शराब
सी.एम.वी.आर.	केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
सी.एस.टी. एकट	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
डी.सी.	उपायुक्त
डी.सी.आर.	दैनिक संग्रहण रजिस्टर
डी.डी.ओ	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
डी.ई.पी.बी.	शुल्क एवं हकदारी पासबुक
डी.ई.टी.सी.	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त
द.ह.बि.वि.नि.लि.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
ई.सी.	शक्तिप्राप्त समिति/पर्यावरण क्लीयरेंस
ई.टी.सी.	आबकारी एवं कराधान आयुक्त
ई.डी.सी.	बाह्य विकास प्रभार
ई.टी.ओ.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी
जी.एम.	महाप्रबंधक
भा.स.	भारत सरकार
जी.टी.ओ.	सकल टर्नओवर
एच.एस.वी.पी.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.यू.डी.ए.	हडा
एच.वी.ए.टी. एकट	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003
आई.डी.सी.	आंतरिक विकास प्रभार
आई.जी.आर.	पंजीकरण महानिरीक्षक
आई.जी.एस.टी.	एकीकृत माल एवं सेवा कर
आई.एम.एफ.एल.	भारत में निर्मित विदेशी शराब
आई.ओ.सी.एल.	भारतीय तेल निगम लिमिटेड
आई.आर. एकट	पंजीकरण अधिनियम, 1908
आई.आर.	निरीक्षण प्रतिवेदन

आई.एस. एक्ट	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899
आई.टी.सी.	इनपुट टैक्स क्रेडिट
जे.ई.टी.सी.	संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त
जे.एस.आर.	संयुक्त सब-रजिस्ट्रार
एल.ओ.आई.	आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेंट)
एम.सी.	नगर निगम
एम.ई.	खनन अभियंता
एम.आई.सी.आर.	मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन
एम.ओ.	खनन अधिकारी
एम.वी. एक्ट	मोटर वाहन अधिनियम, 1988
एन.ओ.सी.	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
पी.ए.	निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.)
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति (लो.ले.स.)
प्र.म.ले.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
पी.जी.टी.	यात्री एवं माल कर
पी.एल.	प्रूफ लीटर
पी.एम.वी.टी. एक्ट	पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)
आर.ए.	पुनरीक्षण प्राधिकारी
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.एफ.	पंजीकरण फीस
आर.एल.ए.	पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी
आर.टी.ए.	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी
एस.डी.	स्टाम्प शुल्क
एस.ई.डी.	राज्य उत्पाद शुल्क
एस.एल.पी.	विशेष लीव याचिका
एस.आर.	सब-रजिस्ट्रार
एस.टी.ओ.	राज्य कर अधिकारी
टी.सी.पी.	नगर एवं ग्राम आयोजना
टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.	कर सूचना विनिमय प्रणाली
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
वी.ए.टी.	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यू.सी.टी.	निर्माण संविदा कर

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in